

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF**

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र] Seventh
Session



सत्यमेव जयते

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 47, गुरुवार, 24 अप्रैल, 1969/4 वैशाख, 1891 (शक)

No. 47, Thursday, April 24, 1969/Vaisakha 4, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1291. भूख से मृत्यु	Starvation deaths	.. 1—8
1292. छोटे समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Small Newspapers	.. 8—12
1293. चतुर्थ योजना में कृषि उपज बढ़ाने के लिये आकाशवाणी से कार्यक्रम	A. I. R. Programmes to Boost Agricultural output during Fourth Plan	.. 12—16
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
16. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारे और पीने के पानी की कमी	Shortage of fodder and drinking water in drought affected areas of Rajasthan	.. 16—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1294. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands	.. 21—24
1295. प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत का कम करना	Bringing down of cost of production of Major crops	.. 25
1296. टेलीफोन ग्राहकों द्वारा संयुक्त रूप से टेलीफोन को प्रयोग करने सम्बन्धी योजना	Scheme regarding sharing of telephones by Subscribers	.. 25—26

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1297. डाक दरों में वृद्धि के बाद डाक सम्बन्धी वस्तुओं की बिक्री और उससे आय	Sale and income from postal stationery after Revision of Rates ..	26
1298. खेती वाली भूमि का भू सर्वेक्षण	Soil Survey of lands under cultivation ..	27
1299. लक्षद्वीप में मछली पकड़ने के लिये नौकाओं का निर्माण	Building of Boats for fishing in Laccadives ..	27—28
1300. अन्दमान द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Resettlement of Ex-servicemen in Andaman Islands ..	28
1301. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की वसूली	Procurement of Rice and Wheat by FCI ..	28—29
1302. टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार	Expansion of telephone facilities ..	29
1303. आकाशवाणी की वैदेशिक प्रसारण सेवायें	External services of AIR ..	29—30
1304. दण्डित समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा	Newsprint quota for convicted newspapers ..	30
1305. राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी फिल्मों को प्रोत्साहन	Films on National integration ..	30—31
1306. देश में बेरोजगारी	Unemployment in the country ..	31
1307. गेहूं तथा गेहूं से बने पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of wheat and wheat products ..	31—32
1308. केन्द्र तथा राज्यों की समेकित कृषि नीतियां	Integrated agricultural policies of Centre and States ..	32
1309. राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of fertilizers to states ..	32—32
1310. केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, पटना में हड़ताल	Strike in the Central Potato Research Institute, Patna ..	33—35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1311. होटलों के लिये चीनी का कोटा	Sugar quota for hotels ..	35
1312. सुपर बाजार-नई दिल्ली के साथ धोखाधड़ी	Cheating of supper bazar, New Delhi ..	36
1313. शरणार्थियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Refugee ..	36
1314. पश्चिम बंगाल में डाक तथा तार विभाग में हड़ताल	Strike in P and T Deptt., West Bengal ..	37
1315. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees' State Insurance Scheme ..	37—38
1316. बोकारो इस्पात कारखाने में मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of workers in Bokaro Steel Plant ..	38
1317. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभ	Profit margin of food corporation of India ..	38—39
1318. पंजाब और हरियाणा में गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement prices of wheat in Punjab and Haryana ..	39
1319. तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिये हालैण्ड से सहायता	Dutch help for settlement of Tibetan Refugees ..	39—40
1320. रेलगाड़ियों में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones in Train ..	40
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7428. समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन	Reports of Committees and Commissions ..	40—41
7429. समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन	Reports of Committees and Commissions ..	41
7430. शीतागारों का बनाया जाना	Setting up of cold storages ..	41
7431. रूस की सहायता से केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र	Central farms with Soviet Aid ..	41—45

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7432. मजदूरों के रहने की स्थिति	Living conditions of the workers	45
7433. आकाशवाणी के गढ़वाली कार्यक्रम के बारे में सुझाव	Suggestions on Garhwal Programme of AIR	45—46
7434. छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of Ceiling Limit of Minor Irrigation Works ..	46
7435. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगाये गये नलकूप	Tube-wells sunk in drought affected areas of Rajasthan ..	47
7436. राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में ऊंटों की मृत्यु	Death of Camels in Barmer and Jaisalmer district of Rajasthan ..	47
7437. गुजरात में अधिक अनाज उपजाओ योजना	Grow more food scheme in Gujarat ..	47—43
7438. गुजरात में कृषि उद्देश्यों हेतु ऋणों का दिया जाना	Grant of loans for Agricultural purposes in Gujarat ..	48
7439. गुजरात में छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor irrigation Schemes in Gujarat	49—50
7440. अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचारपत्रों को दिये गये सरकारी विज्ञापनों का अनुपात	Ratio of Government advertisements given to English and Hindi Newspapers ..	50—51
7441. हिन्दी के समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज	Newsprint for Hindi Newspapers ..	51
7442. हड़ताल में भाग लेने वाली सेन्ट्रल एक्सचेंज, नई दिल्ली की महिला टेलीफोन आपरेटरों का सेवामुक्त किया जाना	Discharge of lady telephone operators in Central Exchange, New Delhi who participated in strike ..	51—52
7443. आकाशवाणी में असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर के पद पर पदोन्नति	Promotion to the grade of Assistant Station Engineer in AIR ..	52—53

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7444. टेलीफोन नम्बर 561095 (नई दिल्ली) के कनेक्शन का काटा जाना	Disconnection of Telephone No. 561095 (New Delhi) ..	53
7445. दिल्ली में सामाजिक कार्यालयों को टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connection to Social Workers in Delhi ..	53—54
7446. मध्य प्रदेश में नदी उठाऊ सिंचाई योजना	River Lift Irrigation scheme in Madhya Pradesh ..	54
7447. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिये आयात लाइसेंस	Import licences for deep sea fishing trawlers ..	55
7448. समाचार अभिकरणों को भुगतान	Payments to News Agencies ..	55—56
7449. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली	AICC staff consumers co-operative store, New Delhi ..	56
7450. नलकूपों की स्थापना	Installation of tube-wells ..	56—57
7451. 'कम्पोस्ट' तथा 'ओखला' उर्वरकों का दिल्ली के किसानों को दिया जाना	Supply of Compost and Okhala fertilizers to Delhi Farmers ..	57
7452. खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना	Upgrading of protein quality of cereals ..	58
7453. मसालों में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in spices ..	58
7454. एलम, जिला मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) में रक्षित भूमि का अनुसूचित जातियों के भूमिहीन व्यक्तियों में बांटा जाना	Allotment of reserved land to landless scheduled castes in Elam in Muzaffarpur (U. P.) ..	59
7455. गुजरात की चीनी सम्बन्धी आवश्यकता	Sugar requirements of Gujarat	59
7456. गुजरात में बीज फार्म तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना	Setting of seed farm and research centres in Gujarat ..	60
7457. आन्ध्र प्रदेश के गांवों में डाक सेवाएं	Postal services in the Villages of Andhra Pradesh ..	60—61

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7458. आन्ध्र प्रदेश में अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलें उगाने का कार्यक्रम	High yielding varieties programme in Andhra Pradesh	.. 61—62
7459. राज्यों में खोले गए भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय	Offices of Food Corporation of India opened in States	.. 62
7460. किसानों की समस्याओं का अध्ययन	Study of problems of Farmers	.. 62
7462. इन्दौर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना	Non-payment of salary to P and T Employees in Indore	.. 63
7463. सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार	Employment to released Emergency commissioned officers	.. 63—64
7464. आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों को पदोन्नति	Promotion of Transmission executives in AIR	.. 64
7465. डाक तथा तार विभाग में हिन्दी के प्रपत्रों का प्रयोग	Use of Hindi Forms in P and T Department	.. 64—65
7466. बर्मा द्वारा भारत को चावल का सम्भरण	Rice supply to India by Burma	.. 65
7467. विदेशों में भारतीय विश्व-विद्यालयों की पशु-चिकित्सा शास्त्र की डिग्रियों को मान्यता	Recognition of Veterinary Degrees of Indian Universities Abroad	.. 65
7468. पश्चिम बंगाल में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocated of Funds for Small Irrigation schemes in West Bengal	.. 66
7469. बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को जम्मू तथा कश्मीर में बसाना	Settlement of Repatriates from Burma in Jammu and Kashmir	.. 66—67
7470. आकाशवाणी के 'बृजभाषा' कार्यक्रम के लेखक	Writers of Braj Bhasha Programme of AIR	.. 67
7471. धान तथा चावल विशेषज्ञों के जापानी दल की भारत यात्रा	Visit by a Japanese team of experts in Paddy and Rice	.. 67—68

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7472. चलचित्रों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings from Films Exports ..	68—69
7473. आकाशवाणी के गढ़वाली कार्यक्रमों में सुधार के लिये ज्ञापन	Memorandum regarding improvement of Garhwali programme of AIR ..	69—70
7474. आकाशवाणी में लिपिकार	Script writers in AIR ..	70
7475. गोरखपुर कलक्टरी में डाक-घर की इमारत	Post office Building in Collectorate Gorakhpur ..	70—71
7476. निमाड़ी भाषा में आकाश-वाणी के कार्यक्रम	AIR Programmes in Nimadi Language ..	71
7477. मध्य प्रदेश में किसान गोष्ठी को केन्द्रीय सहायता	Central Grants to Farmers Forum in Madhya Pradesh ..	72
7478. सुपर फास्फेट/फास्फेट उर्वरकों का आयात	Import of Super Phosphate/Phosphate Fertilizers ..	72
7479. मध्य प्रदेश में बिना लाइसेंस के रेडियो	Unlicenced Radio sets in Madhya Pradesh ..	72—73
7480. मध्य प्रदेश में कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना	Establishment of Agro Industrial corpora- tion in M. P. ..	73
7481. राजस्थान में नलकूप लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for sinking Tube wells in Rajasthan ..	73—74
7482. लौकाहा तथा बाबू बाराही (दरभंगा जिला) में सार्व-जनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना	Opening of Public Call Offices at Laukaha and Babu Barahi (District Dharbhanga) ..	74
7483. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, पटना में हड़ताल	Strike in the Central Potato Research Institute, Patna ..	74—75
7484. अनाज का संरक्षण	Preservation of Food ..	75—76
7485. सवाई माधोपुर (राजस्थान) में टेलीफोन केन्द्र की नई इमारत	New Building for Telephone Exchange at Swai Madhopur (Rajasthan) ..	76
7486. खंडहर (राजस्थान) में टेली-फोन केन्द्र	Telephone Exchange at Khandar, (Rajasthan) ..	76—77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7487. गंगपुर शहर (राजस्थान) की नई मार्किट में डाक तथा तार कार्यालय	P and T Office in the New Market of Gangapur City (Rajasthan) ..	77
7488. तैयार उपज (वर्गीकरण तथा विपणन) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत कदाचार के मामले	Cases of Malpractices under Agricultural produce (Grading and Marketing) Act, 1937 ..	77—78
7489. भारत द्वारा अमरीका से गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat by India from USA ..	78—79
7490. कुछ राज्यों में ऊबड़-खाबड़ तंग घाटियों की भूमि को खेती योग्य बनाना	Reclamation of Ravines in certain States ..	79—80
7491. विदेशी तेल समवायों द्वारा छंटनी	Retrenchment by Foreign oil Companies ..	80
7492. गेहूं की उत्पादन लागत	Cost of production of wheat ..	80—81
7493. राज्यों में खाद्य निगमों की स्थापना	Setting up of Food Corporations in States ..	81
7494. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा हड़ताल	Strike by Staff Artistes of AIR ..	81
7495. अमरीका से वनस्पति तेल का आयात	Import of Vegetable Oil from USA ..	82
7496. राजस्थान में टेलीफोन के खम्भों पर विज्ञापन लगाने से आय	Income from display of advertisement on Telephone poles in Rajasthan ..	82
7497. मध्यावधि चुनाव के दौरान टेलीफोन खम्भों पर प्रचार	Pasting of propaganda material on Telephone poles during mid-term Elections ..	82—83
7498. बिहार में सूखा	Drought in Bihar	83
7499. फर्रुखाबाद में डाक के वितरण में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Distribution of Dak at Farrukhabad ..	84
7500. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India ..	84
7501. उड़ीसा में केन्द्र सरकार के उपक्रमों में दुर्घटनाएं	Accidents in Central Government undertakings in Orissa ..	85

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7502. आसाम में उठाऊ सिंचाई योजना	Lift Irrigation Scheme in Assam ..	85
7503. मनीपुर में श्रमिकों का कल्याण	Welfare of workers in Manipur ..	85—86
7504. मनीपुर में पंचायत कानून	New panchayat Legislation in Manipur ..	86—87
7505. मनीपुर में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation schemes in Manipur ..	87
7506. त्रिपुरा में भू-राजस्व की बकाया राशि	Land Revenue Arrears in Tripura ..	87—88
7507. आकाशवाणी-केन्द्र पटना में मोटर गाड़ियों के लिए तकनीकी कर्मचारी	Technical staff for motor vehicles in AIR Patna ..	88
7508. आकाशवाणी में रात्रि के समय कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वाहन की व्यवस्था	Conveyance for night staff of AIR ..	88—89
7509. नियोजन प्रधान कृषि विश्व-विद्यालय	Employment oriented Agricultural University ..	89
7511. परिवार पेंशन योजना	Scheme of Family Pension ..	90
7512. दूर संचार उपकरण का आयात	Import of Telecommunication Equipment ..	90
7513. सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय सरकारी फार्म का बन्द किया जाना	Winding up of Central State Farm at Suratgarh ..	90
7514. खाद्य नीति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Food Policy ..	91
7515. उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to U. P. for minor irrigation works ..	91—92
7516. धान कूटने की आधुनिक मशीनों का निर्माण	Manufacture of modern milling Equipment ..	92—93
7517. कर्मचारी भविष्य निधि योजना का कर्मचारी राज्य बीमा योजना के साथ विलय	Merger of Employees Provident Fund Scheme and the Employees State Insurance Scheme ..	93

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7518. डाक तथा तार विभाग के पालघाट सर्किल के उन कर्मचारियों का बर्खास्त तथा मुअत्तिल किया जाना जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था	Dismissal and suspension of P and T employees of Palghat Circle who participated in September 19, 1968 strike ..	93—94
7519. नेशनल पब्लिसिटी फोरम के पते पर भेजे गये मनीआर्डरों का वापस आना	Undelivered Money orders Addressed to National Publicity Forum ..	94
7520. 'लोक सेवक', कलकत्ता	Lok Sevak, Calcutta ..	94—95
7521. समाचार-पत्रों को डाक से भेजने से होने वाली आय	Revenue from postage on Newspapers ..	95—96
7522. बिजली मजूरी बोर्ड	Electricity Wage Board ..	96
7523. इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage board on Engineering Industry ..	96—97
7524. तमिलनाडु को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to Tamilnadu ..	97
7525. सरकारी उपक्रमों में निर्मित वस्तुओं का वाणिज्यिक प्रसारण	Commercial Broadcast of Goods Manufactured in Public ..	97—98
7526. खरगांव (म० प्र०) में डाक तथा तार कार्यालय के लिये नये भवन का निर्माण	Construction of new Building for P and T offices at Khargaon (M. P.) ..	98
7527. पश्चिम निमाड़ जिले (मध्य प्रदेश) में डाक सेवा	Postal service in West Nimad District (Madhya Pradesh) ..	98—99
7528. त्रिपुरा में छोटी सिंचाई सुविधायें	Minor irrigation facilities in Tripura ..	99—100
7529. त्रिपुरा के वनों में इमारती लकड़ी का पाया जाना	Timber availability in Tripura forests ..	100
7530. डिब्रूगढ़ (आसाम) के लिये ट्रांसमीटर तथा त्रिपुरा के लिये आकाशवाणी केन्द्र	Transmitter for Dibrugarh (Assam) and a Radio station for Tripura ..	101
7531. त्रिपुरा को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Tripura ..	101—102

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7532. पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	.. 102
7533. दिल्ली से मुर्गी पालन फार्मों को हटाया जाना	Shifting of poultry farms from Delhi	.. 103
7534. भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में अनाज की वसूली	Procurement of foodgrains in Haryana by food corporation of India	.. 103
7535. वासुदेवपुर/चन्देल (बिहार) में टेलीफोन एवं तारघर	Telephone-cum-Telegraph office at Vasudeopur/Chandel (Bihar)	.. 103—104
7536. पश्चिम बंगाल को चीनी की सप्लाई	Sugar supply to West Bengal	.. 104
7537. पश्चिम बंगाल में किसानों के लिये प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम	Farmer's training and Education Programme in West Bengal	.. 104—105
7538. गुजरात में चावल के थोक मूल्य	Wholesale price of rice in Gujarat	.. 105
7539. आयातित गेहूं का मूल्य	Price of Imported wheat	.. 106
7540. मथुरा में आकाशवाणी के कर्मचारी	AIR Staff at Mathura	.. 106—107
7541. केरल और गोवा के खाद्य शिल्प केन्द्र	Food Crafts Centres in Kerala and Goa	.. 107
7542. ऋणों की वसूली	Recovery of Loans	.. 107—108
7543. अधिक उपज वाली अनाज के बीजों की किस्में	High Yielding variety of Cereal seeds	.. 108
7544. युगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Yugoslavia	.. 108
7545. सहकारी ऋण समितियों द्वारा छोटे किसानों को सहायता	Assistance to small Farmers by co-operative credit societies	.. 109
7546. त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का पुनर्वास	Resettlement of Tribals in Tripura	.. 109—110
7547. भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान में वैज्ञानिकों के संघ की मान्यता	Recognition of Association of Scientists in the Indian Veterinary Institute	.. 110

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7548. सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली के विरुद्ध टिप्पणियां	Strictures against Assistant Registrar, Co-operative Societies, Delhi	.. 110—111
7549. कुम्भ महापर्व के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Food Grains for Kumbh Mahaparva	.. 111
7550. इन्दौर और उज्जैन (म०प्र०) में रात्रि में कार्य करने वाले डाकघर खोलना	Setting up Night Post Offices in Indore and Ujjain (M. P.)	.. 111
7551. मूंगफली का उत्पादन	Production of Groundnut	.. 112
7552. रुई के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of cotton	.. 112
7553. धान की खेती का जापानी तरीका	Japanese Method of Paddy Cultivation	.. 113—114
7554. होटल प्रबन्ध जलपान व्यवस्था तथा पोषाहार संस्थान	Institute of Hotel Management Catering and Nutrition	.. 114
7555. बेरोजगारी की स्थिति	Unemployment situation	115
7556. चीनी का निर्यात	Export of Sugar	.. 115—116
7557. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains by Food Corporation of India	.. 116
7558. दिल्ली में मनोरंजन कर में वृद्धि	Increase in Entertainment Tax in Delhi	.. 117
7559. औद्योगिक सम्बन्ध नीति में परिवर्तन	Change in Industrial Relations Policy	.. 117—118
7560. आकाशवाणी पर संसद् सदस्यों की वार्ता	Talks by M. Ps. on AIR	.. 118
7561. छोटी सिंचाई कार्यों के लिये कृषि ऋण	Agricultural Credit for Minor Irrigation works	.. 119—121
7562. राज्यों में भूमि विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank's Aid for Land Development projects in States	.. 121
7563. सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Labour on Industrial Relations in Public Undertakings	.. 121

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अज्ञा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7564. बेतार प्राप्ति केन्द्र (दिल्ली) से तांबे की तार की चोरी	Theft of Copper Wire at Wireless receiving station (Delhi)	.. 121—122
7565. गुड़गांव में मिस्त्रियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Mechanics in Gurgaon	.. 122
7566. बेतार पारेषण केन्द्र में दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले मजदूर	Daily Wages Labour at Wireless Transmitting Stations	.. 122
7567. गुड़गांव बेतार केन्द्र से माल गुम होना	Missing of goods from Gurgaon Wireless Station	.. 122—123
7568. गुड़गांव में वायरलैस ट्रांसमिटिंग स्टेशन	Wireless Transmitting Station at Gurgaon	.. 123—124
7569. अधिक उपज देने वाले बिनौलों के बारे में अनुसंधान	Research in High Yielding variety of Cotton Seeds	.. 124—125
7570. विदर्भ (महाराष्ट्र) में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Vidarbha (Maharashtra)	.. 125
7571. स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में डाक-टिकट	Commemorative Stamp on Swami Shradha Nandji	.. 125
7572. रूस से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from Russia	.. 126
7573. पश्चिम बंगाल और आसाम में खाद्य उत्पादन वृद्धि की मिश्रित दर	Compound rate of Growth of Food Production in West Bengal and Assam	.. 127
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 128
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	.. 128—164
योजना आयोग	Planning Commission	.. 128—131
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 129—131
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	.. 136—137
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 137—138
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	.. 138—140
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 140—142
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	.. 142—143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri	.. 143—144
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	.. 144—145
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 145—146
श्रीमती नन्दिनी सतपथी	Shrimati Nandni Satpathy	.. 147—148
श्री चन्द्र शेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	.. 148—149
श्री विश्वनाथ पांडेय	Shri Vishwanath Pandey	.. 149—150
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 150—152
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	.. 152—153
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 153—155
श्री जी० ना० हज़ारिका	Shri J. N. Hazarika	.. 155—156
श्री श्रीगोपाल साबू	Shri Shri Gopal Saboo	.. 156—158
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	.. 158—159
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 159—160
श्री रामावतार शर्मा	Shri Ram Avtar Sharma	.. 160
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 160—164

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 अप्रैल, 1969/4 वैशाख, 1891 (शक)
Thursday, April 24, 1969/ Vaisakha 4, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूख से मृत्यु

+

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| *1291. श्री क० लक्ष्मण : | श्री ए० श्रीधरन : |
| श्री कंवर लाल गुप्त : | श्री हरदयाल देवगुण : |
| श्री शारदानन्द : | श्री रणजीत सिंह : |
| श्री श्रीगोपाल साबू : | श्री श्रीचन्द गोयल : |
| श्री जि० ब० सिंह : | श्री विक्रम चन्द महाजन : |

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या वर्ष 1968-69 में देश के अनेक राज्यों में भूख से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;
- (ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने व्यक्ति मरे हैं ;
- (ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;
- (घ) क्या सूखे की स्थिति के कारण 1968-69 में राजस्थान में अनेक पशुओं की भी मृत्यु हुई है ;
- (ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य को क्या सहायता दी गई है ; और
- (च) उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च). सूखे की स्थिति के कारण 1968-69 में राजस्थान में कुछ पशुओं की मृत्यु हुई है परन्तु उनकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। राज्य सरकार सूखा सहायता के रूप में पशुओं को अन्य स्थानों को ले जाने, राज्य में से चारा उपलब्ध करने और राज्य के बाहर से चारे का आयात करने तथा राजसहायता के आधार पर अथवा निःशुल्क वितरण करने की सुविधायें देकर पशु मालिकों की सहायता कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने सूखा सहायता के लिये राजस्थान सरकार को अब तक 13.16 करोड़ रुपये दिये हैं। हाल में राजस्थान का दौरा करके आने वाले दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये और सहायता दी जायेगी।

श्री क० लकप्पा : यह बड़े शर्म और अपमान तथा निन्दा की बात है कि उसमें देशवासियों की भावनाओं को देखने के बाद भी इस देश में मानव कृपा और दयालुता का स्रोत सूख गया है। मंत्री महोदय हमेशा वक्तव्य देते हैं कि भूख के कारण मृत्यु नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी इस देश में 10 करोड़ व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। वे कहेंगे कि कुपोषण के कारण मृत्यु हुई है। संविधान के अन्तर्गत कुछ अधिकार दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। संविधान में यह भी कहा गया है कि नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन दिये जाने चाहिये। इस देश में प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। सरकार ने देश में सूखे की स्थिति को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिये न केवल राजस्थान बल्कि मैसूर और आन्ध्र सहित अन्य राज्यों में भी भूख के कारण कोई मृत्यु न हो, सरकार ने गत बीस वर्षों में क्या किया है। हमारे देश के समक्ष यह गम्भीर समस्या है। क्या ऐसी स्थिति को दूर करने के लिये कोई स्थायी उपाय किये गये हैं? मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि राजस्थान में संकट है और वहां प्रायः सभी राज्य सूखाग्रस्त हैं। श्री लकप्पा आलोचना कर सकते हैं परन्तु उन्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि राजस्थान में खाद्य स्थिति काफी सन्तोषजनक है। वास्तव में राजस्थान सरकार हमारे द्वारा आवंटितकारी मात्रा लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पास काफी स्टॉक जमा है और कीमतें भी उचित हैं। मोटे अनाज के लाने-लेजाने की छूट दिये जाने के परिणामस्वरूप मोटा अनाज निर्बाध ले जाया जा रहा है। अतः खाद्य स्थिति नियंत्रण में है और चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री क० लकप्पा : यह एक गम्भीर स्थिति है। वे हमेशा कहते हैं कि भूख के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है बल्कि केवल कुपोषण के कारण हुई है। हमारे माननीय मित्र

श्री जगजीवनराम की बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद कि खाद्य स्थिति बहुत अच्छी है, इस देश में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। वे कहते हैं कि कहीं भी कमी नहीं है। वे हवाई किले बना रहे हैं। राजस्थान में समाचारपत्रों में 7,000 व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार प्रकाशित हुए हैं और देश के अन्य भागों में मृत्यु के अनेक मामले समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं। क्या उन्हें इनका कोई अनुमान है और ऐसी बातों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि उन्हें कोई सहानुभूति है, तो अब दिखानी चाहिए और यदि उन्हें कोई डर है, तो कृपया उसे स्वीकार करें और त्यागपत्र दे दें। क्या सरकार एक जांच समिति नियुक्त करेगी? मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की जांच करेगी और तुरन्त स्थायी उपाय करेगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम माननीय सदस्यों की रिपोर्टों को उचित प्राधिकारों को भेजते हैं—क्योंकि हम माननीय सदस्यों के विचारों को बहुत महत्व देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि समाचारपत्रों में यदा-कदा प्रकाशित होने वाले समाचारों को भी पुष्टि के लिये राज्य सरकारों को भेजते हैं। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, इस समस्या की जांच करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक दल नियुक्त किया गया था। राजस्थान सरकार ने भी इस समस्या पर विचार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी और उसके प्रतिवेदन के अनुसार हैजे और ज्वर आंत्रशोथ से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जहां तक भूख से मृत्यु का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

श्री क० लकप्पा : अखिल भारतीय स्तर पर क्या स्थायी उपाय किये गये हैं? इस देश के अनेक भागों में जरूरतमन्द लोगों को भोजन, आवास और कपड़ा देने के लिये अनेक राज्यों ने दुर्भिक्ष संहिता तक में संशोधन नहीं किया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा दृष्टि से अन्ततोगत्वा स्थायी उपाय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उस दृष्टि से सिंचाई क्षमता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिये सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए और छोटे सिंचाई कार्यों के लिये अधिक धन देने का भी भारत सरकार का दृष्टिकोण है। हम प्रत्येक स्थान पर सिंचाई कार्यों के लिये राज्य सरकारों को उदारतापूर्वक सहायता देते रहे हैं।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, गत कुछ महीनों में उन्होंने 41 नलकूप लगाये हैं और 12 और लगाये जा रहे हैं। हमने राजस्थान सरकार को कह दिया है कि यदि आगामी दो-तीन महीनों में कुछ और नलकूप लगाना चाहते हैं, तो धन की कमी नहीं होगी और हम धन दे देंगे।

Shri Shri Gopal Saboo : Reports of death of several persons in Rajasthan alone have appeared in many newspapers. The number is reported to be as high as one thousand persons and 3 lakh of cattle are reported to have died. Will Government take steps on an emergency

footing to despatch foodgrains to the scarcity areas? Will Government take over the Rajasthan Canal Project so that its completion may be expedited and irrigation facilities may be available?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने राजस्थान नहर के कार्य को शीघ्र करने के लिये कार्रवाही की है क्योंकि जब भी राजस्थान नहर पूरी होगी, वह राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र को विशेष-रूप से सूखा से सबसे अधिक प्रभावित पश्चिमी जिलों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस वर्ष राज्य के बजट में गत कुछ वर्षों की तुलना में अधिक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की है।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार का ध्यान राजस्थान विधान सभा में जनसंघ के नेता श्री भैरों सिंह के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भूख से 7,000 से अधिक व्यक्ति मरे हैं। यदि मृत्यु हुई है, तो कितनी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। हमने विस्तृत जांच के लिये राजस्थान सरकार को लिखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान सरकार उसे भेजे गये प्रत्येक मामले की जांच करेगी।

श्री ए० श्रीधरन : दुर्भाग्य से इस देश में मानव जीवन को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। 7,000 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है लेकिन भारत सरकार शांत बैठी है जैसे कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो रागरंग में मस्त था। चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूर-आंत्रशोध और हैजे का एक कारण भूखा रहना है। भूख से मरने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या प्रक्रिया होती है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं चिकित्सा-विशेषज्ञ नहीं हूँ। हम राज्य सरकारों द्वारा दिए गए तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पर ही विश्वास करते हैं। किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्य से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसी क्षेत्र में भूख से पीड़ित होकर मृत्यु हुई है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने स्वयं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है। मुझे पता चला है कि रामदेव गांव में 80 बच्चे और हरवेश गांव में 8 बच्चे मरे हैं। सरकार इनके मरने को भूख से मरना नहीं कहती। यदि लोगों को भोजन के अभाव में घास खानी पड़े और गन्दा पानी पीना पड़े तो स्वभावतः उन्हें रोग लगेंगे। सरकार भूख के कारण हुई मृत्यु नहीं मानती। सरकार भूख से हुई मृत्यु किसे मानती है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई गैर-सरकारी समिति या संसद सदस्यों की समिति नियुक्त करेगी जो तथ्यों की जांच कर सके?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान के डाक्टरों ने इस समस्या का अध्ययन किया था। ये डाक्टर सरकारी कर्मचारी नहीं थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला

है कि कुछ मृत्यु हैजे तथा जठर आंत्रशोथ नामक रोगों से हुई हैं। राजस्थान में पेय जल की समस्या गम्भीर है। इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य को 15 भागों में बांट दिया है और प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

Shri Onkar Lal Bohra : These days opposition parties try to give a political colour to any kind of crisis which erupts in a State. This tendency is, of course, not good. As a matter of fact the financial position of Rajasthan State is very poor. May I know whether Central Government will seriously consider the question of giving more funds to the State for making arrangement for adequate supply of drinking water and fodder ?

श्री नाथ पाई : श्रीमान, संसद में कितने संन्यासी हैं ? हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, संन्यासी नहीं। फिर बार-बार यह क्यों कहा जाता है। कि हम इनसे राजनीतिक लाभ उठाते हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक राजस्थान का सहायता देने का सम्बन्ध है, उसे 13 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की सहायता दी जा चुकी है। अब एक दल ने राजस्थान का पुनः दौरा किया है। उसके प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान सरकार को अधिक राशि दी जायेगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : राजस्थान के 26 जिलों में से 24 को अकालग्रस्त घोषित किया गया था। वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने यह माना कि राजस्थान में 67 मौतें हुई हैं। दूसरी ओर हमारे मंत्री श्री शिन्दे कहते हैं कि वहां भोजन की स्थिति कठिन नहीं है। वास्तव में गन्दा-सन्दा खाकर या कम खाकर ही लोग हैजा जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। मंत्री महोदय भूख से मरने की परिभाषा क्या करेंगे ? क्या वह इस मामले की जांच करने के लिए किसी स्वतंत्र जांच समिति की नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमान्, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम भारत में रहते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि हमारा देश एक गरीब देश है और सूखा पड़े बिना भी राज्यों में सम्पूर्ण जनता को पुष्टिकर भोजन नहीं मिलता जब सामान्यतः स्थिति यह है तो फिर सूखे से प्रभावित क्षेत्र के बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां कुपोषण की स्थिति नहीं है। मेरे साथी ने कहा है कि राजस्थान में खाद्य स्थिति ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर अनाज उसी मूल्य पर उपलब्ध है जिस पर अन्न की अधिक उपज वाले अन्य राज्यों में है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान में ही पर्याप्त अन्न पैदा किया गया है। वस्तुतः समस्या है प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की क्रय-शक्ति को बढ़ाने की। यदि वहां के लोगों की क्रय-शक्ति बहुत ही कम है तो वे सस्ती वस्तु को भी नहीं खरीद सकेंगे। उनकी क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उन्हें कठिन और सुगम शारीरिक कार्य दे रहे हैं।

जहां तक भूख से मृत्यु की परिभाषा की बात है, मैं उसे परिभाषित नहीं कर सकूंगा। परन्तु हमें यह याद रखना है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक आधार पर बनी सरकार है। (अन्तर्बाधाएं) हमें जब भी भूख से हुई मृत्यु के बारे में कोई खबर मिलती है तो हम उसे सम्बद्ध राज्य सरकार के पास प्रमाणित करने के लिए भेजते हैं, चाहे राज्य सरकार कांग्रेसी हो अथवा गैर-कांग्रेसी। अब तक राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट मिली हैं। उनसे ऐसे किसी भी समाचार की पुष्टि नहीं होती। एक बार ऐसी खबरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थीं कि भूख से अनेक लोग मर गये हैं। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सम्बद्ध व्यक्ति से तत्सम्बन्धी ब्योरा पूछा तो उसने ब्योरा नहीं दिया। जब तक ब्योरा प्राप्त न होगा तब तक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार को प्रमाणित करने के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, वहां स्थिति बड़ी विषम है और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार धर्मार्थ स्वयं सेवी संस्थाओं तथा संसद् सदस्यों सभी को मिलकर स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

श्री सु० कु० तापड़िया : स्वतंत्र जांच के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री जगजीवन राम : यह किस लिए। वहां पर सरकार विद्यमान है।

श्री रंगा : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक समिति नियुक्त करने को कहेगी जो कांग्रेस को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दलों द्वारा बार-बार लगाये गये इन आरोपों की जांच करे कि भूख से होने वाली मृत्यु की घटनाएं इक्का दुक्का नहीं बल्कि अनेक हैं ?

श्री जगजीवन राम : जो भी इस प्रकार का आरोप लगाता है मैं उससे भूख से मरे लोगों के बारे में पूरा ब्योरा देने के लिए कहता हूं, ताकि राज्य सरकार उनके बारे में जांच करा सके।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बड़े दुख की बात है कि तीन योजनाओं के पश्चात् भी हमारे देश में भूख के कारण मौतें होती हैं। डा० राम मनोहर लोहिया ने यह मांग की थी कि दुर्भिक्ष संहिता में संशोधन किया जाये, क्योंकि वह, उनके विचार से अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई थी जो दुर्भिक्ष सम्बन्धी समाचारों को दबाना चाहते थे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह दुर्भिक्ष संहिता में संशोधन करने के बारे में आश्वासन दें, ताकि दुर्भिक्ष की ठीक परिभाषा जा सके और लोगों के कष्टों को दूर किया जा सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : शायद माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि दुर्भिक्ष संहिता को अब लागू नहीं किया जाता है। यह राज्य का विषय है। कभी भी ऐसी दुर्भिक्ष संहिता लागू नहीं रही जो अखिल भारतीय स्तर की हो। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संहिताएं थीं। और उनमें भी राज्यों ने संशोधन कर लिया है। राजस्थान में भी पुरानी दुर्भिक्ष संहिता अब क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह शर्म की बात नहीं है कि केन्द्र में 20 वर्ष के लम्बे समय तक राज्य करते रहने के बाद भी देश में भूख से मौतें हो रही हैं ? परन्तु मंत्री यह मानने को तैयार नहीं है वह तो मृत्यु का कारण आम शोथ के रोग को या कुपोषण को बतलाते हैं। क्या सरकार ऐसी योजना बनायेगी जिससे लोग भूखे रहकर न मरें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है।

श्री हेम बरुआ : जब भी लोग भूख से मरते हैं तो सरकार प्रायः यह कहती है कि लोग कुपोषण के कारण मरे हैं। आसाम में भी कुछ मौतें भूख के कारण हुई थीं। लोग रोटी न मिलने के कारण मरते जाते हैं और आप इस ओर ध्यान भी नहीं देते। यह सरकार शब्द गढ़ने में बड़ी निपुण है। 'कुपोषण' भी ऐसा ही गढ़ा हुआ शब्द है। भोजन के अभाव की अन्तिम सीमा कुपोषण है, दूसरे शब्दों में मृत्यु कहा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार यह कहकर बात टाल देती है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए कह देती है कि भोजनाभाव से कोई मौत नहीं हुई, या कह देती है कि यह भगवान की माया है।

क्या सरकार ऐसी मौतों के कारणों की गंभीरता से जांच करेगी और केवल यह कहकर मामले को न टालेगी कि मृत्यु कुपोषण से हुई है ?

श्री जगजीवन राम : जब भी कोई क्षेत्र अकालग्रस्त होता है हम पहला प्रयास यह करते हैं कि उस क्षेत्र में पर्याप्त अनाज भेजते हैं दूसरे हम वहां के लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

श्री हेम बरुआ : हमें आपके प्रयत्नों के बारे में संदेह है।

श्री जगजीवन राम : यदि उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, तो मैं इसके लिए विवश हूं। हम प्रयास कर रहे हैं और देश के विकास में सफलता मिल रही है।

Shri Sita Ram Kesari : I think famine constitute a state of emergency in every country. Some of my friends asked for an enquiry into the causes of famine. But I would like to know whether Government will consider to confiscate the property of big businessmen and Rajas and Maharajas to deal with the State of emergency created by famine.

श्री जगजीवन राम : मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में दान-पुण्य की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। राजस्थान के धनी लोग अकाल से पीड़ित लोगों के दुःखों को दूर करने के लिए उदारतापूर्वक राहतकार्य में दान देंगे।

Shri Shiv Charan Lal : Besides Rajasthan there are areas like Pratapgarh, Mirzapur and Raibareli which are drought-affected. I request that tube-wells should be sunk in drought-affected areas of U. P. so that more foodgrains may be produced and people may be saved from starvation. Why do the children of only poor people or labourers die ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने व छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रही है।

Shri Jageshwar Yadav : Last year eight districts of U. P. were affected by drought. The areas of Bargarh and Markundi of Banda district were the most affected areas. A sum of twenty-five lakhs of rupees was sanctioned for a scheme of water supply. But so far no success has been achieved in respect thereto. Will the Minister help in providing facility of water there on permanent basis ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं राज्य सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाऊंगा ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने बताया है कि राजस्थान के लिए 30,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है और कुछ अतिरिक्त राशि और भी स्वीकृत की जायेगी । परन्तु क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग ठीक रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं ? क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में अनेक स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं ; जो नलकूप गत वर्ष लगाये गये थे उनमें से कुछ राज्य सरकार की लापरवाही के कारण चालू नहीं हो पाये हैं ; वहां पर लोग कुपोषण से मर रहे हैं ; और वहां पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ? यदि सरकार को इस बारे में पता है तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य उन स्थानों का नाम बतायें जहां उचित मूल्य वाली दुकानों की आवश्यकता है, तो वहां पर ऐसी दुकानें खोलने के लिए कार्यवाही की जायेगी । जहां तक नलकूपों का सम्बन्ध है, गत वर्ष लगाये गये 139 नलकूपों में से 129 अब चालू है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : राजस्थान जैसे राज्य के लिए मंत्री महोदय केवल 15 केन्द्रों को कैसे पर्याप्त समझते हैं ? वहां पर तो 1500 केन्द्र होने चाहिए । यह अनुचित बात है ।

Government Advertisements to Small Newspapers

*1292. **Shri Suraj Bhan :**

Shri Brij Bhushan Lal :

Shri Ram Gopal Shalwale :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of newspapers whose actual sale is less than 2,000 and to which Government advertisements have been given ; and

(b) the details of the policy of Government in this regard ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) पांच सौ पैंतीस समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विज्ञापनों को रिलीज करते हुए ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के चयन में न्याययुक्त पद्धति के द्वारा सीमित धन के अन्तर्गत अधिक से अधिक सम्भव क्षेत्र में पत्रों की पहुंच हो ताकि वे उन पाठकों, जिनकी वे आवश्यकता पूरी करते हैं, तक तथा विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंच सके, विरोध रूप से वर्गीकृत विज्ञापन जिनमें जनता के लिये कोई सन्देश हो।

विज्ञापनों के लिये पत्र पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में रखे जाते हैं :—

- (1) प्रभावी खपत (सामान्यतः 1000 से कम बिक्री वाले समाचार-पत्रों का उपयोग नहीं किया जाता)।
- (2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है)।
- (3) पाठकों की श्रेणी।
- (4) पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन।
- (5) अन्य बातें जैसे छपाई का स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं।
- (6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिये उचित और स्वीकृत समझी जाएं।

ऐसे समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं दिए जाते जो साम्प्रदायिकता का विषैला प्रचार करते हों या हिंसा को उकसाते हों या सार्वजनिकशैलता और नैतिकता के सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों, और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हों।

Shri Suraj Bhan : The statement laid down on the Table of the House give some facts about the criteria on the basis of which Government give advertisements to the newspapers. It further says that "advertisements are normally withheld from such newspapers and periodicals as indulge in visulent propaganda/inciting communal passions....." May I know in this context, whether Government give advertisements to Jamiat which indulge in inciting communal passions, if so, the number of advertisements given to it so far ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने समाचारपत्रों की खपत को इसके लिए आधार बनाया है। माननीय सदस्य यह बात स्वीकार करेंगे कि एक कसौटी तैयार की जाती है और कुछ विशिष्ट मामलों में स्वविवेक के आधार पर भी निर्णय किया जाता है। पत्र विशेष से सम्बद्ध प्रश्न के लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता होगी।

Shri Suraj Bhan : Some time ago an enquiry committee under the Chairmanship of Shri Diwakar was set up. It gave its decisions. A.R.C. also gave its recommendations including one to set up an independent Financial Corporation so that machines and newsprint may be

purchased from abroad. May I know how far Government have succeeded in setting up a Financial Corporation and in making small newspapers self-sufficient?

श्री इ० कु० गुजराल : छोटे समाचारपत्रों के लिए वित्त निगम स्थापित करने का प्रश्न समाचारपत्र परिषद् को सौंपा गया था। अब उसका प्रतिवेदन आ गया है। सरकार उस पर विचार कर रही है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री सोनावने : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या छोटे और ग्रामीण समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की नीति विज्ञापन दरों में मतभेद करने की है। क्या सरकार छोटे समाचारपत्रों विशेषकर ग्रामीण तथा जिला स्तर के समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों के दर में वृद्धि करने पर विचार करेगी? क्या सरकार इस पर विचार करेगी और छोटे समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों के दर में वृद्धि करने की नीति की घोषणा करेगी?

श्री इ० कु० गुजराल : हम दरों का निर्णय नहीं करते। इस बारे में स्वयं समाचारपत्र ही निर्णय करते हैं कि उनके विज्ञापन दर क्या होंगे। जहाँ हम यह समझते हैं कि दर अनुचित हैं और जब समाचारपत्र वाले हमारी दर स्वीकार करने को सहमत होते हैं तभी हम अपनी ओर से दर बताते हैं। समाचारपत्र के परिचालन तथा उसके पढ़ने वालों की संख्या को ध्यान में रखकर ही दर निर्धारित की जाती है। एक हजार प्रतियाँ प्रकाशित करने वाले समाचारपत्र को विज्ञापन के बहुत ऊँचे दर देना अनुचित है।

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister has just now declared the Government policy of giving advertisements to newspapers. It is correct that advertisements should not be given to those newspapers who spread communal and anti-national feelings. May I know whether it is also a fact that Government is not giving advertisements to such newspapers also who criticise Government policies and as a result thereof healthy parliamentary conventions have not been made to develop? Such allegations have been levelled against Government several times. May I know whether Government will appoint any impartial enquiry committee to enquire that the Government do not intend to purchase 'Atma' of the newspapers in this way?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि सरकार समाचारपत्रों की आत्मा को खरीदना चाहती तो समाचारपत्रों का वातावरण आज के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता। माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि अधिकांश समाचारपत्र सरकार की नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारी समूची नीति समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखने की है। यह आरोप लगा देना उचित नहीं है कि हम उस समाचारपत्र को विज्ञापन दे रहे हैं जो हमारा समर्थन करता है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें हमने विरोधी दलों के समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये हैं।

Shri Prem Chand Verma : I agree with many things which have been said in the statement. Time and again the Government has assured that small newspapers will be given

more and more advertisements. The former Minister, Shri Shah has also stated this and the present incumbent is repeating the same thing. I congratulate him for that. But what is the actual position this is to be seen. I want a categorical answer to my question. May I know whether it is not a fact that only a few classified advertisements are given to small newspapers but you say that our policy is to give classified advertisements to periodicals? I would also like to know whether it is also not a fact that Government spends most of its money on these classified advertisements and out of this fifty per cent is taken away by the chain newspapers? May I also know whether Government will reconsider its declared policy and efforts will also be made to implement it in full?

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विज्ञापन मुख्य रूप से उस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं जो हम विज्ञापन द्वारा बनाना चाहते हैं। अतः छोटे समाचारपत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन देने में कुछ कठिनाइयां हैं। उदाहरण के रूप में वर्गीकृत विज्ञापन केवल अधिक परिचालन वाले समाचारपत्र को ही दिये जाते हैं। फिर भी मेरे माननीय मित्र को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि 1966-67 में हमने अपने व्यय का 40.10 प्रतिशत भाग छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को विज्ञापन देने पर खर्च किया है। चालू वर्ष में यह प्रतिशतता 49.62 प्रतिशत होगी। बड़े समाचारपत्रों के भाग की प्रतिशतता 59.90 से कम होकर 50.38 रह गई है। वर्गीकृत विज्ञापनों के मामले में कुछ कठिनाइयां हैं।

श्री पी० गोपालन : सरकार द्वारा एकाधिकार को समाप्त करने की बड़ी-बड़ी बातें कहीं गई हैं। परन्तु इन सबके बावजूद देश में एकाधिकार में वृद्धि होती जा रही है। यह देश तथा देश की जनता के हित के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन देगी और बड़े समाचारपत्रों को, जो कि देश के बड़े व्यापार घरों के हैं, विज्ञापन देना बन्द कर देगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : यदि यह आशा की जाती है कि हम बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर दें तो ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि पढ़ने वाले उन समाचारपत्रों को पढ़ना बन्द कर दें। बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापन इसीलिये दिये जाते हैं क्योंकि लोग उनको पढ़ते हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : समाचारपत्रों की बड़ी शृंखला को, एकाधिकार की प्रवृत्तियां और उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सरकार द्वारा बड़े समाचारपत्रों को विज्ञापन देकर सक्रिय रूप से सहायता की जा रही है। सरकार कहती है कि वह समाचारपत्रों की चैन बनाये जाने के विरुद्ध है परन्तु इसके बावजूद भी एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। क्या सरकार इस मिथ्या का शिकार नहीं होगी कि क्योंकि अधिक पाठक इन समाचारपत्रों को पढ़ते हैं अतः उनको विज्ञापन दिये जाने चाहिए।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह विज्ञापन के माध्यम का चुनाव पाठकों को देखकर करते हैं। अनेक स्वायत्त निगम तथा सरकार के मंत्रालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे नगरों की जनता को माध्यम बनाते हैं जिनका उस बाजार से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिस तक वह पहुंचना चाहते हैं। श्री लकप्पा ने उर्वरक सम्बन्धी विज्ञापनों के बारे में कहा था जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये थे। मैं नहीं समझ सका कि ऐसे विज्ञापन प्रादेशिक तथा भाषायी समाचारपत्रों को क्यों नहीं दिये गये जिससे कि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हों। विभिन्न मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिलाया जाना चाहिये कि वे उचित माध्यम चुने और प्रादेशिक तथा भाषायी समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये जायें जिससे कि किसानों को लाभ हो।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, वे ऐसे तरीके से दिये जाते हैं कि वे उस बाजार में पहुंच जायें जिसमें हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। अतः जिनके लिए विज्ञापन दिये जाते हैं, वे उन तक पहुंचाना चाहिए। मैं इस बारे में सभा को आश्वासन दे सकता हूं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : उनके द्वारा आंकड़े दिये गये थे। लाखों रुपये खर्च किये गये थे।

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न यह है कि हो सकता है कि उर्वरक निगम विज्ञापन दे रहा हो, जैसा कि सभा को मालूम है, सरकारी क्षेत्र के विज्ञापन डी० ए० वी० पी० द्वारा नहीं दिये जाते। केवल मंत्रालयों के विज्ञापन ही डी० ए० वी० पी० द्वारा दिये जाते हैं। मैं इस पहलू पर भी ध्यान दूंगा।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister has stated in the written reply that advertisements are not being given to those papers who indulge in communal and anti-social propaganda. I would like to know the number of such newspapers who indulge in communal and anti-social propaganda and to whom the advertisements are not being given.

श्री इ० कु० गुजराल : इस वर्ष मार्च तक केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए आडियो विज्युअल पब्लिसिटी द्वारा 24 समाचार-पत्रों का प्रयोग किया गया था और इनमें से 12 समाचार-पत्रों का जनवरी, 1967 से विभिन्न तिथियों को प्रयोग नहीं किया गया है।

A. I. R. Programmes to Boost Agricultural Output During Fourth Plan

+	
*1293. Shri Maharaj Singh Bharati :	Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Chengalraya Naidu :	Shri Ramchandra Veerappa :
Shri N. R. Laskar :	Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri R. Barua :	Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **Information and Broadcastings and Communications** be pleased to state :

(a) the programme prepared by the All India Radio for broadcasting modern agricul-

tural methods to boost agricultural output in the Fourth Five Year Plan and the proposed allocation for the same ; and

(b) to what extent the programmes will prove beneficial to farmers ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) आकाशवाणी के सभी केन्द्र अपने देहाती कार्यक्रमों में कृषि के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त, 20 केन्द्रों में फार्म और गृह यूनिटें स्थापित की गई हैं। ये यूनिटें यथासम्भव राज्य के कृषि विभागों और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से कृषिकों को खेती के सुधरे हुए तरीकों के बारे में जानकारी देती हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार की 26 और यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है। आकाशवाणी की फार्म और गृह यूनिटों के लिये चौथी योजना में 45 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) इन कार्यक्रमों की लोकप्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन्होंने सम्बन्धित क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रभावी रूप से सहायता की है।

Shri Maharaj Singh Bharati : During pre-independence days on agricultural research institutes used to do nothing except doing research on rose petals, similarly, this department of the All India Radio is doing nothing useful. The unit which has been established in the All India Radio is practically doing nothing more than broadcasting and propagating the Government's view point. Keeping in view the recent revolution in the agriculture and also the fact that a new educated generation is adopting this profession of agriculture in the villages may I know whether this unit of the All India Radio will be made more effective and qualified persons will be appointed in it so that they can acquaint the farmers with latest developments in the agriculture through their broadcasts and also like the weather broadcasts they will broadcast as to when and during which week the water will flow in the canals of different areas ?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न से ऐसा लगता है कि माननीय मित्र इस कार्यक्रम को नहीं सुनते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सुने बिना अपना विचार बना लिया है।

श्री महाराज सिंह भारती : मैंने इस कार्यक्रम को सुना है और मैं इसको सुनकर बहुत 'बोर' हुआ हूँ।

श्री इ० कु० गुजराल : यदि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना है तो वह नहीं जानते कि आधुनिक खेती क्या है। अन्यथा वह ऐसा नहीं कह सकते थे। यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी रहा है क्योंकि केवल गत वर्ष ही लगभग 85,000 किसानों ने लगभग 20 केन्द्रों से इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात आकाशवाणी को अपने सुझाव भेजे हैं। हमने स्वतंत्र रूप से भी मूल्यांकन किया है। मैं एक छोटा पैरा पढ़ कर सुनाता हूँ जिसमें माननीय सदस्य की बातों का खण्डन किया गया है। इसमें कहा गया है कि आकाशवाणी के फार्म तथा होम सेलों के अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अधिकांश किसान इन कार्यक्रमों से अवगत हैं और इनमें रुचि लेते हैं और उन्होंने रेडियो के सुनने के पश्चात अधिक उपज देने वाली किस्मों को अपनाने का प्रयत्न भी किया है।

यह फार्म तथा होम यूनिट मूल रूप से फार्म-प्रधान हैं क्योंकि प्रत्येक यूनिट में फार्म रेडियो आफिसर होता है जिसको राज्यों की कृषि सेवाओं से लिया जाता है और हम उनको बदलते भी रहते हैं। वे देश के विश्वविद्यालय अनुसंधान एककों से निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा विचार पन्त नगर में एक टेप-रिकार्ड स्टूडियो स्थापित करने का है ताकि नवीनतम अनुसंधानों को तुरन्त प्रसारित किया जा सके। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि यह यूनिट आकाशवाणी की एक अच्छी और वास्तविक सफलता है और देश के सभी भागों से ऐसे और अधिक यूनिट स्थापित करने की मांग की जा रही है।

Shri Maharaj Singh Bharati: I am proud of the fact that I am one of the practical farmers. I use latest technique and high yielding variety of seeds. The Hon. Minister should not think that a non-farmer has come here with the votes of the farmers. He should not think that no body knows A. B. C. of the agriculture like him. I want to request that view points of both the sides should be broadcast as is being done in the case of documentaries prepared by the Information Department. The new seed developed by the Pant Nagar University after excluding thicker grains of wheat has harmed the farmers. This aspect has not been broadcast by this unit. You put forth only one side of the picture. Suggestions given by the farmers are censored. If you put forth both sides the farmers will know the real thing.

Shri I. K. Gujral: I agree with you that we put forth only one side i. e. progressive farming for improving the condition of the people and there is no controversy over it.....
(interruptions)

The officer goes to the field after keeping himself in touch with the Agricultural University and Agricultural Department. He listens to the problems of the people and solutions to the problems are announced from the All India Radio. During the days of farming necessary guidance in regard to giving water to the fields and also what to do in the days of frost is given to them. I think you are convinced in your mind that All India Radio is doing good work although you are criticising it outwardly.

श्री चेंगलराया नायडू : यद्यपि प्रसारण विभाग कृषि कार्यक्रमों को भारसाधक बनाने के लिए कृषि विभागों से ही व्यक्ति लेता है तथापि वे लोग वे होते हैं जिन्होंने कृषि में केवल परीक्षाएं ही पास की होती है। उनकी फार्मों को कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। यही कारण है प्रसारण करते समय वे ठीक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते और इसके फलस्वरूप किसान उनको समझ नहीं पाते। क्या सरकार इस विभाग में उन लोगों को रखने पर विचार करेगी जिनको फार्म का अनुभव हो और जो स्वयं की ऐसी भाषा में व्यक्त कर सकें जो कि किसानों को आसानी से समझा सके।

दिल्ली में अब टेलीविजन हैं और इसको हम कुछ अन्य स्थानों पर लागू करने जा रहे हैं। क्या सरकार पंतनगर विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालयों से और अनुसंधान केन्द्रों और कुछ फार्मों से इन कार्यक्रमों में तस्वीरें दिखाने को तैयार है ताकि किसान स्वयं इन सब बातों को देख सकें? क्या सरकार दिल्ली से बाहर ग्रामों में कम से कम इस उद्देश्य हेतु टेलीविजनों का वितरण करेगी।

श्री इ० कु० गुजराल : फार्म और होम के प्रत्येक यूनिट में पांच व्यक्ति होते हैं अर्थात् फार्म रेडियो आफिसर, फार्म रेडियो आपरेटर, फील्ड अस्सिस्टेंट, लिपिकार, और मोटर चालक, पहले तीन व्यक्ति राज्यों की कृषि सेवाओं से लिए जाते हैं। अतः वे अनुभवी व्यक्ति होते हैं परन्तु केवल विश्वविद्यालयों के स्नातक।

दूसरी बात तकनीकी शब्दों के प्रयोग के बारे में कही गई है। विज्ञान का विकास हो रहा है और अधिक से अधिक तकनीकी शब्द प्रयोग में लाये जा रहे हैं अतः लोगों को इन शब्दों से परिचित होना होगा। उदाहरण के रूप में यदि यूरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसमें मैं और आप कुछ सहायता नहीं कर सकते। इन कार्यक्रमों का एक वास्तविक प्रयोजन किसानों को इन शब्दों से परिचित कराना भी है ताकि वे स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकें।

सप्ताह में दो बार बुधवार और शुक्रवार को 20 मिनट के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम भी किया जाता है जोकि वैसा ही है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री नि० रं० लास्कर : माननीय मंत्री ने कहा है कि किसानों में ग्रामीण कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं, क्या ऐसा कोई तरीका अथवा व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन कार्यक्रमों से किसानों को किस हद तक लाभ हुआ है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों ने अपनी सुविधानुसार कार्यक्रमों का समय बदलने के लिये कोई सुझाव दिये हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : ये कार्यक्रम खेतों में चलाये जाने वाले हैं और फील्ड आफिसर किसानों के साथ बातचीत करते हैं और जब वे वापिस आते हैं तो फिर वे अनुसंधान संगठनों के साथ बातचीत करते हैं। यदि वे किसान समय में परिवर्तन का सुझाव दें तो हम समय बदल लेते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अन्य प्रकार की जानकारी भी दी जाती है। जैसे यदि प्रातःकाल हमें पांच मिनट का भी समय मिलता है और यदि कोई असाधारण बात हो तो हम उन्हें उसकी जानकारी देते हैं। जैसे यदि कोहरा पड़ रहा हो तो हम उन्हें बताते हैं कि कोहरा पड़ रहा है और वे जाकर खेतों में कार्य करें जिससे तत्काल सहायता उपलब्ध की जा सके।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether Government is aware that most of the Community Radio sets are lying unused for want of repairs? Whether it is also a fact that Government is omitting this scheme from their planning. In the absence of Radio Sets in the villages what will be the alternative media for propagating information relating to agricultural schemes? I want to know the reasons as to why this scheme is being scrapped and they do not think of implementing it in entirety?

श्री इ० कु० गुजराल : आजकल गांवों में ट्रांजिस्टर आ गये हैं और इसीलिये वहां पर स्थान स्थान पर ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। यह ठीक है कि सामुदायिक श्रवण योजना को अधिक सफलता नहीं मिली है और बहुत से सेट नहीं चल रहे हैं। हमने उस योजना पर अधिक जोर नहीं दिया क्योंकि यदि वहां पर ट्रांजिस्टर लोकप्रिय हो जायें तो अच्छा है जिससे लोग अपने

व्यक्तिगत सेट रख सकें। इस वर्ष हमने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है और इस बात को राज्यों पर छोड़ दिया है कि सामुदायिक सेट का प्रयोग करें या न करें।

श्री एस० कण्डप्पन : किसानों के साथ सम्पर्क बनाने में सरकार ने कुछ प्रयत्न किये हैं परन्तु इस सम्बन्ध में अभी काफी कार्यवाही की जा सकती है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये इस कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया है? प्रसारण के समय जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह आम जनता की भाषा नहीं होती। इस कार्यक्रम की प्रशंसा में जो पत्र मंत्री महोदय को मिले हैं वे शायद उन्हें नगरीय क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुए होंगे। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या उसकी भाषा आम जनता तक पहुंचती है?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक पत्रों का सम्बन्ध है, वे प्रशंसा के पत्र नहीं हैं वे श्रोताओं के पत्र हैं जिनमें उन्होंने सुझाव दिये हैं और कुछ पूछताछ आदि की है। ये पत्र उनके भाग लेने के द्योतक हैं; ये प्रशंसा के पत्र नहीं हैं।

जहां तक ठोस अध्ययन का सम्बन्ध है, वह सारी लाइन पर किया जाता है। भारतीय जनसाधारण संचार संस्था भी, जो एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र निकाय है, इस सम्बन्ध में अनुसंधान करती है (व्यवधान); मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम इस बात का दावा नहीं करते कि हमने सर्वोत्तम सफलता प्राप्त कर ली है। हमें उन्नति करनी चाहिये और उन्नति की कोई सीमा नहीं है। हमें अपना विकास करते रहना चाहिये।

अल्प सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTION

Shortage of Fodder and Drinking Water in Drought Affected Areas of Rajasthan

S.N.Q.No. 16. **Shri Onkar Lal Bohra :** **Shri K. Lakkappa :**
Shri S. K. Tapuriah : **Shri N. K. Somani :**
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great dearth of fodder and drinking water in famine-stricken areas of Barmer, Jaisalmer and Bikaner Districts of Rajasthan ;

(b) whether the Central Government are giving any immediate special financial help to the Government of Rajasthan for providing help to the cattle owners to save the cattle from dying due to this imminent crisis ; and

(c) if so, the extent and nature of the financial assistance and the period for which help was given ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) से (ग). बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर सहित राजस्थान के पश्चिमी जिलों में

लगातार सूखे की स्थिति रहने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने चारे और पीने के पानी की उपलब्धि के बारे में कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगा लिया था और अक्टूबर, 1968 से मवेशियों की राहत के लिये सहायता उपाय गठित करने शुरू कर दिये थे। राज्य के किसी भी भाग में हाल ही में मवेशियों की स्थिति में कोई अचानक गिरावट नहीं आई है।

मवेशियों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों से पड़ोसी राज्यों को और राज्य में उन क्षेत्रों को जहां सूखे की प्रखरता अपेक्षाकृत कम है, मवेशी भेजने के लिये प्रबन्ध किये हैं। पर्याप्त मात्रा में चारा अधिप्राप्त करने और आयात करने, उसको मुफ्त अथवा सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई करने और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये भी प्रबन्ध किये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सूखा सहायता के लिये 13.16 करोड़ रुपये दिये हैं। केन्द्रीय दल जिसने हाल ही में दूसरी बार राजस्थान का दौरा किया है, की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और धनराशि दी जायेगी। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Onkar Lal Bohra : Government should consider it as a national crisis and give assistance to the famine stricken people as such. I may point out that assistance given by the centre is inadequate, keeping in view the magnitude of this problem. Moreover the assistance is partly in the form of a grant and partly in the form of a loan. I may suggest that the entire assistance should be treated as grant. The loan should be given for productive and developmental works. Keeping in view imminent danger in summer ahead I want to know whether Government are contemplating to give immediate and extra-ordinary assistance to Rajasthan ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें इस सम्बन्ध में कठिनाइयों का पता है। राजस्थान के पशुधन में सुधार किया जा रहा है और पशुधन का महत्व राजस्थान की दृष्टि से ही नहीं, सारे देश की दृष्टि से है।

एक माननीय सदस्य : मानव जाति का अधिक महत्व है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी हां, मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसा कि मैंने बताया है केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि यह सहायता अधिकांश ऋण के रूप में है। वित्त आयोग ने इस प्रकार की सिफारिश की है। वित्त आयोग इस सम्बन्ध में फिर विचार कर रहा है और हम वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये बाध्य हैं।

जहां तक पीने के पानी की सुविधाओं का सम्बन्ध है, लगभग 200 ट्रक और टैंकर और तीन टन वाली 13 टैंकर 1,108 देहातों में कार्य कर रहे हैं। मनुष्यों तथा पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये विशेष राज-सहायता दी जा रही है।

Shri Onkar Lal Bohra : There are tubewells in the Security offices located there but people are not allowed to draw water from those tubewells. The water problem is serious one. May I know whether Government will take an early decision on the proposal sent by the State Government for installation of 500 tubewells? I also want to know whether Government would give additional assistance for fodder keeping in view the condition of cattle?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान की इन दोनों समस्याओं के प्रति हमारा रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। वे अधिक नलकूप लगायेंगे तो हम उनकी सहायता करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : योजना आयोग के एक दल ने अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राजस्थान का हाल ही में दौरा किया था। मेरे विचार में उस दल की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा योजना आयोग की कटुतम आलोचना किये जाने के कारण क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी, योजना आयोग के अनुसार उन्हें कितनी धनराशि की आवश्यकता है और राज्य सरकार की मांग और योजना आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन का अन्तर किस प्रकार पूरा किया जायेगा? सस्ते मूल्यों की दुकानों से कितना अनाज सस्ती दरों पर बेचा गया है और कितना मुफ्त सप्लाई किया गया है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान सरकार की आवश्यकता के बारे में शायद किसी ने कोई आंकड़े दिये हों। परन्तु योजना आयोग ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके उनकी आवश्यकताओं का ब्योरेवार अध्ययन किया है। उसमें कोई विरोध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही दल कोई सुझाव देगा। आगामी तीन या चार दिन में यह दल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। परन्तु ये सीमाएं राहत के वास्तविक कार्य में बाधक नहीं होंगी। पिछले अवसर पर दल ने 9 करोड़ रुपये का सुझाव दिया था परन्तु वास्तव में 12 करोड़ रुपये दिये गये थे। हमारे पास प्रतिवेदन पहुंचने तक राज्य सरकार को राहत के कार्य को रोकना नहीं है। दल का प्रतिवेदन अधिकतम सीमा निर्धारित करने में उपयोगी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा दैनिक रूप से किये जाने वाले कार्यों का इस प्रतिवेदन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

सस्ते मूल्यों की दुकानों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की अपनी कठिनाई है क्योंकि वहां बिक्री अधिक नहीं है। उनके भण्डार में काफी अनाज जमा है और भारतीय खाद्य निगम भी उन डिपुओं पर काफी मात्रा में अनाज सप्लाई करता है। हम ज्वार 55 रुपये और गेहूं 70 रुपये की दर से देते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार ने कम बिक्री के कारणों की जांच की है? वे गेहूं से 4 रुपये सस्ता ज्वार दे रहे हैं, इस दर पर ज्वार कौन लेगा?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने निःशुल्क उपहार के बारे में भी पूछा था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने मुफ्त बांटने के लिए लगभग 200 टन दिया था। “केयर” आदि जैसी स्वयंसेवी संगठन 2,50,000 लोगों के लिये सहायता कार्य कर रहे हैं।

श्री रंगा : सरकार केवल 200 टन दे रही है। उनके लिए शर्म की बात है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रोफेसर साहिब यह भूल गये हैं कि निःशुल्क राहत देने का भी एक तरीका है। 200 टन मुफ्त बांटने के लिए है। परन्तु निःशुल्क राहत केवल उस मात्रा तक ही सीमित नहीं है जो हम निःशुल्क वितरण के लिए सप्लाई करते हैं। वास्तव में गत वर्ष के भण्डार से हमारे पास कुछ अनाज था और जब भी कभी आपतकाल की स्थिति पैदा हुई तभी हमने निःशुल्क सप्लाई की है। फिर निःशुल्क राहत उस अनाज में से भी हो सकती है जो हम राज्य सरकार को अनाज देते हैं।

श्री ए० श्रीधरन : क्या सरकार ने इस गम्भीर स्थिति के साथ, जहां हजारों लोग मर गये हैं और जहां जीवन के लिये भयंकर संघर्ष जारी है, निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने के बारे में कभी सोचा है और क्या उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से अपील की है क्योंकि राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है जिससे सारा देश मिलकर इस चुनौती का मुकाबला प्राप्त कर सके ?

श्री जगजीवन राम : राजस्थान राज्य आत्मसम्मान वाला राज्य है और राजस्थान की जनता स्थिति का मुकाबला करने के लिये अपने आप को सक्षम समझती है। इसीलिए राजस्थान अन्य राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी राज्य के पास नहीं गया। मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता को बधाई देता हूँ। उन्होंने कुछ राज्यों से चारा भेजने के लिए अनुरोध किया है। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, मैं किसी राज्य सरकार से नहीं कहूंगा। मैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई कर रहा हूँ। अतः राजस्थान अन्य राज्यों से दान नहीं प्राप्त करेगा।

श्री ए० श्रीधरन : दान नहीं, भारत के अन्य राज्यों से सहायता मांगने का उन्हें अधिकार है।

श्री जगजीवन राम : इसका निर्णय राज्य सरकार को करना है।

श्री ए० श्रीधरन : परन्तु मंत्री महोदय ने उनसे पूछा नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : इस बात का निर्णय राज्य सरकार को करना है कि वह अन्य राज्य सरकारों से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पशुओं के लिये चारा सप्लाई करने में उनकी सहायता की है।

श्री क० लक्ष्मण : क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि राजस्थान की स्थिति जान लेने के बाद इस सरकार ने भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कोई स्थायी उपाय किये हैं ? यहां पशुओं के लिए चारा नहीं है और मनुष्यों के लिये अनाज नहीं है। राजस्थान में लोग

मक्खियों की तरह मर रहे हैं। राजस्थान में अखिल भारतीय स्तर पर अकाल सम्बन्धी एक स्थायी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। जिन्हें स्थिति का मुकाबला करने के लिये उनमुक्त अधिकार दिये जायें (व्यवधान) यदि नहीं तो क्या मैं मंत्री महोदय से त्याग-पत्र देने की मांग कर सकता हूँ क्योंकि वह इस चुनौती का मुकाबला करने में असमर्थ हैं ?

श्री जगजीवन राम : राजस्थान के लोग मक्खियां नहीं, ब्रे स्वाभिमानी लोग हैं (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को उस क्षेत्र में जाने के लिए सभी सुविधाएं देने के लिये तैयार हूँ जिससे वह यह देख सकें कि उस क्षेत्र की समस्या के स्थायी समाधान के लिये राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। यदि आप वहां जाकर देखें तो पायेंगे वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह खेद की बात है कि जब हजारों लोग कुपोषण और भुखमरी से मर रहे हैं, संसद् द्वारा तथा मंत्रालय द्वारा इस बात की बाल की खाल उतारी जा रही है कि क्या भुखमरी है और क्या नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान जैसे भाग्यहीन राज्य को लगातार भीषण दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ रहा है और जिसके कारण वहां के लोगों को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह इस बारे में कार्यवाही करे क्योंकि यह भारत के एक भाग का मामला है। क्या सरकार राजस्थान सरकार पर इस बात के लिये जोर नहीं देगी कि वह एक व्यापक आकार की अच्छी योजना आरम्भ करे ? यद्यपि राजस्थान सरकार का दावा है कि वह युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। उसने सारे वर्ष में 500 नलकूपों की व्यवस्था की है जबकि बिहार जैसे राज्य ने दस महीने की अवधि में लगभग 10,000 नलकूपों की तथा अन्य कूपों की व्यवस्था की है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि दोनों मामलों में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं किन्तु मैं यह चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से कहे कि समस्या का हल राज्य सरकार को करना है और धन केन्द्रीय सरकार को देना है इसलिये वह अधिक कारगर ढंग से तथा उत्साहपूर्वक कार्य करे। पानी की कमी की समस्या के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कल कहा था कि उन्हें प्रातः 4 बजे ऊंट भेजने पड़ते हैं और रात को देर से दूरस्थ गावों में पीने के पानी के छोटे बर्तन लेकर लौटते हैं। इस बात को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पानी बांटने के काम पर सैनिक जवानों को लगाया जा सकता है, क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय से बातचीत करेंगे ? इस सुझाव को प्रधान मंत्री महोदय ने, जिन्हें हमने कल इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बुलाया था, भी पसन्द किया था कि सेना की सहायता ली जाये ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम इस बारे में गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा है। केन्द्र की सहायता से राजस्थान सरकार ने कार्य आरम्भ किया है और हमें आशा है कि स्थिति में सुधार हो जायेगा। पीने के पानी की व्यवस्था के लिये ट्रकों और टैंकों का उपयोग किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण के कार्य के लिए हमारे मंत्रालय की अनेक मोटरगाड़ियां हैं जो पानी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को दे

दी गई हैं। राजस्थान सरकार ने हमें बताया है कि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और यदि वह प्रतिरक्षा मंत्रालय से और सहायता चाहे तो हम इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अमृत नाहटा : पश्चिम राजस्थान के लोगों की सबसे भीषण समस्या पीने के पानी की है और मुझे संदेह है कि कृषि मंत्रालय इस पर विचार-विमर्श कर सकता है। कुछ महीने पहले मैंने रेलवे मंत्री को लिखा था कि यदि पीने की समस्या हल करनी है तो अप्रैल, मई और जून के महीनों में पानी लाने के लिये दो विशेष रेलगाड़ियों की, एक गदरा सड़क से और दूसरी स्कामदरी से, आवश्यकता होगी। यह पत्र मंत्री महोदय ने रेलवे बोर्ड को और रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर को भेज दिया और अन्त में यह पत्र एक लोअर डिवीजन क्लर्क के पास पहुंचा जिसने दो महीने बाद यह उत्तर दिया कि पानी की ढुलाई के लिये वैगन उपलब्ध नहीं हैं। अब पानी की कमी के कारण यात्री गाड़ियां भी बन्द कर दी गई हैं। तब भी पानी ले जाने के लिए विशेष गाड़ियां नहीं चलाई गई हैं। लोग भूख की अपेक्षा प्यास से मर रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पानी न मिलने से बड़ी संख्या में लोग पेचिस और अन्य रोगों से मर गये हैं। उनमें पानी के तत्व समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में लोग मर गये हैं। कुछ महीने पहले मैंने जब यह कहा था कि लोग मर रहे हैं तो तुरन्त उसका खंडन किया गया था। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्षों बाद इस गांधी शताब्दी वर्ष में लोग पानी न मिलने के कारण मर रहे हैं। क्या सरकार राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने के लिये सेना की मोटरगाड़ियों तथा सेना के जवानों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये तैयार है? क्या सरकार पानी की ढुलाई के लिये तुरन्त दो विशेष गाड़ियां चलायेगी? क्या वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई पाइप लाइनों तथा नलकूपों की योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित करेगी ताकि कम से कम पीने का पानी सप्लाई करके लोगों के कष्ट कम हो सकें।

श्री जगजीवन राम : जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा जा चुका है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री नाथपाई : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के साथ न्याय नहीं किया गया है। सरकार पर्याप्त उत्तर नहीं देती है?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का विकास

*1294. श्री जाजं फरनेन्डीज : क्या अम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का शीघ्रता से आर्थिक और सामाजिक

विकास करने के सम्बन्ध में योजनाएं सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से वापस आये हुए भारतीयों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (घ). अन्दमान व निकोबार द्वीपों में त्वरित विकास का एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसरण में, भूतपूर्व सैनिक, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासी तथा बर्मा व श्रीलंका से लौटे भारतीयों को उन द्वीपों में बसाया जा रहा है। अमल में लाई जा रही योजनाओं का ब्योरा एक विवरण में है जोकि सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. प्रधान मंत्री द्वारा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह को विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र समेकित साधनों के विकास के लिए और विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि के लिये अधिक उपयुक्त है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के समेकित साधनों का विकास करना है।

2. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के समेकित साधन विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए पुनर्वासि विभाग द्वारा एक अन्तर्विभागीय दल गठित किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1966 में प्रस्तुत की थी। दल की सिफारिशों में, 1965 के मध्य की लगभग 75,000 जन-संख्या को 1971 तक दो गुना करने तथा, 1976 के अन्त तक उसमें और एक लाख की वृद्धि करने को दृष्टि में रखा गया है। आगामी दस से पन्द्रह वर्षों में 1.25 लाख एकड़ भूमि का उद्धार करने और उसको कृषि तथा रबड़, नारियल, सुपारी इत्यादि जैसी फसलों के लिए उपयोग दृष्टि में रखा गया है। मछली पकड़ने की वर्तमान 200 टन वार्षिक क्षमता को 2,000 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जायेगा। लकड़ी के कार्यों पर आधारित बहुत से उद्योग और इसके अतिरिक्त निर्यात की दृष्टि से एक चीनी की मिल की स्थापना की जायेगी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जायेंगे।

3. अन्तर्विभागीय दल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुये विशिष्ट परियोजना प्रति-वेदन तैयार किए जा रहे हैं। इन पर भारत सरकार द्वारा विचार कर के निर्णय लिये जायेंगे।

4. हाथ में ली गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्न में दी गई है :—

(i) बेटापुर तथा नील द्वीप में व्यवस्थापन योजनाएं :

(क) बेटापुर व्यवस्थापन योजना .

2050 एकड़ वन-भूमि क्षेत्र के वृक्षों आदि को गिराकर उसका उद्धार किया गया है।

भूमि व्यक्तिगत आधार पर 330 प्रव्रजक परिवारों को अलाट की गई है और उन्हें पुनर्वासि सहायता दी जा रही है। इस भूमि पर प्रव्रजक अलाटियों द्वारा पिछले कृषिकाल में धान, पटसन तथा सब्जियां उगाई गई थीं।

(ख) नील द्वीप व्यवस्थापन योजना :

नील द्वीप में लगभग 1,300 एकड़ वन-भूमि से पहले ही इमारती लकड़ी को साफ किया जा चुका है और इस भूमि में से 200 एकड़ क्षेत्र को साफ करके 86 परिवारों द्वारा बुवाई की जा रही है। इन परिवारों को अप्रैल, मई, 1967 में द्वीप में भेजा गया था। लगभग 84 अन्य परिवारों को इस वर्ष के अन्तर्गत यहां भेजा जायेगा। इस द्वीप में धान और सब्जियां उगाई गई थीं।

(ii) रबड़ गवेषण एवं विकास केन्द्र की स्थापना :

500 एकड़ भूमि पर 39.31 लाख रुपये की लागत के रबड़ गवेषण एवं विकास केन्द्र की एक योजना मंजूर कर दी गई है। 500 एकड़ के कुल क्षेत्र पर पेड़ लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। पौधे भली प्रकार उग रहे हैं। इस स्थान पर बर्मा से स्वदेश लौटे 37 परिवार मजदूरी का कार्य कर रहे हैं।

(iii) वाणिज्यिक रबड़ बागान योजना, कच्छल :

कच्छल द्वीप में लगभग 6000 एकड़ भूमि पर 450 लाख रुपये की लागत से वाणिज्यिक आधार पर रबड़ बागान लगाने की एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। 150 एकड़ क्षेत्र पर पौधे लगाये जा चुके हैं और आगामी कार्यकाल में 265 एकड़ भूमि पर पौधे लगाये जायेंगे। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 1200 परिवारों को रोजगार मिलने की संभावना है।

(iv) मैन्ग्रोव जंगलों का उद्धार :

नदी अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल, के निदेशक की अध्यक्षता में एक तकनीकी दल ने द्वीप समूह का दौरा करके सूचित किया है कि वहां लगभग 230 वर्ग मील मैन्ग्रोव जंगलों का उद्धार करने के लिये काफी अच्छी गुंजाइश है। मैन्ग्रोव जंगलों का उद्धार कार्य हाथ में लेने से पूर्व आवश्यक सर्वेक्षण तथा जांच करने के लिये अनुसंधान दल की स्थापना का प्रस्ताव है।

(v) मीन क्षेत्र :

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावनाओं की खोज के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। तट से दूर तथा द्वीपों में मछली पकड़ने का एक कार्यक्रम भी विचाराधीन है।

(vi) ग्रेट निकोबार द्वीप में भूतपूर्व सेना कर्मचारियों का व्यवस्थापन :

ग्रेट निकोबार द्वीप को खोलने के सम्बन्ध में पहले ही प्रारम्भिक कदम उठाये जा चुके हैं यह निश्चय किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को द्वीप में बसाया जाये। भूतपूर्व

सैनिकों के 69 परिवारों का पहला जत्था 18 अप्रैल, 1969 को जहाज द्वारा निकोबार द्वीप में भेज दिया गया था ।

(vii) लिटल अन्दमान :

लिटल अन्दमान में नई बस्ती बनाने का निश्चय किया गया है । शुरू में 1500 एकड़ भूमि का उद्धार किया जायेगा । पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन का एक पूर्ण यान्त्रिकृत यूनिट इस द्वीप में भेज दिया गया है ।

(viii) अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था :

वर्तमान अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं को पूर्ण किया जा रहा है । कच्छल द्वीप में अवतरण सुविधायें पहले ही दे दी गई हैं । लिटल अन्दमान, ग्रेट निकोबार, नील, हेवलाक तथा कमोरता द्वीपों तथा माया बन्दर में भी समुचित अवतरण सुविधाएं दी जा रही हैं । ग्रेट निकोबार तथा लिटल अन्दमान द्वीपों में अस्थायी अवतरण सुविधाएं दी जा चुकी हैं ।

(ix) मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच तथा द्वीपों में आन्तरिक समुद्री परिवहन का विस्तार :

मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच तथा आन्तरिक द्वीपों में वर्तमान समुद्री परिवहन का विस्तार किया जा रहा है । सरकार ने चार नये जहाज बनाना तथा एक इस्तेमाल की हुई यात्री और माल नाव का अभिग्रहण करना मंजूर कर लिया है । एक पुराना जहाज, टी० एस० एस० 'बाम्बे' तथा एक लकड़ी वाहक, एम० बी० शोम्पेन अर्जित कर लिये गये हैं और इन दोनों जलयानों ने अपनी सेवायें शुरू कर दी हैं । एक इस्तेमाल किये हुए यात्री तथा माल जलयान की, जिसका अभिग्रहण पहले किया गया था, आवश्यक मरम्मत करके उससे काम लेना शुरू कर दिया गया है । 'येरवा' प्रकार के एक नये यात्री तथा माल जलयान का जिसका नाम 'एस० एस० ओगे' है, निर्माण पूर्ण हो चुका है । अन्दमान द्वीपों में आन्तरिक द्वीप परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस जलयान का प्रयोग किया जा रहा है ।

(x) वायु परिवहन को सुदृढ़ करना

वायु परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ; सप्ताह में एक बार की वायु सेवा के स्थान पर 11-11-1968 से सप्ताह में दो बार वायु सेवा चालू की जा चुकी है । मुख्य भूमि और पोर्ट ब्लेयर के मध्य सभी मौसमों में वायु सेवा प्रदान करने के प्रश्न की जांच इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप में गठित किये गये एक तकनीकी दल द्वारा की गई थी । दल ने बहुत से अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की । पहले ही किये जा चुके कुछ अल्पकालीन उपायों में वर्तमान हवाई पट्टी का 6000 फीट तक बढ़ाना, एक स्थान संकेत द्वीप तथा 'वी० ओ० आर०' की व्यवस्था करना, वर्तमान अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा दूरस्थ पवन सूचक यन्त्र की स्थापना करना शामिल है । दल की दीर्घकालीन सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

Bringing down of Cost of Production of Major Crops

*1295. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether any proposal to bring down the cost of production of the major crops in India is under the consideration of Government ; and

(b) if so, the details thereof and the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No specific proposal for bringing down the cost of production of major crops in India as such is under the consideration of the Government of India. However, steps taken under the various agricultural production programmes to raise the yield per acre and productivity of land would result in a reduction in cost per unit of output.

**टेलीफोन ग्राहकों द्वारा संयुक्त रूप से टेलीफोन को प्रयोग करने
सम्बन्धी योजना**

*1296. **श्री सीता राम केसरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेलीफोन ग्राहकों द्वारा संयुक्त रूप से टेलीफोन का प्रयोग करने सम्बन्धी एक योजना चालू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) संयुक्त रूप से टेलीफोन का प्रयोग करने की सेवा केवल ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रहेगी जोकि सर्कलों/परिमंडलों के अध्यक्षों द्वारा समय-समय पर खास तौर पर केबिल युग्मों की कमी वाले क्षेत्र घोषित किये जाएंगे । प्रत्येक टेलीफोन उपभोक्ता को अलग टेलीफोन नम्बर दिया जायगा, किन्तु दो टेलीफोन उपभोक्ता एक केबिल युग्म का संयुक्त रूप से उपयोग करेंगे ।

(ii) यह सुविधा टेलीफोन के लिए आवेदन देने वाले ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें अन्यथा कनेक्शन मंजूर किये गये हैं, लेकिन केबिल युग्मों के अभाव में इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती । मौजूद उपभोक्ता भी इसके लिए विकल्प देकर अपने टेलीफोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले टेलीफोनों में परिवर्तित करवा सकते हैं ।

(iii) यह सेवा पहले उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके नाम 'अपना टेलीफोन योजना' की सूची पर दर्ज हैं और उसके बाद अपना टेलीफोन योजना से इतर सूची वालों को, किन्तु दोनों वर्गों की परस्पर अग्रता को बनाये रखा जाएगा।

(iv) अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं और इससे इतर उपभोक्ताओं को परस्पर संयुक्त रूप से टेलीफोन रखने की अनुमति होगी।

(v) किसी एक साझीदार का किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में यह सेवा दोनों उपभोक्ताओं से वापस ले ली जाएगी, लेकिन इनमें से किसी भी उपभोक्ता को किसी नये आवेदक के साथ संयुक्त रूप से सेवा प्रदान करने के लिए प्रयत्न किये जाएंगे।

(vi) संयुक्त रूप से टेलीफोन रखने की सेवा के कनेक्शनों के लिए उतना ही प्रभार लिया जायेगा जितना अलग कनेक्शनों के लिये लिया जाता है, किन्तु ऐसे सभी कनेक्शनों के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में 15 रुपये और अन्य स्थानों पर 12 रुपये प्रति तिमाही छूट दी जाएगी।

(vii) किन्तु संयुक्त रूप से टेलीफोन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में केबिल युग्मों के उपलब्ध होने पर स्वतंत्र रूप से टेलीफोन का हकदार होने में किसी तरह से तरजीह नहीं दी जाएगी। ऐसे कनेक्शन सामान्य ढंग से प्रतीक्षा सूची में वारी आने पर ही दिए जाएंगे।

(viii) संयुक्त रूप से टेलीफोन रखने पर भी भारतीय तार नियम उसी तरह से लागू होंगे जैसे मौजूदा टेलीफोनों पर लागू होते हैं और विभाग को किसी भी उपभोक्ता से किसी भी समय यह सेवा वापस लेने का अधिकार होगा।

Sale and Income from Postal Stationery after Revision of Rates

*1297. **Shri Yashpal Singh :**

Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the decrease in the sale of post-cards and inland letters and envelopes till the 31st December, 1968 in comparison to the last year's sale during the same period in terms of their number as a result of the increase in the postal rates ; and

(b) the increase or decrease in the income of the Post and Telegraph Department as a result of the enhancement of rates during the above period ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): (a) The information is being collected from the subordinate units and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(b) According to the Revised Estimates 1968-69 the increase is estimated at about Rs. 15 crores for the whole year as a result of the revision of all the P and T rates which were changed last year.

खेती वाली भूमि का भू-सर्वेक्षण

*1298. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेती की जाने वाली सभी भूमि का भू-सर्वेक्षण कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां। देश के कृषि गत क्षेत्रों में क्रम बद्ध भूमि सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय तथा राजकीय क्षेत्रों में अनेक योजनाएं हैं।

(ख) अनेकों विकास कार्यक्रमों जैसे प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के मिले-जुले क्षेत्रों में तथा नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण-क्षेत्रों के सर्वेक्षणों, भूमि सुधार, समस्या मूलक क्षेत्र सर्वेक्षण, सामान्य टोह सर्वेक्षण तथा भूमि सर्वेक्षण किया जायगा। इन क्षेत्रों में आने वाली सारी भूमि सर्वेक्षणों के अन्तर्गत आ जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों की भूमि सर्वेक्षण आवश्यकताओं के अनुसार अधिक क्षेत्रों को आवरित करने के लिए केन्द्रीय तथा राजकीय भूमि सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्षद्वीप में मछली पकड़ने के लिये नौकाओं का निर्माण

*1299. श्री प० मु० सईद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 से अब तक लक्षद्वीप में कितने व्यक्तियों को मछुओं के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों को "पैबलों" नौकाएं दी गई हैं और कितने व्यक्तियों को मत्स्यपालन विभाग में नियुक्त किया गया है ;

(ख) मछली पकड़ने के हेतु "पैबलों" नौकाएं दिये जाने के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और उनमें से कितने आवेदनकर्ता प्रशिक्षित मछुए हैं ;

(ग) कवारथी स्थित नौका निर्माण कारखाने की वार्षिक नौका निर्माण क्षमता कितनी है और क्या यह आवेदनकर्ताओं की नौका सम्बन्धी मांग को पूरा कर सकता है ; और

(घ) कवारथी में निर्माण के अतिरिक्त मुख्य भूभाग से नौकाएं खरीदने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। जैसा कि गृह मंत्री से संबद्ध लक्षद्वीप की सलाहकार समिति ने निर्णय किया था ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965 से अब तक, मात्स्यकी में 24 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से चार व्यक्तियों को नौकाएं दी गई थीं और 9 व्यक्तियों को मात्स्यकी विभाग में नियुक्त कर लिया गया था।

(ख) विभाग में पास पैबलों नौकाओं के लिये 78 आवेदन बाकी हैं जिनमें 8 प्रशिक्षित मछुए भी सम्मिलित हैं।

(ग) कवारती में लगभग 10 पैबलों नौकाएं बनाने की वार्षिक क्षमता है। कवारती स्थित मौजूदा नौका निर्माणशाला से पैबलों नौकाओं की मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है।

(घ) मौजूदा मांग को पूरा करने के लिये लक्षद्वीप प्रशासन "मेनलैंड" से नौकाएं खरीदने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। नौका बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

Resettlement of Ex-Servicemen in Andaman Islands

*1300. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Islands of Andamans are quite near Sumatra and as such they are of strategic importance ;

(b) whether Government have under consideration any scheme for settling ex-Servicemen there ; and

(c) if so, the number of ex-Servicemen who are likely to be settled there and the expenditure likely to be incurred by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A pilot scheme for the resettlement of 100 families of ex-Servicemen in Great Nicobar island at an estimated cost of Rs. 59.01 lakhs has been approved. A batch of 69 families of ex-Servicemen sailed from Calcutta to Great Nicobar on the 18th April, 1969. Other families will follow in due course.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की वसूली

*1301. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने अब तक राज्यवार कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की वसूली की है ; और

(ख) क्या इस वसूली से राशनिंग वाले क्षेत्रों की खाद्यान्नों की मांग पूरी हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विपणन मौसम 1968-69 में 31 मार्च, 1969 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से सीधे अधिप्राप्त चावल और गेहूं की अलग-अलग मात्रा बताने वाले दो विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या० एल० टी० 872/69]

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई अधिप्राप्ति अंशतः केन्द्रीय भण्डार और अंशतः राज्य के खाते के लिये है। राशन वाले क्षेत्रों में सप्लाई की व्यवस्था केन्द्रीय और राज्य दोनों के भंडारों (जब कभी आवश्यक होता है) से की जाती है और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार यह सप्लाई देश में अधिप्राप्त अनाज अथवा आयातित अनाजों की हो सकती है।

टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

*1302. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में टेलीफोन सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार किया गया है किन्तु बड़े नगरों में टेलीफोन सम्बन्धी मांग उपलब्ध सुविधाओं के मुकाबले बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कुल साधनों की सीमाओं के भीतर टेलीफोन सेवाओं के पर्याप्त विस्तार के लिये आगे और योजना बनाई जा रही है। फिर भी नियोजित विस्तार से सभी मांगें पूरी नहीं हो सकेंगी।

आकाशवाणी की वैदेशिक प्रसारण सेवायें

*1303. श्री बलराज मधोक : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी की वैदेशिक प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, हां ।

(ख) दो अति शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के एक कलकत्ता के निकट और दूसरा राजकोट के निकट तथा दो उच्च शक्ति के शार्टवेव ट्रांसमीटरों को अलीगढ़ में स्थापित करने का काम चालू है । इन प्रायोजनाओं पर कुल लगभग 808 लाख रुपये खर्च होने का अनुभव है । इसके अतिरिक्त, चौथी पंचवर्षीय योजना में दो और उच्च शक्ति के शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिये तथा अतिरिक्त स्टूडियो सुविधाओं के लिये 500 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है ।

दण्डित समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा

*1304. श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने सिफारिश की है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत किये गये अपराध के कारण दण्डित समाचारपत्रों को उनका अखबारी कागज का कोटा नहीं दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यदि उक्त सिफारिश को लागू किया जायेगा तो उससे न केवल अनुच्छेद 19 (छ), जिसके अन्तर्गत व्यापार की स्वतन्त्रता की गारंटी है, का उल्लंघन होता है बल्कि अनुच्छेद 20 (2) का भी उल्लंघन होता है, जिसके अन्तर्गत एक ही अपराध के लिये एक व्यक्ति को एक बार से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, हां ।

(ख) इस सिफारिश के कानूनी पक्ष पर विधि मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी फिल्मों को प्रोत्साहन

*1305. श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की गत वर्ष श्रीनगर में हुई बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार जन-सम्पर्क सम्बन्धी विशेषज्ञों की समिति ने फिल्म तथा मनोरंजन के माध्यम के बारे में कोई तालिका नियुक्ति की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तालिका ने अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव भी दिया है कि राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के उद्देश्य से वृत्त चल-चित्रों के निर्माण के हेतु प्रोत्साहन देने के लिये चल-चित्र सम्बन्धी एक विशेष निधि स्थापित की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथा तालिका के अन्य सुझावों पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख). जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है ।

देश में बेरोजगारी

*1306. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51, 1955-56, 1960-61, 1965-66 तथा 1968-69 के अन्त में क्रमशः नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनुमानतः कितनी थी ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी होने का अनुमान है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). विश्वस्त आगणन उपलब्ध नहीं है । अगस्त, 1968 में योजना आयोग ने बेरोजगारी आगणन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है जो देश में बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगार के विभिन्न पहलुओं की जांच के साथ-साथ श्रम-शक्ति, रोजगार और बेरोजगार के अनुमान के लिए रीति विधान पर अनुकूल सुझाव देगी । समिति का कार्य प्रगति में है ।

गेहूं तथा गेहूं से बने पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

*1307. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च 1969 से गेहूं तथा गेहूं से बने पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या गत चार वर्षों में सरकार ने छठी बार गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की है ; और

(घ) मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। तथापि, गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों के निर्गम मूल्यों में 4 मई, 1969 से संशोधन करने का निर्णय किया गया है।

(ख) सभी किस्म के गेहूं का संशोधित निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि लाल गेहूं, सफेद गेहूं और बढ़िया गेहूं के वर्तमान निर्गम मूल्य क्रमशः 70 रुपये, 85 रुपये और 95 रुपये प्रति क्विंटल हैं। गेहूं से बने पदार्थों के निर्गम मूल्यों में उसी प्रकार संशोधन करने होंगे।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय भण्डार से राज सहायता पर सप्लाई किए जा रहे गेहूं से जो राष्ट्रीय राजकोष पर भार पड़ रहा था, मुख्यतः उस भार को शनैः शनैः कम करने के लिए इससे खुले बाजार के गेहूं के मूल्यों और उचित मूल्य की दुकानों में बिकने या गेहूं के विक्रय, मूल्य में जो अन्तर है उसमें भी कमी होगी।

केन्द्र तथा राज्यों की समेकित कृषि नीतियां

*1308. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि शिक्षा, कृषि विस्तार तथा कृषि अनुसन्धान के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की कृषि नीतियों के समेकन की वांछनीयता के बारे में जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है, कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये जहां शिक्षा, अनुसन्धान तथा विस्तार सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण समन्वय मौजूद हो।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक अंग के रूप में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई

*1309. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए कोई योजना-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में राजस्थान को कितनी मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1973-74 तक के लिये उर्वरकों की खपत के राज्यवार लक्ष्य और देश में उत्पादन और आयात की आवश्यकताओं के अनुमान भी बनाये गये हैं। इस प्रकार एक राष्ट्रीय सप्लाई कार्यक्रम है। किसी विशिष्ट वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को सप्लाई की जाने वाली वास्तविक मात्रा किसी वर्ष के आरम्भ में स्टाक, उस वर्ष में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये उर्वरकों की आवश्यकता और देशी निर्माताओं से राज्यों में वितरक एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली मात्रा पर निर्भर करेगा। प्रत्येक राज्य के लिये वार्षिक सप्लाई योजना वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर बनाई जाती है।

(ग) 1969-70 में राजस्थान को उर्वरकों की सप्लाई का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :—

	(टनों में)		
	नाइट्रोजन	पी०२ ओ०५	के०२ ओ०
(1) 1969-70 की कुल आवश्यकता	36,000	11,670	3,000
(2) 1-4-69 को अनुमानिक स्टाक	7,800	3,300	900
(3) शुद्ध आवश्यकता	28,200	8,370	2,100
(4) देशीय उत्पादन से संभावित सप्लाई	22,000	7,000	—
(5) केन्द्रीय उर्वरक पूल से संभावित सप्लाई	6,200	1,370	2,100

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था पटना में हड़ताल

*1310. श्री रामावतार शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1969 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था सहायनगर पटना के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और यदि हां तो उसके क्या कारण थे ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 मार्च, 1969 को केन्द्रीय सहायक श्रम आयुक्त की उपस्थिति में संस्था के प्रबन्धकों तथा मजदूर संस्था के बीच समझौता हुआ था और यदि हां तो उस समझौते का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। एक कर्मचारी द्वारा समय से पहले घंटी बजा दिये जाने पर और परिणामस्वरूप कार्य के रुक जाने से उत्पन्न हुए मतभेद के कारण कुछ आकस्मिक कर्मचारियों ने 22 फरवरी, 1969 को अचानक कार्य बन्द कर दिया।

(ख) प्रथम मार्च, 1969 को अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों तथा आकस्मिक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में, श्रम-प्रवर्तन अधिकारी की उपस्थिति में, एक बैठक हुई। समझौते की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

विवरण

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), पटना के कार्यालय में कृषि वैज्ञानिक (डा० वी० बी० घई) और श्रमिक इंचार्ज श्री मुकर्जी के साथ, (जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं) जो प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि थे, 26 फरवरी, 1969 और 1 मार्च, 1969 को विचार-विमर्श हुआ था।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रमिक इंचार्ज का श्रमिकों के साथ व्यवहार ठीक नहीं था और प्रबन्धक श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये उचित और प्रथम मार्ग नहीं अपना रहे थे।

प्रबन्धकों के प्रतिनिधि ने कहा कि श्रमिक काम से अनुपस्थित हो रहे हैं और कुछ श्रमिकों ने तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को काम करने की अनुमति देने से पहले उन्हें भविष्य में अपने अच्छे व्यवहार का आश्वासन देना चाहिए।

1. दोनों पक्षों में सहमति हुई कि उन श्रमिकों को, जो 22 तारीख की सुबह काम पर थे, तुरन्त काम पर आने की अनुमति दी जायगी।

2. श्रमिकों ने अपनी ओर से आश्वासन दिया कि भविष्य में वे ठीक प्रकार व्यवहार करेंगे और अपनी सभी शिकायतें कृषि वैज्ञानिक के समक्ष रखेंगे और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति खराब हो।

3. प्रबन्धक भी सहमत हुए कि भविष्य में वे अनुशासनिक कार्यवाही उचित और न्यायोचित ढंग से करेंगे।

4. प्रबन्धक महिला कर्मचारियों को इस आधार पर वापस नहीं लेना चाहते थे कि उनके पास उनके लिये पर्याप्त काम नहीं है। तथापि वे उन सबको लेने के लिये तैयार हो गये और जिस काम पर उन्हें पहले लगाया जा रहा था, जब वह पर्याप्त काम नहीं रहेगा, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

प्रबन्धकों के प्रतिनिधि

1. डा० वी० बी० घई 1-3-69
2. श्री डी० एन० मुकर्जी 1-3-69

उपस्थित श्रमिकों के हस्ताक्षर

1. श्री महेन्द्र पंडित 1-3-69
2. श्री रामनन्दन 1-3-69
3. श्री सोहराय गोराय 1-3-69
4. श्री इम्माऊदीन 1-6-69

5. श्री चन्द्र दास 1-3-69

6. श्री सरजू चौधरी

7. श्री जीत लाल 1-3-69

हस्ताक्षर : ओ० पी० घर

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

पटना

साक्षी :

1. हस्ताक्षर — के० गोपालन

2. हस्ताक्षर — राम नारायण सिंह

1-3-69

होटलों के लिये चीनी का कोटा

1311. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब चीनी पर पूरा नियन्त्रण था तब होटल चलाने वाले व्यक्तियों को किस आधार पर चीनी का कोटा दिया जाता था ;

(ख) इस प्रकार का कोटा बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनको नियन्त्रित मात्रा में से किसी अनुपात में कुछ चीनी देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार राज्य सरकारों को केवल मासिक कोटे आवंटित करती है। घरेलू उपभोक्ताओं, होटल वालों, अधिक खपत करने वालों आदि में इसका वितरण राज्य सरकारें ही करती हैं।

(ख) आंशिक विनियंत्रण की नीति अपनाने और उसके फलस्वरूप लेवी चीनी की उपलब्धि कम होने के कारण होटलों और अन्य अधिक खपत करने वालों को चीनी का आवंटन बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ). लेवी चीनी का वर्तमान उपलब्ध स्टॉक होटलों को लेवी चीनी आवंटित करने की इजाजत नहीं देता है।

सुपर बाजार नई दिल्ली के साथ धोखाधड़ी

*1312. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक ठग ने सुपर बाजार नई दिल्ली को 8000 रुपये से ठगा था ;

(ख) यदि हां, तो सुपर बाजार के प्रबन्धक द्वारा कितने मूल्य का माल उधार दिया जा सकता है ; और

(ग) क्या सुपर बाजार के अधिकारियों द्वारा माल उधार देते समय इन उपबन्धों का पालन किया गया था और यदि नहीं तो इन उपबन्धों का ठीक तरह पालन कराने या भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए उनमें परिवर्तन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां, पुलिस ने ठग को पकड़ लिया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419/420 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया है।

(ख) महा प्रबन्धक, कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली सभी मान्यता-प्राप्त सहकारी समितियों, सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं और सरकारी विभागों को माल उधार देने के लिए अधिकृत हैं।

(ग) इस व्यक्ति को माल उधार नहीं दिया गया था; उसने चेकों द्वारा भुगतान किया था, जो धन के अभाव में बैंक द्वारा लौटा दिये गए थे। कोआपरेटिव स्टोर लि० के प्रबन्धकों ने चेकों की स्वीकृति नियमित करने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

*1313. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच शरणार्थियों, विशेषकर श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वासि हेतु वित्तीय सहायता देने की संशोधित पद्धति को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में डाक तथा तार विभाग में हड़ताल

*1314. श्री देवेन सेन : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के दो या तीन निरीक्षकों को हाल ही में बरखास्त या मुअत्तल किया गया है और कृष्ण नगर डाकघर (पश्चिम बंगाल) के 14 अन्य कर्मचारियों को हाल ही में आरोप पत्र दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जो केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों और हड़तालियों के बारे में हाल में संसद में घोषित की गई नीति के विरुद्ध है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल सर्कल के नादिया डिवीजन में डाकघरों के तीन निरीक्षक सितम्बर, 1968 में मुअत्तल किये गये थे जिनमें से एक के विरुद्ध चल रही प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त होने पर मुअत्तली खत्म कर दी गई है। उस डिवीजन के 14 क्लर्कों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही शुरू की गई थी। अभी तक कोई भी कर्मचारी बरखास्त नहीं किया गया है।

(ख) सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अक्टूबर से जनवरी, 1969 अर्थात् 13 मार्च, 1969 को लोक-सभा में उदार सरकारी नीति की घोषणा से पहले कार्यवाही शुरू की गई थी। इन मामलों का आगे पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*1315. श्रीमती सुधा बी० रेड्डी : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का मूल्यांकन करने की सरकार की कोई योजना है जिससे इसके कार्यकरण के बारे में पुनर्विलोकन हो सके;

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य का पुनरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह योजना और सन्तोषजनक ढंग से कार्य करे, सन् 1963 में एक उच्चस्तरीय त्रि-पक्षीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने सन् 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति की अधिकांश सिफारिशें या तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से या सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई हैं। हाल ही की एक बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण किया और उससे यह मालूम हुआ कि खर्च वहन करने के लिए उसकी आय पर्याप्त नहीं है। निगम के निर्माणानुसार, श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो इस मामले पर विचार करेगी और इस स्थिति का सामना करने के लिए अर्थोपाय सुझायगी। इस समिति को सितम्बर, 1969 से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह दिया गया है।

बोकारो इस्पात कारखाने में मजदूरों की छंटनी

*1316. श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के अधीन मजदूरों को 1968-69 में बर्खास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूरों को और किन कारणों से;

(ग) क्या बोकारो इस्पात लिमिटेड अथवा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंशट्रक्शन लिमिटेड के मजदूरों का कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बोकारो इस्पात कारखाने में प्रमाणीकृत स्थायी आदेश नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ङ) और (च). जी हां, ड्राफ्ट स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण में बोकारो इस्पात श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों के बीच अन्तर्यूनियन प्रतिद्वंद्विता के कारण विलम्ब हुआ है। परन्तु जब तक ड्राफ्ट स्थायी आदेश प्रमाणीकृत होते हैं तब तक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 से संलग्न आदर्श स्थायी आदेश इस प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं।

Profit Margin of Food Corporation of India

*1317. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India earns a profit of Rs. 14 per quintal approximately on the sale of rice and other foodgrains ;

(b) whether it is also a fact that consumers have to pay more as a result thereof ; and

(c) the efforts being made by Government to make available foodgrains to consumers at cheap rates ?

The Ministry of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Food Corporation of India is not given any margin of profit for the procurement or distribution of foodgrains on behalf of the Government of India. They are only allowed incidentals for meeting their expenditure on the procurement, storage and distribution etc. of the foodgrains.

(b) No, Sir. The retail prices at which the foodgrains are supplied to the consumers are based upon the procurement price of the foodgrains and the reasonable incidentals involved from the stage of procurement upto the stage of retail distribution of these foodgrains.

(c) The procurement prices of foodgrains fixed by the Government on basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and in the light of the views of the State Governments in the same. The incidental charges of Food Corporation of India for procurement, storage etc. of these foodgrains are scrutinised closely by the Government and only the barest minimum charges are allowed. For retail distribution of these procured foodgrains within the States, the Government of India have prescribed certain forms of incidentals to be adopted by the State Governments.

पंजाब और हरियाणा में गेहूं के वसूली मूल्य

*1318. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा के किसानों ने आने वाली फसल के लिए गेहूं के वसूली मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) क्या ट्रैक्टरों, उर्वरकों तथा कृषि उपज में वृद्धि में सहायक अन्य वस्तुओं के बढ़े हुये मूल्यों के कारण यह मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो गेहूं के मूल्य उचित सीमा तक कम कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब और हरियाणा में किसानों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अधिक कीमत की मांग आमतौर पर खेती की ऊंची लागत और कृषि औजारों की अधिक कीमत होने के कारण की जाती है ।

(ग) सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार ने देसी लाल गेहूं के अलावा गेहूं की सभी किस्मों का अधिप्राप्त / खरीद मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ।

तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिए हालैंड से सहायता

*1319. श्री तुलसीदास दासप्पा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने हेतु एक कृषि परियोजना आरम्भ

करने के लिये हालैंड ने सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) इससे कितने तिब्बती शरणार्थियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार को भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कृषि परियोजना प्रारम्भ करने के लिये हालैंड से सहायता की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है ।

तथापि, सामान्य परियोजना की यूरोपियन शरणार्थी मुहिम के, जो कि एक स्वैच्छिक संस्था है और जिसका मुख्यालय 'दी हेग' में है । बोर्ड आफ ट्रस्टीज (न्यासधारियों के बोर्ड ने सरकार द्वारा इस देश में तिब्बती शरणार्थियों को भूमि पर बसाने हेतु स्थापित की गई कुछ बस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है ।

(ख) ऊपरी निर्दिष्ट बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा की गई वित्तीय सहायता की पेशकश 1,95,94,500 रुपये है ।

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल 3,24,28,846 रुपये के व्यय की संभावना है ।

(घ) वर्तमान सूचनाओं के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 9,600 तिब्बती शरणार्थियों को पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा ।

रेलगाड़ियों में टेलीफोन लगाना

*1320. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये रेलगाड़ियों में टेलीफोन लगाने की योजना तैयार कर ली गई है ;

(ख) इस योजना का व्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी और यह कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन

7428. श्री भारत सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित सभी प्रकार के आयोगों, अध्ययन दलों, अध्ययन ग्रुपों और समितियों, द्वारा गत तीन वर्षों में प्रस्तुत तथा प्रकाशित किये गये प्रतिवेदनों के नाम, प्रकाशन की तिथि प्रकाशन की भाषा, मूल्य तथा उपलब्धता की स्थिति का व्योरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-873/69]।

Reports of Committees and Commissions

7429. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state the names, dates of publication, languages in which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and its attached and subordinate offices during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-874/69.]

शीतागारों का बनाया जाना

7430. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता के लिये परिवहन सुविधाओं के आभाव के कारण हिमाचल प्रदेश के बागों में 1968 में एक करोड़ रुपये के मूल्य के सेब नष्ट हो गये थे ;

(ख) 1969-70 में सरकार का प्रस्ताव कितने शीतागार तथा डिब्बे बन्द करने के कारखाने लगाने का है और उन पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या सरकार विदेशी सहयोग प्राप्त करेगी और यदि हां, तो किस देश के साथ और किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ;

(घ) हिमाचल प्रदेश में सेब की तुलना में अन्य फलों पर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य फल भी कम ऊंचाई पर उसी प्रकार अच्छी तरह पैदा हो सकते हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बरबादी के रूप में होने वाली वार्षिक हानि को रोकने का है जो कि 5 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ रुपये है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). पूछी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रूस की सहायता से केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र

7431. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) कितने प्रक्षेत्र (फार्म) केन्द्रीय सरकार द्वारा रूस की सहायता तथा मशीनों से चलाये जा रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक प्रक्षेत्र पर कितनी लागत आई है और वे कितने एकड़ भूमि में है और उस पर कितना वार्षिक खर्च आता है ;

(ग) कितने भारतीय तथा रूसी कर्मचारी इन प्रक्षेत्रों को चला रहे हैं और प्रत्येक देश के उच्च कोटि के प्रथम दस अधिकारियों को प्रति वर्ष कितना वेतन तथा उपलब्धियां दी जाती हैं ; और

(घ) इन फर्मों से क्या शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय छः केन्द्रीय राजकीय फार्म मौजूद हैं। सूरतगढ़ (राजस्थान), झरसुगुडा (उड़ीसा), हिसार (हरियाणा), जालन्धर (पंजाब) और रायचूर (मद्रास) स्थिति फार्मों के लिये सोवियत संघ से अधिकांशतः मशीनरी उपहार रूप में प्राप्त हुई है। जेतसार (राजस्थान) स्थित फार्म की अधिकांशतः मशीनरी सोवियत संघ से क्रय की गई थी।

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

सूरतगढ़—फार्म 30,331 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके लिये भूमि राजस्थान सरकार से पट्टे पर ली गई है। पट्टे की शर्तों के अनुसार “मालकाना” की अदायगी की दर सूखी भूमि के लिये 1 रु० प्रति बीघा, मौसमी सिंचाई वाली भूमि के लिये 2 रु० प्रति बीघा तथा निरंतर रूप से सिंचित भूमि के लिये 4 रु० प्रति बीघा है। उसमें पतवार उपकर, जिला बोर्ड की फीस पंचायत समिति कर और शिक्षा उपकर आदि की अदायगी की भी व्यवस्था मौजूद है। सिंचाई शुल्क इसके अतिरिक्त है। इस फार्म को सन् 1956 में स्थापित किया गया था। फार्म पर हुआ वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1956-57	8.56
1957-58	17.42
1958-59	28.98
1959-60	39.22
1960-61	45.95
1961-62	39.19
1962-63	80.03
1963-64 (घ)	59.53
1964-65	69.85
1965-66	50.60
1966-67	48.52
1967-68	68.27 (सूरतगढ़ तथा जेतसार के लिये इकट्ठे आंकड़े)

जैतसार—फार्म का कुल क्षेत्रफल 22,162 एकड़ है, किन्तु प्रथम चरण में केवल 12,500 एकड़ भूमि के क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है। यह भूमि राजस्थान सरकार से उन्हीं शर्तों पर पट्टे पर ली गई है, जिन पर सूरतगढ़ फार्म के लिये भूमि ली गई थी। फार्म की स्थापना सन् 1964 में की गई थी। वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये लाख में)
1963-64	0.24
1964-65	46.19
1965-66	27.17
1966-67	23.79
1967-68	(ऊपर सूरतगढ़ में देखिये)

भारसुगुडा (उड़ीसा) : पूर्णतया विकसित हो जाने पर फार्म का क्षेत्रफल 10,000 एकड़ होगा। इस समय 4423 एकड़ क्षेत्रफल पर सरकार का अधिकार है। भूमि पट्टे पर ली गई है और राजस्व तथा मालकाना शुल्क राज्य सरकार के राजस्व नियमों के अनुसार राज्य सरकार को अदा किये जायेंगे। 31-3-1968 तक का व्यय 19.25 लाख रुपये था।

जालंधर : पूर्णतया विकसित होने पर फार्म का क्षेत्रफल 10,000 एकड़ होगा। भूमि पंजाब राज्य सरकार से 1 रु० प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से पट्टे के आधार पर होगी यदि भूमि-लगान, उपकर इत्यादि कोई अन्य शुल्क होंगे तो इसकी अदायगी की जायेगी।

यह फार्म अगस्त 1968 में आरम्भ किया गया था परन्तु इसने अभी तक उत्पादन आरंभ नहीं किया है।

हिसार : यह फार्म पूर्ण रूप से विकसित होने पर 8,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा। भूमि, हरियाणा राज्य सरकार से, समय-समय पर दिये जाने वाले, भूमि-लगान एवं अन्य सभी उपकरणों में अतिरिक्त 1 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर ली गई है।

फार्म केवल अगस्त, 1968 से ही कार्य करना प्रारम्भ किया है।

रायचूर (मैसूर) : फार्म का क्षेत्रफल 7,500 एकड़ होगा। यह भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है। भूमि की अनुमानित लागत 42.25 लाख रुपये है। हाल ही में 1035 एकड़ क्षेत्रफल भूमि का कब्जा ले लिया गया है। फार्म ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। सभी फार्मों के 1968-69 वर्ष में व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) किसी भी फार्म पर रूसी व्यक्ति नियुक्त नहीं किये गये हैं। विभिन्न फार्मों में उच्च भारतीय अधिकारी तथा उनकी वेतनक्रम सम्बन्धी जानकारी निम्न प्रकार है :—

वरिष्ठ पद	सूरतगढ़	जेतसार	झरमुगुडा	हिसार	पंजाब	रायचुर
1. निदेशक	1600-2000	1300-1600	1300-1600	1300-1600	1300-1600	1300-1600
2. औपरेशनल मैनेजर (यांत्रिक)	1100-1400	—	—	—	—	—
3. औपरेशनल मैनेजर (कृषि)	1100-1400	—	—	—	—	—
4. प्रशासन अधिकारी	700-1250	350-900	700-1250	700-1250	700-1250	—
5. लेखा अधिकारी	700-1250	—	—	—	—	—
6. कृषि अधिकारी	—	700-1200	700-1250	700-1250	700-1250	—
7. तकनीकी अभियन्ता	—	—	700-1250	700-1250	—	700-1250
8. सिंचाई अभियन्ता	700-1250	(सूरतगढ़ के साथ सम्मिलित)	700-1250	700-1250	—	—
9. फार्म अधीक्षक	400-950	—	350-900	—	400-950	—
10. स्टोर आफिसर	350-900	350-900	350-900	350-900	—	—
11. सहायक यांत्रिक अभियन्ता	350-900	350-900	—	350-900	—	—

अधिकारी अपने वेतन के अतिरिक्त साधारण भत्ते भी प्राप्त करते हैं। फार्मों पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सूरतगढ़	508	(जनवरी 1969 में)
जेतसार	123	”
झरसुगुडा	124	”
जालंधर	26	(मार्च 1969 में)
हिसार	21	”
रायचूर	5	”

इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं।

(घ) केन्द्रीय राजकीय फार्म प्रमुख रूप से अच्छी किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिये स्थापित किये गये हैं।

मजदूरों के रहने की स्थिति

7432. श्री बाबूराव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के अध्ययन ग्रुप द्वारा प्रमुख भारतीय नगरों में मजदूरों के मकानों की दशा तथा रहने के वातावरण के बारे में दिये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश घरों में पाखाने अथवा गुप्तलखाने अथवा रसोइयां नहीं हैं और गन्दी बस्तियों से मजदूरों के स्वास्थ्य को खतरा है ; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों को कब और किस प्रकार बुनियादी सुविधायें दी जायेंगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सरकार को मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित श्रमिकों व प्रबन्धकों के सामाजिक पहलू सम्बन्धी अध्ययन दल ने इन विषयों पर एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वह इस पर विचार करेगी।

Suggestions on 'Garhwali Programme' of A.I.R.

7433. **Shri Jamna Lal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been receiving many suggestions for the last many years from the Himalaya Kala Sangam, Delhi about improving and reforming the Garhwali programme broadcast by the A.I.R. Delhi.

(b) if so, the nature of those suggestions ;

(c) the number of suggestions out of them, which have been implemented ; and

(d) the reasons for not implementing the remaining suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestions were about the frequency, duration, timing content of Garhwali programmes, booking of artistes and the appointment of an Adviser.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना

7434. श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों के वर्तमान स्तर को देखते हुए छोटी सिंचाई परियोजना के लिए 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छोटी सिंचाई परियोजनाओं की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत, भूमिगत जल विकास योजनाएं तथा कुएं खोदना, कुओं में बोरिंग, कुओं को गहरा करना उथले और गहरे नलकूपों, कुओं पर पम्पिंग सेटों का संस्थापन इत्यादि, एवं सतही जलयोजनाएं तथा भण्डारण एवं अपसरण योजनाएं, उठाऊ सिंचाई, बांधों के रिसन, नियंत्रण बांध, अहर, बुदिस, आदि योजनाएं आती हैं। 1-4-1965 से प्रत्येक लघु-सिंचाई योजना की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 15 लाख रु० कर दी गई है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के कार्यकारी मण्डल ने चौथी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय लघु-सिंचाई, एवं ग्राम्य-विद्युतीकरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय लघु-सिंचाई योजनाओं के लिए अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रु० तक करने के प्रश्न पर पूर्णतः विचार किया। परन्तु कार्यकारी दल इस निर्णय पर पहुंचा कि अधिकतम सीमा को इससे अधिक बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे लघु-सिंचाई का मुख्य उद्देश्य ही निरर्थक न हो जाए। कुछ वृद्धाकार सतही-जल-भण्डारण तथा अपसरण योजनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक लघु-सिंचाई योजना कार्यक्रमों की लागत प्रायः 15 लाख रु० से काफी कम है। लघु-सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य ऐसी योजनाएं हैं जो कि शीघ्रता से पूरी की जा सकें तथा जिनके परिणाम भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाएं और वे ऐसी हों जिनको कृषक स्वयं काफी हद तक संचालित कर सकें।

Tube-wells Sunk in Drought-Affected Areas of Rajasthan

7435. **Shri Ramesh Chandra Vyas :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

- (a) the total number of tube-wells sunk in drought-affected areas of Rajasthan ;
(b) whether it is also a fact that most of them are lying idle due to non-availability of spare-parts ; and
(c) if so, the steps being taken by Government to make available such spare-parts to Rajasthan Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Rajasthan and will be placed on the Table of the Sabha on its receipt.

Death of Camels in Barmer and Jaisalmer District of Rajasthan

7436. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

- (a) whether it is a fact that many Camels in Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan have died of some disease prevailing there ;
(b) whether it is also a fact that the Medicine therefor is imported from outside and a bottle containing the medicine costing Rs. 18 only is sold at Rs. 200 to the farmers ; and
(c) if so, the steps being taken by Government to make the said medicine available to the farmers at cheap price ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

गुजरात में अधिक अनाज उपजाओ योजना

7437. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1968 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य को अधिक अनाज उपजाओ योजना के लिये कितना अनुदान मंजूर किया गया ;
(ख) वास्तव में कितने धन का प्रयोग किया गया और कितना धन बेकार पड़ा रहा ; और
(ग) इस योजना के क्या प्रभाव तथा परिणाम निकले और भविष्य में इसको बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों को अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता विकास के निम्न शीर्षकों के अधीन आती है—(i) कृषि उत्पादन (जिसमें भूमि विकास भी शामिल है) और (ii) लघु-सिंचाई। विकास के उपरोक्त दो शीर्षकों के अधीन 1968-69 में राज्य योजना और केन्द्रीय संचालित परियोजनाओं के लिये गुजरात सरकार को कुल 294.32 लाख रुपये का ऋण और 236.84 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(ख) राज्य द्वारा 1968-69 के लिये सहायता के वास्तविक प्रयोग की तब ही जानकारी उपलब्ध होगी जब राज्य सरकार उस वर्ष के व्यय का लेखा-परीक्षक द्वारा पास किया हुआ लेखा प्रस्तुत करेगी।

(ग) उपरोक्त दोनों विकास शीर्षकों के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रत्याशित उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1. लघु-सिंचाई का विस्तार	2.14 लाख एकड़
2. अधिक उपज देने वाली किस्मों की काश्त	7.75 " "
3. बहुफसली खेती	1.31 " " से अधिक
4. रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि	1.61 लाख मीटरी टन न्यूट्रिएट
5. पौध रक्षा उपाय	1.88 लाख एकड़ से अधिक

1968-69 के लिए उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चौथी योजना के लिये कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

गुजरात में कृषि उद्देश्य हेतु ऋणों का दिया जाना

7438. श्री सोमचन्द्र सोलंकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य को 1968 में किसानों को ट्रैक्टर पम्पिंग सेट तथा अन्य आयातित औजार खरीदने हेतु ऋण, राजसहायता देने के लिये कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना ऋण तथा राजसहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में छोटी सिंचाई योजनाएं

7439. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितनी बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को अब तक चालू किया गया है तथा अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) कितनी योजनायें पूरी हो गई हैं और कितनी विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या कोई योजना विवादास्पद है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). प्रथम योजना के शुरू से गुजरात राज्य में निम्नलिखित बड़ी सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई हैं :

1. काकरापार
2. माही स्टेट—1
3. बानास (दान्तीवाडा)
4. हथमती
5. माही स्टेट—2 (कादना)
6. बरोच (नर्मदा)
7. शेतारंजी (पालिताना)
8. उकई

अब तक काकरापार, बानास (दान्तीवाडा), हथमती और शेतारंजी (पालिताना) नामक चार योजनायें पूरी हो चुकी हैं ।

नर्मदा जल के प्रयोग के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच विवाद है विवाद को हल करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । जिन मुख्य बातों पर समझौता नहीं हो पाया है उस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों के दृष्टिकोण नीचे दिये गये हैं :—

1. 977.लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश सरकार की जरूरतें 360 लाख एकड़ फुट जल की बताई जाती हैं । गुजरात को 696 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये 235 लाख एकड़ फुट जल की जरूरत है ।

2. मध्य प्रदेश ने साथ ही साथ जल संधि पर एक बांध निर्मित करने का प्रस्ताव रखा है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा सम्मिलित रूप से कार्यान्वित किया जायेगा, गुजरात ने नवगाम में एक ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है, जोकि जल-संधि क्षेत्र को डुबा देगा ।

3. गुजरात का नवगाम से सिंचाई के लिये एक नहर निर्मित करने का प्रस्ताव है जिसका पूर्ण सप्लाई स्तर 300 होगा।

जहां तक "लघु-सिंचाई" का सम्बन्ध है 1968-69 तक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (1) प्रशिक्षण और (2) "लघु सिंचाई और जल उपयोग विषयक अनुसंधान", चलती रहें। 1969-70 से ये योजनायें केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें न रहेंगी और ये राज्य सरकारों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों का अंग बन जायेंगी। इन योजनाओं के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। गुजरात सरकार से राज्य की लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की प्रतीक्षा है, जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Ratio of Government Advertisements given to English and Hindi Newspapers

7440. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) the criterion laid down by the Government in respect of giving official advertisements;

(b) the percentage of official advertisements being given to newspapers of English language and those given to regional languages papers;

(c) whether Government propose to give more advertisements to regional languages newspapers in order to give incentive to these papers; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The following criteria are kept in view while releasing Government advertisements:

(i) Effective circulation (normally, papers having a paid circulation below 1000 are not used);

(ii) regularity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential);

(iii) class of readership;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(v) other factors such as production standards, the languages and areas intended to be covered within the available funds; and

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

Advertisements are usually withheld from such newspapers and periodicals as indulge in virulent propaganda inciting communal passions or preach violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the basic national interests.

(b) During 1968-69, up to 31st December 1968, the percentages of advertisements released

by the Directorate of Advertising and Visual Publicity to English and regional language paper are given below :—

	in terms of	
	Space	Cost
English newspapers	20.68%	46.68%
Indian language newspapers	79.32%	53.32%

(c) It is the policy of Government to make increasing use of newspapers published in different Indian languages for advertisements.

(d) Does not arise.

Newsprint for Hindi Newspapers

7441. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- the percentage of quota of news-print given to Hindi newspapers ;
- whether Government propose to increase this quota ; and
- if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Newsprint is allocated to newspapers in terms of the annual Newsprint Allocation Policy which does not make any distinction between newspapers published in different languages. A copy of the Policy for 1968-69 was laid on the Table of the Lok Sabha on 5th April, 1968. The quantity of newsprint allocated to Hindi newspapers during 1968-69 worked out, in terms of the Policy for the year, to 13.34 per cent of the total entitlement of newspapers from whom applications were received.

(b) and (c). Do not arise.

हड़ताल में भाग लेने वाली सेन्ट्रल एक्सचेंज, नई दिल्ली की महिला टेलीफोन आपरेटरों का सेवा मुक्त किया जाना

7442. श्री अंबु चेजियान :

श्री कृ० कृ० नायर :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाली सेन्ट्रल ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली की अनेक महिला टेलीफोन आपरेटरों को सेवा मुक्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिये तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि कोई निर्दोष कर्मचारी इसका शिकार न हो, क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) ऐसे निर्णय किस स्तर के अधिकारी द्वारा किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)
(क) जी हां ।

(ख) सेवा-मुक्त किये गये तीन आपरेटरों के नाम ये हैं—

1. कुमारी संतोष मल्होत्रा
2. कुमारी कान्ता भागी
3. कुमारी सुदेश कश्यप

उपर्युक्त कर्मचारियों को सी० सी० एस० (टी० एस०) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत सेवा-मुक्त किया गया था जिसमें कोई आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(ग) क्योंकि कोई खास आरोप नहीं लगाये गये थे इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता । इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उस समय ड्यूटी पर अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित थी जिनको इसकी व्यक्तिगत जानकारी थी । निर्दोष कर्मचारियों को दण्डित करने का कोई कारण नहीं था ।

(घ) यह निर्णय सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन) ने लिया था जो कि नियुक्ति अधिकारी हैं ।

आकाशवाणी में असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर के पद पर पदोन्नति

7443. श्री दे० वि० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 से पहले आकाशवाणी में असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियरों के पदों पर नियुक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर केवल असिस्टेंट इंजीनियरों में से ही पदोन्नति करके की जाती थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1964 में यह निर्णय किया गया था कि असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियरों के पदों पर तब तक सीधी भर्ती नहीं की जायेगी जब तक 1 अक्टूबर, 1964 तक के सभी असिस्टेंट इंजीनियरों को पदोन्नति करके असिस्टेंट इंजीनियर न बना दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर के पद पर वर्ष 1964 के बाद कोई सीधी भर्ती की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ड) 1 अक्टूबर, 1964 को आकाशवाणी के ऐसे कितने असिस्टेंट इंजीनियर थे जिन्हें अभी तक पदोन्नति नहीं किया गया है और उन्हें असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). जी, नहीं । इसके विपरीत, संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके 1962 में यह निर्णय किया गया था कि इस संवर्ग में नया रक्त और मेधावी व्यक्तियों को लाने के दृष्टिकोण से रिक्तियों का 25% सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाये । इस निर्णय को 1964 में कार्यान्वित किया गया ।

(ङ) 145. विभागीय पदोन्नति, जो रिक्तियों का 75% कोटा है, के अनुसार पदोन्नति के उनके मामलों पर विचार किया जायेगा ।

टेलीफोन नम्बर 561095 (नई दिल्ली) के कनेक्शन का काटा जाना

7444. श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री टेलीफोन नम्बर 561095 (नई दिल्ली) के कनेक्शन के काटे जाने के बारे में 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मामला किस के न्यायालय में है ;

(ख) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या न्यायालय ने इस मामले में कोई अन्तरिम आदेश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तरिम आदेश का व्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में ।

(ख) उच्च न्यायालय में समादेश (रिट) याचिका की अभी सुनवाई होनी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जब तक समादेश याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक याचिकादाता संख्या 2—अर्थात् श्रीमती मोहिनी कंवर के पति को अस्थायी तौर पर दिया गया टेलीफोन कनेक्शन बना रहने दिया जाए ।

दिल्ली में सामाजिक कार्यालयों को टेलीफोन कनेक्शन

7445. श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री श्री वी० पी० कंवर को टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 21 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके साथ

श्री वी० पी० कंवर सम्बन्धित होने का दावा करता है ;

(ख) प्रत्येक संगठन में वह किस पद पर है और कितने समय से वह प्रत्येक ऐसे संगठन का सदस्य अथवा पदधारी है ;

(ग) क्या प्रथम छः महीनों की अवधि के पश्चात् कनेक्शन की अवधि बढ़ाई गई है और यदि हां, तो किन आधारों पर ; और

(घ) क्या स्थायी रूप से कनेक्शन देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) श्री वी० पी० कंवर ने यह दावा किया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक संघ (पंजीयित) का अवैतनिक सहायक सचिव होने के साथ-साथ जिसका मुख्यालय जे०—7/IV राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में है, अन्य भी कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध हैं। उनके आवेदन में और कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है, और न ही अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए ऐसे अन्य ब्योरों की आवश्यकता समझी गई।

(ग) जी हां। दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश से टेलीफोन कनेक्शन छः महीने की मूल अवधि के बाद भी बना रहने दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

मध्य प्रदेश में नदी उठाऊ सिंचाई योजना

7446. श्री दे० वि० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में मध्य प्रदेश में नदी उठाऊ सिंचाई योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी और 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि मांगी गई है ;

(ख) योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) कार्य कब पूरा होगा और योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्रीय सहायता पद्धति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता कृषि-उत्पादन, लघु-सिंचाई आदि जैसे विकास के वृहद शीर्षकों के अन्तर्गत ही दी जाती है, योजना के अनुसार नहीं। अतः मांगी गई जानकारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिये आयात लाइसेंस

7447. श्री रा० की० अमीन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के लिये आयात लाइसेंस देने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या गुजरात तट के निकट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में कोई गुंजाइश है ; और

(घ) यदि हां, तो आय के इस साधन का पूरा लाभ उठाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये बड़े आधार के 30 ट्रालरों के आयात के लिये सरकार तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को अनुमति देने का निश्चय किया है। इन ट्रालरों के आयात के लिये चुनिन्दा पार्टियों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और इन आवेदनों पर आयात लाइसेंस जारी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) भारत सरकार ने गुजरात सरकार के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र तथा अन्य गैर सरकारी मछली पकड़ने वाली कम्पनियों द्वारा किये सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि गुजरात के तट के निकट तथा तट से दूर 1,20,000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र मछलियों से भरपूर है।

(घ) गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुद्रिक मात्स्यिकी तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यक्रमों के लिये 185 लाख रु० की व्यवस्था की है। योजना की इस अवधि के दौरान राज्य सरकार का छः ट्रालरों की सहायता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इन ट्रालरों में से दो निर्माणाधीन हैं और आशा है ये 1970 के प्रारम्भ में कार्य शुरू कर देंगे। आशा है कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भी गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले उद्यम स्थापित किये जायेंगे।

समाचार अभिकरणों को भुगतान

7448. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के अन्तिम छः महीनों में विभिन्न समाचार अभिकरणों को कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
 (क) 1968 के अंतिम छः महीनों में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न समाचार एजेन्सियों को कुल मिला कर 15,25,624/—रुपये 69 पैसे दिये गये ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को 2,550/—रुपये का भुगतान किया जाना बाकी था ।

AICC Staff Consumers Cooperative Store, New Delhi

7449. **Shri J. B. Singh :**
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :

Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Shri Gopal Saboo :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the case of misappropriation of funds by the members of the All India Congress Committee Staff Consumers' Cooperative Store, New Delhi has been referred to the police ;

(b) if so, the date on which the case was referred to the Police and the date on which the report was submitted by the police ; and

(c) the names of the persons found guilty by the Government and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswami) : (a) Yes, Sir.

(b) A case of misappropriation of funds was reported on the 23rd July, 1962 to the Police, who registered a case on the 3rd September, 1968 and are carrying on investigations.

(c) On completion of the investigation by the Police, necessary action in the matter will be taken by the Delhi Administration. Having regard to the irregularities reported, the Registrar of Cooperative Societies, Delhi has placed the Society under liquidation and appointed a liquidator, who will also take further action in accordance with the prescribed procedure.

Installations of Tube-wells

7450. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee ;
Shri Suraj Bhan :

Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of tube-wells installed by Government in the country during the last three years ;

(b) the number out of them not working and the reasons therefor ;

(c) the action taken in this connection and the result thereof ;

(d) whether the percentage of the private tube-wells not working is lesser than the number of those installed by Government ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Supply of 'Compost' and 'Okhala' Fertilizers to Delhi Farmers

7451. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the efforts made by the Government for the supply of 'Compost' and 'Okhala' fertilizers available in Delhi to the farmers of Delhi and the neighbouring States of Haryana and Uttar Pradesh easily and at cheap rates and at low transport charges?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : Sludge and compost which belong to the Municipal Corporation, Delhi, are stored at the following places :—

Sludge	Compost
1. Okhala Sewage Treatment Plant	.. Badli Dump
2. Keshopur Sewage Treatment Plant	.. Jamuna Dump
3. Coronation Pillar Sewage Treatment Plant	..

Sludge is purchased by the Development Department of the Delhi Administration at a rate of Rs. 10/- per truck-load for distribution to farmers for which the Department maintains a fleet of 25 trucks. For compost, a royalty of Rs. 23856/- is paid annually by the Department to the Municipal Corporation. No price is charged for unsieved compost from the farmers who carry the compost from the dumps in their own vehicles. This results in greater off-take of the compost. Sieving arrangements are also available at the Badli Dump and such of the farmers as require sieved compost have to pay Rs. 2/- per tonne of sieved compost.

Compost is distributed Departmentally also like sludge. The rates charged for sludge and compost supplied through Departmental trucks are given below ;—

(a) Rates for Farmers Distance	Rates per truck load (Rs.)	
	Compost	Sludge
Upto 15 miles	.. 15/-	35/-
15-25 miles	.. 20/-	37/-
Above 25 miles (within the U. T.)	.. 20/-	40/-
(b) Rates for Urban Areas		
Upto 15 miles	.. 20/-	} 42/-
15-25 miles	.. 25/-	

It will be seen that lower rates are charged to the farmers as compared to the rates charged to the city dwellers.

There is no restriction for the farmers of the neighbouring States of Haryana and Uttar Pradesh to carry compost. For sludge there are restrictions for carrying it outside Delhi in view of excessive demand of the farmers in the Delhi Union Territory.

खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना

7452. श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के बारे में अनुसन्धान प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 1-11-1966 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 11.50 लाख रु० की लागत से "सौरगम, बाजरा, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा के अध्ययनार्थ" पांच वर्ष की अवधि के लिये एक परियोजना स्वीकृत की है । इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में कार्यान्वित की जा रही है, प्रोटीन की मात्रा में महत्वपूर्ण अन्तर के लिये उत्तरदायी उत्पत्ति विषयक तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर फसलों और किस्मों के सुधार में उनका प्रयोग करना है । खाद्यान्नों की फसल के सुधार के लिये परिषद द्वारा स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित परियोजना में प्रोटीन की अधिक मात्रायुक्त अधिक उत्पादनशील किस्मों के संकरण कार्यक्रमों में प्रोटीन की अधिक मात्रा उत्पत्ति विषयक इस प्रकार शोधित सामग्री का उपयोग करेगी ।

मसालों में आत्मनिर्भरता

7453. श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के मसालों के सम्बन्ध में भारत आत्मनिर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) काली मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, हल्दी, इलायची, जीरा, सौंफ, धनिया तथा लहसुन आदि अमुख मसालों में भारत आत्मनिर्भर है, किन्तु लौंग, जायफल, दारचीनी तथा अन्य साधारण मसालों में आत्मनिर्भर नहीं है ।

(ख) उन आम मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये, जिनके विषय में आत्मनिर्भर नहीं है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिये उपयुक्त पैकेज कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया गया है ।

Allotment of Reserved Land to Landless Scheduled Castes in Elam in Muzaffarpur (U. P.)

7454. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land reserved for the landless Scheduled Castes by the Consolidation Officer while doing land consolidation work in village Elam, District Muzaffarpur, U. P.

(b) the acreage of land reserved, the places where it has been reserved and the purposes for which it was reserved ;

(c) whether the entire reserved land has been allotted to the Scheduled Caste people ;

(d) if so, the names of the persons to whom it has been allotted and the area of land allotted to each of them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There is no district "Muzaffarpur" in Uttar Pradesh.

(b) to (e). Does not arise.

गुजरात की चीनी सम्बन्धी आवश्यकता

7455. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को कुल कितनी चीनी की आवश्यकता होती है;

(ख) गुजरात में चीनी मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) 1967-68 के सीजन में उन मिलों ने कितनी अवधि तक कार्य किया तथा इसी अवधि में इन मिलों में कितनी चीनी बनाई गई; और

(घ) चालू सीजन में इन मिलों के कितने दिनों तक कार्य करने की सम्भावना है तथा इस अवधि में कितनी चीनी बनाये जाने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने प्रतिमास कम से कम 15,000 मीटरी टन लेवी चीनी का कोटा देने का अनुरोध किया था ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।
 [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 875/69]

गुजरात में बीज फार्म तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

7456. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में केन्द्र की सहायता से बीज फार्म तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय सहायता से गुजरात में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना कर रही है। इस विषय में ब्योरा देने वाला एक विवरण है। जहां तक बीज फार्मों का संबंध है राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी। सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-876/69]।

आन्ध्र प्रदेश के गांवों में डाक सेवाएं

7457. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के गांवों में कितने डाकखाने, बचत बैंक, तार घर तथा टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की संभावना है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय कितने डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन केन्द्र थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेदनों पर विचार किया गया है;

(घ) ऐसे कितने डाकघर, बैंक, टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये राज्य सरकार ने प्रार्थना की थी; और

(ङ) कितनी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं तथा उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) विभागीय मानकों के पूरा होने पर और धनराशि, सामान तथा इमारतों के उपलब्ध होने पर उक्त अवधि में आंध्र प्रदेश में लगभग 2850 डाकघर, 3500 बचत बैंक कार्यालय, 175 तारघर, 150 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 150 टेलीफोन एक्सचेंज

स्थापित किये जाने की संभावना है। चौथी योजना का अनुमोदन न होने के कारण इन लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(ख)	(i)	डाकघर	..	12,856
	(ii)	बचत बैंक कार्यालय	..	8,631
	(iii)	तारघर	..	843
	(iv)	सार्वजनिक टेलीफोन घर	..	240
	(v)	टेलीफोन एक्सचेंज	..	430

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं की संख्या—

डाकघर—	..	10
बचत बैंक	..	कोई नहीं
तारघर	..	सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसी प्रार्थनाओं का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।
सार्वजनिक टेलीफोन घर	..	—वही—
टेलीफोन एक्सचेंज	..	5

(ङ) एक मामले में वित्तीय आधार पर औचित्य न होने के कारण डाकघर खोलने के एक प्रस्ताव पर आगे कार्रवाही नहीं की गई।

आन्ध्र प्रदेश में अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलें उगाने का कार्यक्रम

7458. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में आन्ध्र प्रदेश में अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलें उगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की गई;

(ख) वर्ष 1969 में कितने एकड़ भूमि में खेती करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1969 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खरीफ 1968 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.58 लाख एकड़ भूमि को आवरित किया गया है। रबी गर्मी 1968-69 में 4.03 लाख एकड़ भूमि में खेती करने का लक्ष्य है। इस मौसम में वास्तविक सफलता के विषय में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1969-70 के दौरान राज्य सरकार का अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.03 लाख एकड़ भूमि आवरित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस 16.03 लाख एकड़ क्षेत्रफल भूमि से अनुमानतः 10 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन की आशा है।

राज्यों में खोले गए भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

7459. श्री गार्डिलिंगन मौड : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय सब राज्यों में स्थापित किये गये हैं;
- (ख) यदि हां, तो ये कार्यालय किन-किन स्थानों में खोले गए हैं; और
- (ग) वर्ष 1968-69 में किन-किन स्थानों में कार्यालय खोले गए हैं; और
- (घ) इन कार्यालयों में कितने राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित कर्मचारी कार्य करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर।

(ख) से (घ). सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-877/69]। जहां तक इस प्रश्न के भाग (घ) का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का श्रेणीकरण राजपत्रित और अराजपत्रित के रूप में नहीं किया जाता है। वेतन के अनुसार उन्हें श्रेणी 1, 2, 3 तथा 4 में रखा जाता है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या उक्त विवरण में दिखाई गई है।

Study of Problems of Farmers

7460. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 1596 on the 21st November, 1968 and state :

(a) whether the information regarding problems of farmers has since been collected from the Uttar Pradesh Government ; and

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is still awaited from the State Government.

(b) The information has not yet been supplied to the Government of Uttar Pradesh by U. P. Krishak Samaj.

Non-Payment of Salary to P and T Employees in Indore

7462. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the Posts and Telegraph employees of the Indore Division have not so far been paid salary for the month of September, 1968 ;
- (b) if so, the reasons therefor ; and
- (c) the number of such employees and the time by which it would be disbursed to them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

- (b) Does not arise.
- (c) Does not arise.

Employment to Released Emergency Commissioned Officers

7463. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

- (a) the number of released Emergency Commissioned Officers who got themselves registered with the Employment Exchanges in the country for seeking jobs during the last three years ;
- (b) the number of those among such registered applicants who have since been provided employment and the number of those who are yet to be provided employment ; and
- (c) the action proposed to be taken by Government for providing employment to such candidates ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) 1966	..	24
1967	..	121
1968	..	231

(b) (i) Number of those provided with employment through Employment Exchanges—16

(ii) Number of those who were on the Live Registers of Employment Exchanges on 31-12-1968—163

(c) The following measures have already been taken :—

(1) A Special Cell has been set up in the Directorate General Resettlement (Ministry of Defence) for providing rehabilitation assistance to the Released Emergency Commissioned Officers and 1783 persons have so far been placed in employment through the agency of this Cell

(2) Four Officers on Special Duty with Headquarters at Calcutta, Madras, Bombay and Delhi have been appointed under the Director General, Resettlement, Ministry of Defence for establishing liaison with the State Governments and undertakings in Public and Private Sectors.

- (3) Re-orientation courses are being conducted to improve their employability.
- (4) Reservations have already been made for them in IAS/IFS/IPS and Central Services Class I and II.
- (5) Almost all the State Governments have also reserved certain percentage of their Class I and II posts for them.
- (6) They also enjoy Priority in the matter of submission against Central Government vacancies.

Promotion of Transmission Executives in A. I. R.

7464. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) the number of Transmission Executives in A. I. R. working on the same post for the past five years continuously ;
- (b) the number of times on which U. P. S. C. or Departmental tests were held during this period to promote them ;
- (c) the reasons for not considering to bring them at par with the Programme Executives in the light of Masani Committee's report, when they can prove to be more efficient Programme Officers then Producers and Assistant Producers ; and
- (d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 181 up to 1-4-1969.

- (b) Once. In August 1964.
- (c) The Study Team on AIR Staff Reorganisation (Masani Committee) did not make any recommendation to treat the Transmission Executives at par with the Programme Executives or Producers and Assistant Producers.
- (d) Does not arise.

Use of Hindi Forms in P & T Department

7465. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) the total number of forms in use in Post and Telegraph Department ;
- (b) the percentage of them printed in Hindi or in diglot form ;
- (c) how long the work of their translation has been in progress ; and
- (d) the steps taken to expedite this translation work and when the remaining forms would be printed in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) 2,000,

- (b) 3.25%

(c) Since July, 1967.

(d) Arrangements are being made to depute special staff for the purpose and the remaining forms will be printed in the bilingual and tri-lingual form as soon as possible.

बर्मा द्वारा भारत को चावल का सम्भरण

7466. श्री सीताराम केसरी :

श्री बसुमतारी :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री रा० कृ० सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा ने भारत को चावल देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में कितनी मात्रा में चावल की सप्लाई की जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में किए गए करार का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). लगभग 203 हजार मीटरी टन चावल खरीदने के लिए 5-2-1969 को बर्मा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठेके की समूची मात्रा का लदान 1969 के अंत तक पूरा किया जाना है और उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों की पशु-चिकित्सा शास्त्र की डिग्रियों को मान्यता

7467. डा० म० सन्तोषम् : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई पशु-चिकित्सा शास्त्र की डिग्रियों को विदेशों में मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड तथा आस्ट्रेलिया आदि अंग्रेजी भाष-भाषी देश, स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा पशुचिकित्सा में प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता देते हैं। फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी तथा सम्भवतः अन्य बहुत से देश भी उन्हें मान्यता करते हैं। उन मामलों में प्रवेश देश की भाषा के काम चलाऊ ज्ञान पर निर्भर करता है। अभी तक भारत सरकार या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के समक्ष इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई, जहां कि किसी भारतीय उम्मीदवार को इस कारण से प्रवेश न मिला हो कि भारतीय डिग्री को मान्यता नहीं दी जाती। निस्सन्देह प्रवेश प्रत्येक उम्मीदवार के निर्धारित स्तर के अनुरूप होने पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन

7468. श्री ज्योतिमय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर दूसरा हावड़ा पुल बनाने के लिये योजना में नियत की गई धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये इसी प्रकार योजना की राशि से भिन्न धनराशि नियत करने का है; और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिव शिन्दे) : (क) जी हां ।

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में संसाधनों के अभाव के कारण भारत सरकार ने चतुर्थ योजना के दौरान कलकत्ते में हुगली पर दूसरा पुल निर्माण करने के लिये राज्य योजना की अधिकतम सीमा के बाहर ऋण के रूप में सहायता देना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई भी केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है । अब सभी लघु सिंचाई कार्यक्रम राज्य योजनाओं के अंग हैं, इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई के विकास में संस्थानात्मक क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । चतुर्थ योजना के दौरान लघु सिंचाई के लिये संस्थानात्मक क्षेत्र के संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया गया है । अतः राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे गैर सरकारी लघु सिंचाई कार्यों (जो कि राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग हैं) पर धन लगाने के लिये संस्थानात्मक क्षेत्र की भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वितीय निगम, आदि एजेन्सियों के संसाधनों का भरपूर उपयोग करेगी ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को जम्मू तथा काश्मीर में बसाना

7469. श्री बाबू राव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री 5 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले उन चार परिवारों के नाम क्या हैं जिन्हें जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बसाया गया था ;

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वे कब से निवास कर रहे थे ;

(ग) वे हाल में किन-किन तारीखों को बसाये गये थे और क्या उन्हें कोई सम्पत्ति खरीदने की अनुमति दी गई थी ; और

(घ) जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार की इन लोगों को उस राज्य में बसाये जाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

- (क) 1 ईश्वर दास सुपुत्र गोकल चन्द ।
 2 सतीश चन्द्र सुपुत्र ईश्वर दास ।
 3 चैलू सुपुत्र केसर ।
 4 ईश्वर देवी सपुत्री हीरानन्द ।

(ख) मूलतः ये परिवार जम्मू तथा काश्मीर राज्य के रहने वाले थे ।

(ग) और (घ) . ये परिवार जम्मू तथा काश्मीर राज्य में 1965 के वर्ष में आये थे । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि क्योंकि ये सब परिवार उस राज्य के व्यक्ति हैं, इसलिए जम्मू और काश्मीर राज्य में सम्पत्ति खरीदने के लिये उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

Writers of 'Braj Bhasha' Programme of A. I. R.

7470. **Shri Sheopujan Shastri :**

Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) the names of books so far brought out by the new writers appointed for "Braj Bhasha Programme" in A. I. R. Delhi ;
- (b) the names of literary concern where these persons were working prior to their appointment in A. I. R.
- (c) the principles taken into consideration while appointing them ; and
- (d) whether there were no capable writers amongst those working at A. I. R., Delhi who have been successfully carrying on the 'Braj Programme' since 1963, which led the Government to deem it necessary to appoint writers from the open market ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The only person appointed as Script Writer for Braj Bhasha Programmes has not published any book.

(b) He was not working in any literary concern prior to his appointment in A. I. R.

(c) The appointment of the Script Writer was made in accordance with the prescribed procedure on the recommendation of a Selection Committee who had taken into account the essential requirements for the post.

(d) Persons already working in AIR who possessed the prescribed qualifications were free to apply for selection. One person who applied did not appear before the Selection Committee though he was called for interview.

धान तथा चावल विशेषज्ञों के जापानी दल की भारत यात्रा

7471. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी धान तथा चावल विशेषज्ञों का कोई दल इस समय भारत आ चुका है अथवा शीघ्र आने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के भारत आने का क्या प्रयोजन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, 10 फरवरी से 19 मार्च, 1969 तक 8 सदस्यों के एक जापानी कृषि सर्वेक्षण-दल ने भारत का दौरा किया था ।

(ख) इस दल के दौरे का मुख्य उद्देश्य जापान की सहायता से चलने वाले चार कृषि विस्तार केन्द्रों के कार्यकलापों का अध्ययन करना तथा कृषि के क्षेत्र में अधिक सहायता की सम्भावनाओं की खोज करना था ।

Foreign Exchange Earnings from Film Export

7472. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by Government from the film industry in the year 1967-68 ;

(b) the number of film producers who were sanctioned foreign exchange during the said year ;

(c) the amount of foreign exchange earned from the films produced by the said producers and the ratio of foreign exchange earned to that spent in case of each film ;

(d) whether it is a fact that some films could not earn foreign exchange while much amount thereof was spent thereon ; and

(e) if so, whether Government would ensure that foreign exchange is Sanctioned to right films in future ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). A Statement containing the information is attached herewith.

Statement

(a) Amount of foreign exchange earned through the export of films (in respect of all exports).

	(Rs. in thousands)
From November, 1966 to October, 1967	27,451
From November, 1967 to October 1968	33,314

(b) and (c). Foreign exchange released for location shooting abroad during 1967 and the amounts repatriated.

Name of the film	Exchange released	Amount Repatriate
1. Naina	£ 2500/-	They have not repatriate the amount so far as per guarantee executed by them. The matter is being pursued.
2. Johar Mehmood in Hongkong.	£ 1,595/-	They have not repatriate the amount so far as per guarantee executed by them. The matter is being pursued.

Name of the film	Exchange released	Amount Repatriate
3. Spy in Rome	£ 1,000/-	They have repatriated four times the amount released.
4. Pyar Ka Sapna	£ 2,500/-	They have availed of only £ 2,000/- as against the sanction of £ 2,500/-. Fresh guarantee obtained for repatriation of £ 8,000.
5. Ankhen	£ 3000/-	They have repatriated four times the amount released as per bank guarantee executed by them.

(d) In respect of some films, the repatriation of foreign exchange has not taken place because sales have not been effected.

(e) The formula under which Indian Producers are allowed foreign exchange, binds the applicant to repatriate four times the foreign exchange sanctioned. The Reserve Bank has introduced sufficient legal safeguards under which the bonded amount lapses in favour of the Government. Scripts are also scrutinised to determine the need and justification for shooting abroad.

Memorandum Regarding Improvement of Garhwali Programme of A. I. R.

7473. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) whether Government have received any Memorandum from the artistes participating in the 'Garhwali Programme' broadcast from the Delhi Station of All India Radio to bring about improvement in the said programme ;
- (b) if so, the action taken by Government thereon ;
- (c) whether it is also a fact that no qualified persons have been appointed to supervise Garhwali programmes and this work has been assigned to a script writer only ;
- (d) if so, the reasons therefor ;
- (e) whether any adequate arrangements for providing Garhwali musical instruments for the said programme have been made in the A. I. R. ; and
- (f) if so, the details in regard to the said instruments and the number of musicians engaged to play them and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

- (b) The points raised in the Memorandum were examined and action taken wherever necessary and feasible.
- (c) A qualified person employed as Script Writer supervises the programmes.
- (d) This arrangement is considered adequate,

(e) and (f). Hudki, Mochhang, Dounr, Manjira, Ghanti, Thali and Jhanj are available. An artist to play Hudki is booked if it is asked for as accompaniment by an artist. Tabla or Dhol is usually used in place of Dounr which is also provided when asked for by an artist. These Garhwali musical instruments other than Hudki and Dounr can be played by instrumentalists on the staff of the Delhi Station of AIR and there is no artist to play exclusively on the Garhwali instruments.

Script Writers in A. I. R.

7474. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) the minimum educational qualifications prescribed for the post of script-writers ;
- (b) whether it is a fact that many script-writers in AIR have not got Matriculation or equivalent educational qualifications ; and
- (c) if so, the basis on which they have been appointed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Degree of a recognised university or its equivalent in the case of open selection through advertisement ; this is relaxable in the case of candidates of exceptional merit. In the case of promotion, length of services, experience in broadcasting as a writer for radio, quality of work, suitability and good conduct are taken into account.

(b) and (c). Of the 133 Script Writers only 19 do not possess Matriculation or equivalent qualification. Most of these 19 Script Writers were appointed on promotion in 1964 before the prescribed minimum educational qualifications came into force and they are working mostly in remote stations in the hills of NEFA, Assam, West Bengal and Jammu and Kashmir.

Post Office Building in Collectorate, Gorakhpur

7475. Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

- (a) whether the attention of Government and the Post Master General, Lucknow has been drawn to the fact that the Post Office building in the Collectorate, Gorakhpur is in a very dilapidated condition and may collapse any time ;
- (b) whether it is a fact that the roofs of the building leak during the monsoons and the employees working there are put to much inconvenience ;
- (c) whether it is also a fact that four persons are employed in this Post Office while there is room only for two persons in this building ; and
- (d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) No, but there is no shed over the counter window resulting in inconvenience to the public during rains.

(c) 5 officials are employed ; there is room only for two persons.

(d) To meet the shortage, the case was taken up with the collector, but he has pleaded inability to help. No other suitable building is available near the Collectorate. PMG Lucknow is continuing to make efforts for securing alternate accommodation.

AIR Programmes in Nimadi Language

7476. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the programmes in Nimadi language are broadcast by the A.I.R. station at Indore, Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of such programmes broadcast during the year 1967-68;

(c) the names of the cities whose literatures were invited to take part in these programmes and the amount of money paid to them ;

(d) whether it is a fact that Nimadi speaking literatures of various cities were not invited for this purpose and the literatures of a particular area were invited ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) 47. Besides, Nimadi folk songs were broadcast in the Programme "Madhya Pradesh ke Lokgeet".

- (c) (1) Badvani
 (2) Khandwa
 (3) Barhanpur
 (4) Choli (West Nimad)
 (5) Badvaha
 (6) Mandleshwar
 (7) Nandra
 (8) Borla
 (9) Boni
 (10) Indore
 (11) Ujjain

The total amount paid to them is Rs. 439.50.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Central Grants to Farmers Forum in Madhya Pradesh

7477. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to give grants to the Farmers Forum in Madhya Pradesh ;

(b) whether the accounts of the Forum have been audited to ensure that the grant are properly utilised ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Import of Super Phosphate/Phosphate Fertilizers

7478. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of Super Phosphate/Phosphate fertilizers imported during 1968-69 ; and

(b) the total value of fertilizers imported during 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No straight phosphatic fertilisers like super-phosphate was imported during 1968-69. Compound fertilisers containing phosphates as one of the plant nutrients, were, however, imported during the same period. The quantities and value of each of these fertilisers imported during 1968-69 are as under :

Name of Fertiliser	Tonnage	Value Rs.
Ammonium Phosphate	.. 50,222	3,33,66,995
Diamonium Phosphate Ni	.. 2,16,073	16,83,57,599
Ammonium Nitro-Phosphate	.. 30,408	1,89,28,980
NPK Complex fertilisers	.. 1,19,500	7,84,85,934

(b) The total value of nitrogenous, Phosphatic and Potassic fertilisers imported in 1968-69 is Rs. 162.92 crores.

Unlicensed Radio Sets in Madhya Pradesh

7479. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the approximate number of unlicensed radio-sets in Madhya Pradesh at present and whether any investigations in this regard have been conducted ; and

(b) whether any action has been taken to issue licences for those sets ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) It is not possible to estimate the number of unlicensed radio receivers in Madhya Pradesh. Intensive checks are carried out

by the Wireless Anti-Evasion staff of the Department individually and in squads to detect unlicensed radio sets.

(b) Whenever unlicensed sets are detected, action is taken to persuade the holder of the set to obtain a licence with surcharge and prosecution in courts of Law under the Indian Telegraph Act, 1885 and Indian Wireless Telegraphy Act 1933, is resorted to only in cases when the offenders persistently refuse to obtain licences.

मध्य प्रदेश में कृषि-औद्योगिक निगम की स्थापना

7480. श्री गं० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में किसानों को ट्रैक्टर और औजार सप्लाई करने का कार्य करने के लिये एक कृषि-औद्योगिक निगम स्थापित करने का मध्य प्रदेश सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार अंश पूंजी में राज्य के अंशदान के रूप में इस निगम को 15 लाख रुपये दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार को बराबर का धन देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

मध्य प्रदेश राजकीय कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हाल ही में स्थापित की गई है।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश सरकार को इसी प्रकार का 15 लाख रु० का योगदान देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता

7481. श्री रा० कृ० बिड़ला :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों में राजस्थान में नलकूप लगाने और खुले कुएं खोदने के लिए राजस्थान को कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु उक्त अवधि में किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई और कितने नलकूप लगाये गये और कितने खुले कुएं खोदे गये ;

(ग) क्या नलकूप लगाने और खुले कुएं खोदने के परिणामस्वरूप प्रति एकड़ कृषक

उत्पादन की वृद्धि के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार से जानकारी प्राप्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (घ) . केन्द्रीय सहायता की पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता "कृषि उत्पादन" व "लघु सिंचाई" आदि वृहद् विकास शीर्षकों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी जाती है न कि अलग-अलग योजनाओं के लिये पृथक् रूप से । अतः अपेक्षित जानकारी राजस्थान सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लौकाहा तथा बाबू वाराही (दरभंगा जिला) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

7482. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री 6 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में लौकाहा तथा बाबू वाराही के कौवाला नदी के दूसरे किनारे पर स्थित होने के कारण वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर इस बीच आगे विचार पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). लौकाहा और बाबू वाराही में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की आगे और जांच की गई है । इन प्रस्तावों से विभाग को घाटा दिखाई देता है, जिसकी मौजूदा नीति के अनुसार छूट नहीं दी जा सकती । यदि कोई इच्छुक पार्टी दोनों मामलों में अलग-अलग तौर पर घाटा पूरा करने के लिए तैयार हो तो गारंटी के आधार पर इन प्रस्तावों की मंजूरी दी जा सकती है ।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, पटना में हड़ताल

7483. श्री रामावतार शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, सहायनगर, पटना के प्रबन्धकों ने 11 वरिष्ठ कर्मचारियों को वापिस लेने से इन्कार करके 1 मार्च, 1969 को मजदूर संघ के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है जो कि फरवरी, 1969 में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में किया गया था और 9 नये कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपरोक्त संघ ने 11 मार्च, 1969 को

सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को पत्र लिखा है जिसमें उसने संस्था के मजदूर विरोधी दृष्टिकोण के प्रति तथा समझौते का उल्लंघन करने के कारण रोष व्यक्त किया है ; यदि हां, तो इस पत्र का व्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समझौतों में केवल यह व्यवस्था है कि उन अनियमित मजदूरों को, जो 22 फरवरी, 1969 के प्रातः उपस्थित थे, काम पर आने की अनुमति दी जायेगी। ये 11 मजदूर 22 फरवरी के प्रातः उपस्थित नहीं थे, अतः समझौते का यह भाग उनके विषय में लागू नहीं होता। जब हड़ताल करने वाले मजदूरों में से बहुत से व्यक्ति काम पर नहीं आये तो पहली मार्च से पहले 9 मजदूरों को काम पर लगाया गया था ;

(ख) जी हां, जिन मजदूरों ने संघ बनाया था (और जिसे मंजूर व रजिस्टर नहीं किया गया है) अब तक अनुसन्धान संस्थान के अधिकारियों के विरुद्ध सहायक मजदूर आयुक्त को पत्र लिखा था। पत्र-व्यवहार की एक लिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-878/69]

(ग) सरकार हड़ताल को नाजायज समझती है और अनुसंधान संस्था के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही 1 मार्च, 1969 के समझौते का उल्लंघन नहीं थी परन्तु सरकार समझती है कि मजदूरों के साथ सहानुभूति एवं उदारतापूर्ण व्यवहार होना चाहिये अतः समुचित अनुशासन को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, संस्था के नये निदेशक को संस्था में जाकर मामले की जांच-पड़ताल करने (जिसमें मजदूरों की कार्य करने की परिस्थिति भी सम्मिलित है) के लिये कहा जा रहा है।

अनाज का संरक्षण

7484. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के विशेषज्ञों के एक दल ने विकासशील देशों में स्थानीय खपत तथा निर्यात के लिए अनाज के संरक्षण हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका अध्ययन किया गया है ; और

(ग) क्या उन्हें भारत में अपनाया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). इस संबंध में अखबार में छपी एक खबर सरकार ने देखी है। यदि यह

कहा बताया जाता है कि विशेषज्ञों के दल ने इस मामले में कोई रिपोर्ट दी है तो वह भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

New Building for Telephone Exchange at Swai Madhopur (Rajasthan)

7485. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a scheme to construct a new building to house the Telephone Exchange which is housed in an inconvenient building at present in Swai Madhopur, Rajasthan ;

(b) the time by which the new building would be constructed and the cost involved therein ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government are facing any problem regarding the land etc. for that purpose ; and

(e) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (e). There are two Telephone Exchanges at Swai-Madhopur, one in town and the other near the Railway Station. Both of these exchanges are in rented buildings and existing accommodation in both of them is considered adequate at present.

There is a proposal to purchase the present Exchange building belonging to State Government near the Railway Station and this is awaiting the approval of the State Government. After purchasing of the building, a new Exchange building can be put up when required.

There is no proposal to construct a building for the Telephone exchange at present.

Telephone Exchange at Khandar, (Rajasthan)

7486. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a strong public demand for setting up a Telephone Exchange at Khandar District Swai Madhopur, Rajasthan ;

(b) whether it is also a fact that some persons have deposited telephone fee also ;

(c) if so, when the Exchange is proposed to be installed there ;

(d) whether it is a fact that a Scheme is being implemented to instal a Telephone Board in the Public Call Office itself to give telephones ;

(e) if so, the reasons therefor ;

(f) whether it is also a fact that this system would have to be discontinued when the number of telephones increases there and if so, whether an automatic 25 Telephone Exchange would be installed there ; and

(g) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. Ten persons had applied for P.C.O. extensions which have been offered to them.

(b) Only five of the 10 applicants to whom the demand notes for P.C.O. extension were issued have paid them so far.

(c) and (d). At present only a magneto board is being installed to provide P. C. O. extensions.

(e) Considering the present demand installation of a telephone exchange is not economically remunerative.

(f) Yes, Sir, an exchange would be installed after there is sufficient demand.

(g) Does not arise.

P and T Office in the New Market of Gangapur City (Rajasthan)

7487. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the businessmen of Gangapur city are persistently demanding the setting up of a Post and Telegraph Office in the new market in Gangapur city (Bharatpur, Rajasthan) ; and

(b) if so, the time by which Government propose to open a Post and Telegraph Office there; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No such representation was received by the PMG, Jaipur.

(b) A post office with telegraph facility has been sanctioned in new market, Gangapur city. It will start functioning shortly. Telegraph facility will be provided this year after receipt of stores.

(c) Does not arise.

Cases of Malpractices under Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937

7488. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of businessmen found guilty of malpractices during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 year-wise under the Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 ; and

(b) the names, designations and addresses of the above persons and the steps taken to make the above Act effective ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Anna Sahib Shinde) :

(a)	(i) 1966-67	..	One
	(ii) 1967-68	..	One
	(iii) 1968-69	..	One

(b) (i) **1966-67** : M/S Khuman Chand Shyam Lal, Bristles Exporters, Kanpur (U. P.).

A consignment of bristles booked for shipment from Bombay Port was found containing wooden blocks and coir mats at Bombay Port. It was seized and the Certificate of Authorisation of the Party was suspended for 20 days and then was renewed after laying down certain conditions which are still in force.

(ii) **1967-68** : M/S Tika Ram and Sons, Pvt, Ltd., Aligarh (U. P.)

The mustard oil graded under Agmark by the Party was found adulterated with mineral oil. The Certificate of Authorisation issued to the Party under the Act was cancelled.

(iii) **1968-69** : M/S Gaya Ram Gabbu Lal, Bristles Exporters, Barhaj Bazar, District Deoria, (U. P.)

Importers in U. K. detected cases of Bristles graded under Agmark substituted by the mixture of cement, seeds and whole lentils etc. The Certificate of Authorisation of the party was cancelled.

भारत द्वारा अमरीका से गेहूं की खरीद

7489. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत गत दिसम्बर में किये गये करार के अनुसार अमरीका के कृषि विभाग ने भारत द्वारा 360,000 टन अमरीकी गेहूं की खरीद की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गेहूं खरीदने तथा उसे जहाज द्वारा भेजने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं की सप्लाई 23 दिसम्बर, 1968 के अनुपूरक पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत हो रही है। इसमें 23 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने की व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका (कृषि विभाग) ने इस करार के अधीन समय-समय पर क्रय-स्वीकृति जारी की है। अब तक जारी की गयी क्रय-स्वीकृतियों में 24 फरवरी, 1969 को कुल 3,60,000 मीटरी टन गेहूं के लिए जारी की गयी दो स्वीकृतियां शामिल हैं। सम्भवतया माननीय सदस्य का इन क्रय स्वीकृतियों की ओर निर्देश है।

(ख) माननीय सदस्यों की सूचना के लिए करार की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई हैं और इसकी मुख्य बातें 23 दिसम्बर, 1968 को जारी की गयी एक प्रेस विज्ञप्ति में दे दी गई हैं।

(ग) मार्च, 1969 के अन्त तक 12.75 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदा गया था और करार के अधीन 9.34 लाख मीटरी टन गेहूं का जहाज में लदान हो चुका था ।

कुछ राज्यों में ऊबड़ खाबड़ तंग घाटियों की भूमि को खेती योग्य बनाना

7490. श्री दे० बि० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रमशः 7 तथा 8 फरवरी को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ग्वालियर में डकैती का बड़ा धन्धा है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार और "ईमानदारी से जीवन चलाने का अवसर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में चम्बल, यमुना तथा माही नदी क्षेत्रों की ऊबड़ खाबड़ तंग घाटियों की भूमि को खेती योग्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों में फैले हुए समाज-विरोधी तत्वों के साथ कारगर ढंग से निपटने के उद्देश्य से इन ऊबड़ खाबड़ तंग घाटियों की भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया ; यदि हां, तो ब्योरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में चम्बल, यमुना और माही नदियों के साथ-साथ 10 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत ऊबड़ खाबड़ तंग घाटियों की समस्या से भारत सरकार परिचित है ।

(ख) ऊबड़ खाबड़ तंग घाटी की भूमियों का नियंत्रण एवं उन्हें खेती योग्य बनाने की समस्या का कोई अल्पकालीन समाधान नहीं है क्योंकि यह न केवल भूमि संरक्षण और भूमि उद्धार के उपायों को ही विचार में लाता है अपितु पारिस्थितिक तत्वों को भी, जो नदी घाटियों में कृषि तथा शष्प भूमि के विकास को शनैः शनैः सम्भव बनायेंगे और जिसके फलस्वरूप समाज विरोधी तत्वों के छिपने के स्थानों की समाप्ति करने में सहायता मिलेगी । ऊबड़-खाबड़ तंग घाटियों का सम्पूर्ण रूप से समतल करना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है । चुनीदे क्षेत्रों में ऊबड़-खाबड़ तंग घाटियों के स्थरीकरण और उथली ऊबड़-खाबड़ तंग घाटियों और पटल भूमियों को खेती योग्य बनाने के लिये उपाय आरम्भ कर दिये गये हैं । केन्द्रीय संचालित एक योजना के अन्तर्गत ऊबड़-खाबड़ भूमि के 50,000 हैक्टेयर का सर्वेक्षण किया गया । लगभग 209 लाख रुपये के व्यय पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 54,000 हैक्टेयर से भी अधिक फैले हुये एक क्षेत्र को खेती योग्य बना दिया गया है या संरक्षणीय वनरोपण के अन्तर्गत रख दिया गया है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये, केन्द्रीय कार्यकारी दल ने 721 लाख रुपये के परिव्यय के

साथ 1.54 लाख हैक्टयर के कुल योग के ऊपर भूमि उद्धार और वनरोपण के कार्यों की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त ऊबड़-खाबड़ तंग घाटी की भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये चार मार्गदर्शी परियोजनाओं की स्थापना के हेतु एक केन्द्रीय संचालित योजना है जिस पर 200 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होनी है। भूमि उद्धार नीतियों और कार्यक्रमों के बनाने एवं पुनरीक्षण के हेतु एक केन्द्रीय ऊबड़-खाबड़ भूमि उद्धार बोर्ड बनाया है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

विदेशी तेल समवायों द्वारा छंटनी

7491. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में भारत में विदेशी तेल समवायों द्वारा कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है, परन्तु सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन माह में किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं की उत्पादन लागत

7492. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री ही० ना० मुकर्जी :

श्री योगेन्द्र झा :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-काश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लिये गेहूं की उत्पादन लागत का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं की उत्पादन लागत मालूम करने के लिए अभी तक कोई राज्यवार रीतिबद्ध सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं। परन्तु सन्

1954-55 से 1956-57 के दौरान पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में तथा 1961-62 से 1963-64 के दौरान पंजाब के उस समय के करनाल और रोहतक जिलों तथा जीन्द तहसील में किये गये फार्म प्रबन्ध अध्ययनों के अन्तर्गत गेहूं की उत्पादन लागत में आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। आजकल पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक और फार्म प्रबन्ध अध्ययन किया जा रहा है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ गेहूं की उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

Setting up of Food Corporations in States

7493. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a proposal from the West Bengal Government regarding the setting up of a State Corporation in place of the Food Corporation of India in the State :

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) whether other States also would be allowed to set up separate Corporations in the respective State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) If and when a State Government requests for establishment of a State Food Corporation, the same would be considered by the Central Government in accordance with the provision of section 17 of the Food Corporations Act.

Strike by Staff Artistes of A. I. R.

7494. **Shri Deven Sen** :

Shri Tulsidas Dasappa :

Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that staff artistes of All India Radio throughout India have refused to draw their salary for March, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that they had submitted some of their demands to Government ; and

(c) if so, the nature thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No Sri. Some staff artistes who did not draw their salaries on 1st April received payments on one of the subsequent days.

(b) Yes, Sir.

(c) They had demanded merger of D. A. with their fee. This demand has not been accepted by Government.

अमरीका से वनस्पति तेल का आयात

7495. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी कृषि विभाग द्वारा भारत को दिये गये अमरीकी वनस्पति तेल के लिये अग्रिम क्रय स्वीकृति लेने के प्रस्ताव के बारे में बातचीत में गतिरोध आ गया है और सम्भव है कि इसमें सफलता न मिले ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रगति का व्योरा क्या है, किन-किन मामलों में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से भारत में तेल की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच 27 मार्च, 1969 को अगले नियमित पी० एल० 480 करार के होने से पहले अग्रिम रूप में 10,000 मीटरी टन सोयाबीन तेल की अधिप्राप्ति करने के लिये एक समझौता हुआ था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Income from display of advertisements on Telephone Poles in Rajasthan

7496. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the extent of income to Government from the display of advertisements etc. of various firms and companies on telephone poles in Rajasthan during 1968 ; and

(b) the extent of monthly income on that account since January, 1969 so far and the number of such contracts concluded with various concerns etc. with names thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Rs. 2,551/-.

(b) The amount of fee is recovered on annual basis. The monthly income since January '69 works out to Rs. 212/-. License has been granted to a single Firm namely M/S Vasudeva Publicity Society.

Pasting of propaganda material on Telephone Poles during Mid-term Elections

7497. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various political parties had pasted propaganda material on the telephone poles in Uttar Pradesh during the mid-term elections held recently there ;

(b) if so, the amount of income accrued to the Government therefrom ;

(c) the procedure in regard to the pasting of such propaganda material on the telephone poles; and

(d) the amount of income thus earned particularly in Mathura city of Uttar Pradesh, party-wise?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) According to the information received from the Licensee M/S Adsales Corporation of India Lucknow who have been given license for display of advertisements on Telegraph/Telephone poles, only one political party had propaganda material pasted in some cities of U. P. including Mathura during recent mid-term election.

(b) No extra income accrued to Government on account of display of the propaganda material.

(c) The Government has been allowing kiosk advertisement on telegraph/telephone poles on fixed annual payment to licensees who are authorised through written agreement to display advertisements.

(d) Does not arise in view of part (b) of the reply.

Drought in Bihar

7498. **Shri Ram Avtar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that serious famine conditions have been created in District Palamau of Bihar ;

(b) if so, whether it is also a fact that some persons have died of starvation there :

(c) if so, their names ;

(d) the steps taken so far to provide relief to the famine-affected people ;

(e) whether the Government of Bihar have also made a request to the Centre to provide assistance for relief to the famine affected people ;

(f) if so, the details thereof ; and

(g) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (d). The Bihar Government was contacted and we were told that the State Government had not received any report of drought conditions in Palamau district of Bihar from the local officers, though there had been requests from the public for starting of relief works there. A senior officer of the Bihar Government has been asked to visit the district and the State Government would take action after his report has been received. They would also send a report to us after the official has returned and the information received from the State Government will be laid on the Table of the Sabha after it has been received.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(e) No, Sir.

(f) and (g). Do not arise.

Mismanagement in Distribution of Dak at Farrukhabad

7499. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the news that the people of Farrukhabad are facing great difficulty on account of mis-management in regard to distribution of dak ;

(b) whether it is also a fact that the dak despatched from Delhi and Allahabad takes more than a week to reach there and the main reason thereof is accumulation of dak and other urgent letters there for many days ; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. No mismanagement of distribution of dak exists at Farrukhabad.

(b) No. The mails posted in Delhi upto 5.00 P.M. are ordinarily delivered on the next day and those posted late are delivered on the 3rd day.

Similarly the mails posted at Allahabad upto 6.00 P.M. are delivered on the next day and those posted late are delivered on the 3rd day.

(c) Does not arise.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली

7500. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के महा सचिव द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि "भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के भारी अपव्यय, समाज विरोधी तत्वों द्वारा कृषकों के शोषण तथा अविवेकी वसूली कर्मचारियों के लिए उत्तरदायी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नोसाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम देश में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण के लिए सरकारी क्षेत्र में एकमात्र एजेंसी के रूप में कार्य करने और व्यापार में अपेक्षित अनुशासन लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । कुल मिलाकर, निगम इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा है । गत कई वर्षों में पहली बार देश के अधिकांश भागों में खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति देखी गई है । निगम ने उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य तो दिये ही हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर नियमित सप्लाई भी सुनिश्चित की है ।

उड़ीसा में केन्द्र सरकार के उपक्रमों में दुर्घटनाएं

7501. श्री दे० अमात : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1968 में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में दुर्घटनाओं आदि से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(ग) यदि कोई प्रतिकर नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासित होता है, के अन्तर्गत वर्ष 1968 से सम्बन्धित विवरणियां श्रम व्यूरो निदेशक, शिमला को उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी विवरणियों में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के संबंध में अलग सूचना नहीं होती।

आसाम में उठाऊ सिंचाई योजना

7502. श्री रा० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने पानी की भारी कमी वाले क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र को लाभ होगा ;

(ग) क्या आसाम सरकार ने ऐसी योजना के निष्पादन के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण कृषकों के हित में ऐसी योजना की सहायता करने के लिये उत्सुक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्डे) : (क) से (घ). खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय को आसाम सरकार द्वारा तैयार की गयी इस प्रकार की किसी योजना की जानकारी नहीं है।

इस मंत्रालय को उठाऊ सिंचाई योजना के लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता के हेतु कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

मनीपुर में श्रमिकों का कल्याण

7503. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के अन्तर्गत विभिन्न संस्थापनाओं जैसे मनीपुर राज्य परिवहन,

लोक निर्माण विभाग, वर्कशाप विद्युत डिवीजन, लोक निर्माण विभाग तथा सरकारी मुद्रणालय मनीपुर में श्रमिकों के कल्याण के लिये मनीपुर सरकार द्वारा क्या श्रम कल्याण कार्यवाहियां की गई है ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये कितने श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने मनीपुर राज्य परिवहन के लिये भी जहां पहले ही एक श्रम अधिकारी था, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति न करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर राज्य परिवहन विभाग में नियुक्ति श्रमिकों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की है :—

- (1) विश्रामालय
- (2) कैन्टीन ।
- (3) वर्दियों की सप्लाई
- (4) धुलाई भत्ता
- (5) प्रथमोपचार सुविधाएं
- (6) औषधालय

चूंकि सरकारी मुद्रणालय और मनीपुर राज्य विभाग एक ही अहाते में स्थित हैं, इसलिये मुद्रणालय के श्रमिकों के लिए मनीपुर राज्य परिवहन विभाग की कैन्टीन और प्रथमोपचार सुविधाओं का लाभ उठाने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) मनीपुर राज्य परिवहन विभाग में एक श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया था, परन्तु उसने बाद में त्याग-पत्र दे दिया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मनीपुर प्रशासन द्वारा मनीपुर राज्य परिवहन विभाग में श्रम अधिकारी नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

मनीपुर में पंचायत कानून

7504. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर विधान सभा में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में लागू वर्तमान उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम के स्थान पर नया पंचायत कानून लाया जा रहा है ;

(ख) क्या प्रस्तावित विधेयक में दो क्रम-प्रणाली लागू करने तथा पंचायतों के प्रधानों

को वेतन देने का उपबन्ध करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो पंचायती संस्थाओं में प्रस्तावित प्रवर्तन की योजना क्या है ; और

(घ) क्या प्रस्तावित कानून के लागू होने के बाद पंचायतों के चुनाव जो अब तक हो जाने चाहिये थे, पुनः होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) विधेयक में दो क्रम-प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है किन्तु पंचायतों के प्रधानों को वेतन देने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

(ग) विधेयक में खण्ड स्तर पर पंचायत समितियां स्थापित किये जाने की व्यवस्था है । न्याय पंचायतों के लिये पृथक अधिनियम होगा ।

(घ) मनीपुर में प्रस्तावित अधिनियम के लागू किये जाने से पहले अगस्त, 1969 में चुनाव होने हैं ।

मनीपुर में छोटी सिंचाई योजनाएं

7505. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिये मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में शुरू की गई तथा पूरी हुई छोटी सिंचाई योजनाओं का व्योरा क्या है ;

(ख) उक्त कार्यों पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) उक्त अवधि में मनीपुर के लिये मध्यम सिंचाई योजनाओं सहित सिंचाई के काम के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). मणिपुर संघ क्षेत्र से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में भू-राजस्व की बकाया राशि

7506. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की विशेषतया भू-राजस्व की बहुत बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 (अनुमानित) के अन्त में सामान्य राजस्व तथा विशेष रूप से भू राजस्व की कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) क्या प्रति वर्ष बकाया राशि बढ़ती रही है, यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या जैसा कि त्रिपुरा की लोक लेखा समिति के हाल ही के एक प्रतिवेदन में बताया गया है, मुख्य कारण यह है कि किस्तों में भू-राजस्व वसूल करने का कोई उपबन्ध नहीं है ; तो इन सिफारिशों/कथनों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Technical Staff for Motor Vehicles in A. I. R., Patna

7507. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that provision has been made for appointment of proficient staff for technical work in various stations of A. I. R. for the maintenance of motor vehicles (buses etc.) ;

(b) if so, whether it is also a fact that such technical staff has not been appointed at A. I. R. Station, Patna ;

(c) if so, the reasons therefor :

(d) whether Government propose to appoint such staff at this station ; and

(e) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. Except for the News Services Division, New Delhi no qualified staff is provided for maintenance of vehicles.

(b) and (c). No technical staff have been appointed at Patna as the work load does not justify appointment of such staff.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Conveyance for Night Staff of A. I. R.

7508. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that conveyance is provided by AIR to the employees who are required to attend or leave office at midnight, in accordance with the AIR Manual ;

(b) if so, whether it is also a fact that the employees of AIR Station at Patna have to go to Jethuli Transmitting Station, which is situated at a distance of 15 miles from the Head-

quarters, at mid-night and they are not provided with any conveyance at that time to cover this distance ;

- (c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken in that matter ;
- (d) whether it is also a fact that most of the vehicles there remain out of order ; and
- (e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. But this cannot be claimed as a matter of right.

(b) The technical staff who have to go to Jethuli Transmitting Station report first at the studio for duty and they are always provided transport to and from the Transmitting Station.

(c) Does not arise.

(d) and (e). Out of the 5 vehicles at AIR, Patna, 3 vehicles which have already run their normal life, are out of order. These vehicles are being replaced or repaired.

Employment-Oriented Agricultural University

7509. **Sbri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not so far realised the need of establishing an Agricultural University which should have one acre of land per student and which would provide education, interest and experience in Agriculture along with employment ;

(b) if so, whether Government plan to convert some Universities into Agricultural Universities ; and

(c) whether it is also a fact that on account of Agricultural Universities the urban people would lean towards villages and this will help in decentralisation of industries there ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government have fully realised the need for establishing Agricultural Universities in different States with adequate farm lands for training of students, though it is not felt that a rigid rule of one acre per-student should be followed. The Agricultural Universities would have adequate farm facilities which will give them training in actual agricultural operations and also create in them interest in agriculture.

(b) Does not arise.

(c) Agricultural Universities and other agencies are extending knowledge of scientific farming which has made agriculture a paying enterprise in many areas. Some progressive urban people owning land in rural areas are now coming back to their land to take up farming on their own. However, this trend is not yet significant enough so as to bring about decentralisation of industries.

परिवार पेंशन योजना

7511. श्री रा० कृ० सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वालों के लिये परिवार पेंशन योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग). सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के लिये भविष्य निधि के अंशदानों के एक भाग से निधि तैयार करके परिवार पेंशन योजना के लिये धन देना संभव होगा। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले को स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन के सामने रखने का विचार है।

दूर संचार उपकरण का आयात

7512. श्री रा० कृ० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत द्वारा कितना तथा कितने मूल्य का दूर संचार उपकरण आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : गत तीन वर्षों के दौरान रख-रखाव के लिए 274.44 लाख रुपये के सामान का आयात किया गया था जिसमें डाक-तार कारखानों के लिये कच्चा माल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिये गये ऋण की मद में 1966-67 से पहले दिये गये आर्डरों पर 457 लाख रुपये का दूर-संचार उपकरण भी प्राप्त किया गया था।

सूरत गढ़ स्थित केन्द्रीय सरकारी फार्म का बन्द किया जाना

7513. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सोवियत संघ से उपहार में प्राप्त उपकरणों से स्थापित किये गये सूरतगढ़ स्थित केन्द्रीय सरकारी फार्म को बन्द करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं।

खाद्य नीति के संबंध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

7514. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री नि० रं० लास्कर :
 श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री रा० बरुआ :
 श्री रा० कृ० सिंह : श्री चेंगलराया नायडू :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि 1969-70 के लिए खाद्य नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में 3 अप्रैल, 1969 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ; और
 (ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । 1969-70 विपणन मौसम हेतु रबी खाद्यान्नों की नीति के संबंध में विचार विमर्श करने के लिये सम्मेलन हुआ था ।

(ख) गेहूं के मूल्य और अधिप्राप्ति तथा गेहूं के क्षेत्र के संबंध में चर्चा हुई थी । इन मामलों में सरकारी निर्णय की घोषणा 15 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में की गई थी ।

उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

7515. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में राज्य में छोटी सिंचाई व्यवस्था के विकास और नये कुएं खोदने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) उस सरकार ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया और इन कार्यों में प्रति वर्ष कितनी प्रगति हुई ; और

(ग) वर्ष 1969-70 के लिये ऐसी योजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई और उन योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 से लेकर 1968-69 के दौरान राज्य योजना लघु सिंचाई कार्य-क्रम के लिये समस्त रूप में जिसमें नये कुएं खोदना भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी हुई है :—

	ऋण	(रुपये लाखों में) अनुदान
1966—67	2194.84	217.19
1967—68	1539.16	384.74
1968—69	1177.57	294.39

राज्य योजना स्कीमों के लिये उपरोक्त सहायता के साथ-साथ निम्नलिखित केन्द्रचालित परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार को अधोलिखित अनुदान निर्मुक्त किये गये :—

	(रुपये लाखों में)		
	1966—67	1967—68	1968—69
लघु सिंचाई और जल प्रयोग पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये परियोजनायें	2.50 @	1.30 @	0.625 @

@100% अनुदान

नोट :—राज्य योजना और केन्द्र चालित परियोजना के लिये उपरोक्त आंकड़े अस्थाई हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के वास्तविक लेखापरीक्षित आंकड़ों के समंजन के आधीन हैं ।

(ख) राज्य सरकार से पूर्ण जानकारी की प्रतीक्षा है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि 1969-70 से आगे राज्य योजना परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों को खण्ड अनुदान और कर्जों के रूप में होगी और विकास के विभिन्न शीर्षकों, जैसे लघु सिंचाई, कृषि उत्पादन आदि से आबद्ध नहीं होगी जैसा कि अब से पहले होता रहा है । भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित केन्द्र चालित परियोजनायें 1969-70 से राज्य योजना का अंग होंगी । योजना आयोग ने अस्थाई रूप से 1969-70 के दौरान उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये 17.50 करोड़ रुपये के व्यय की सिफारिश की थी । लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संशोधित उपबन्ध के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मिलने की प्रतीक्षा है ।

धान कूटने की आधुनिक मशीनों का निर्माण

7516. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान कूटने की आधुनिक मशीनों के निर्माण की सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक चावल मिलों को स्थापित करने का है ;

(ख) इस वर्ष कुल कितनी आधुनिक चावल मिलें खोलने का विचार है ; और

(ग) ये मिलें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम 24 आधुनिक चावल मिलें स्थापित कर रहा है । इनमें से 11 यूनिटों में इस वर्ष के अन्त तक काम चालू हो जाने की आशा है । राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधीन ये 11 मिलें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. थंजावर | 7. भरियाला गुडा |
| 2. मन्नरगुडी | 8. करनाल |
| 3. सेम्बानार कोइल | 9. बटाला |
| 4. ओलवक्कोट | 10. हीराकुण्ड |
| 5. निजामाबाद | 11. सूरी (बीरभूम) |
| 6. निल्लौर | |

कर्मचारी भविष्य निधि योजना का कर्मचारी राज्य बीमा योजना के साथ विलय

7517. श्री ई० के० नायनार : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना को मिलाने की एक योजना तैयार की थी ;

(ख) इस समय वह योजना किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में उस योजना के बारे में अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनरीक्षण समिति की एक सिफारिश कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के विलय के बारे में थी । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

डाक तथा तार विभाग के पालघाट सर्किल के उन कर्मचारियों का बर्खास्त

तथा मुअतिल किया जाना जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968

की हड़ताल में भाग लिया था

7518. श्री ई० के० नायनार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट (केरल) सर्किल के कितने डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को

19 सितम्बर, 1968 की आम हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त और मुअत्तल किया गया ;

(ख) क्या पालघाट के डाक तथा तार अधिकारियों ने गत वर्ष की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के प्रति सरकार के द्वारा घोषित नरम नीति को कार्यान्वित किया है ; और

(ग) क्या नीति की कार्यान्विति में भेद भाव किये जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) कोई भी कर्मचारी बर्खास्त नहीं किया गया और मुअत्तल किये गये कर्मचारियों की संख्या 42 है ।

(ख) जी हां । सभी 42 कर्मचारियों की मुअत्तली के आदेश पहले ही रह किये जा चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

नेशनल पब्लिसिटी फोरम के पते पर भेजे गये मनीआर्डरों का वापस आना

7519. श्री भगवान दास : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल पब्लिसिटी फोरम मार्फत वासमती डेली, वबारू जंक्शन या 86 ए लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता के भेजे गये कोई मनीआर्डर 2962/68 के बीच बिना लिये लौटाये गये थे ;

(ख) क्या स्थानीय डाक अधिकारी इस नाम से परिचित थे ; और

(ग) यदि हां, तो कब से और किस आधार पर ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इन दोनों पतों पर इस नाम की कोई संस्था नहीं मिली । मनीआर्डरों का ठीक-ठीक व्योरा दिये जाने पर उनके निपटान का पता लगाने के बारे में प्रयत्न किये जा सकते थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

‘लोक सेवक’, कलकत्ता

7520. श्री क० हाल्दर : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1962 से प्रकाशित हो रहे ‘लोक सेवक’, कलकत्ता के मालिकों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रकाशकों ने भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को जो सूचना दी, उसके आधार पर 1962 से लोक सेवक, कलकत्ता के मालिकों के नाम नीचे दिये गये हैं :

1962	दी श्रमिक ट्रस्ट सोसाइटी
1963	मैसर्स जतिया सम्बाद प्रकाशनी लि०
1964	” ” ” ” ”
1965	” ” ” ” ”
1966	मैसर्स सुचित्रित प्राइवेट लि०
1967	” ” ” ”
1968	” ” ” ”

समाचार पत्रों को डाक से भेजने से होने वाली आय

7521. श्री लोबो प्रभु : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 औंस से कम वजन के समाचार पत्रों को डाक द्वारा भेजने से चालू वर्ष में कितना राजस्व अर्जित किया गया और गत वर्ष इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) यदि अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो क्या गत वर्ष के सर्वेक्षण की भांति जिनके आधार पर दरों में वृद्धि की गई थी, कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कैसे जानती है कि दरों की वृद्धि से समाचार-पत्रों के डाक से भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों तथा उनसे होने वाले राजस्व में कमी नहीं हुई है ; और

(घ) ऐसा सर्वेक्षण शीघ्र न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1968-69 के वर्ष की आय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं। 1967-68 के वर्ष के दौरान 100 ग्राम तक के भार के समाचार-पत्रों से हुई अनुमानित आय 49.04 लाख रुपये थी।

(ख) परियात वितरण का पता लगाने के लिये पिछले वर्ष के सर्वेक्षण की भांति 11 से 13 मार्च, 1969 तक की अवधि के दौरान नमूना सर्वेक्षण किया गया। अभी पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) परियात वितरण का पता लगाने के लिये नमूना सर्वेक्षण हर वर्ष मार्च के महीने में किया जाता है। यदि किसी और अवधि के दौरान नमूना सर्वेक्षण किया जाय तो हर वर्ष की मार्च महीने में किये गये पिछले नमूना सर्वेक्षणों से उसकी ठीक तुलना नहीं हो सकेगी।

बिजली मजूरी बोर्ड

7522. श्री किरुतिनन : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आधार पर बिजली बोर्ड के कार्य का अध्ययन करने तथा बिजली कर्मचारियों के वेतनक्रमों और सेवा की शर्तों आदि के बारे में सिफारिश करने के लिये मई, 1966 में श्री पी० पी० आर० साहनी के सभापतित्व में सरकार ने एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बोर्ड ने जून, 1968 में अन्तरिम सहायता की घोषणा की थी ;

(ग) क्या सरकार को वे सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) बोर्ड की सिफारिशों के बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। मजूरी बोर्ड से बिजली उपक्रमों में कर्मचारियों के लिये उचित मजूरी के सिद्धान्तों के आधार पर मजूरी विन्यास तैयार करने और उपदान योजना बनाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) बोर्ड ने सितम्बर, 1967 में अन्तरिम सहायता की सिफारिशों की थीं और उनके सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों की घोषणा जून, 1968 में की गई।

(ग) बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

7523. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने देश में इंजीनियरिंग उद्योग में मजूरी बोर्ड पुनरीक्षण के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । इनकी तथा इनके सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों की घोषणा यथाशीघ्र की जायेगी ।

तमिलनाडू को चीनी की सप्लाई

7524. श्री किरतिनन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है और चीनी की राज्यवार न्यूनतम आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या तमिलनाडू सरकार ने राज्य की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिये केन्द्र से और अधिक चीनी का नियतन करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में राज्यवार उत्पादन कर रही चीनी मिलों की संख्या दिखाने वाला विवरण-I संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 879/69] नवम्बर, 1967 में आंशिक विनियंत्रण के बाद राज्यों की चीनी सम्बन्धी आवश्यकताओं को लेवी स्टाक से आवंटन कर तथा कारखानों को आम बिक्री के लिये दी गई चीनी से पूरा किया जाता है ।

जनवरी, 1969 से प्रत्येक राज्य को आवंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे को दिखाने वाला विवरण - II संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-879/69]

(ख) और (ग). जनवरी, 1969 से तमिलनाडू के मासिक कोटे को 6,096 मीटरी टन से बढ़ाकर 7922 मीटरी टन कर दिया गया था । राज्य सरकार ने इस कोटे को 10,000 मीटरी टन तक बढ़ाने के लिये कहा था । क्योंकि उपलब्ध लेवी चीनी को राज्य सरकारों में समान आंधार पर वितरित किया जाता है, इसलिए इस अनुरोध को मानना सम्भव नहीं था ।

Commercial Broadcast of Goods Manufactured in Public Undertaking

7525. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the reasons for which the programme of broadcasting advertisements for the goods manufactured in the public sector is not included in the commercial broadcasts of the A.I.R. ;

(b) the scheme being drawn up by Government to televise and broadcast the advertisements for the products of the public sector so that the money being spent on advertisements

elsewhere is spent in the right direction and the public may also know as to what is being produced by Government in the public sector because the radio is the greatest means of advertisements; and

(c) whether Government propose to draw up a scheme whereunder 50 per cent of the amount being spent by Government for advertising, is spent on the A.I.R. broadcasts?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) There is no restriction on the goods manufactured in the public sector being advertised in the Commercial Service of AIR. Some public sector undertakings are availing of this service. Others are also welcome.

(b) No such scheme is contemplated by AIR. It is for advertisers to decide the medium through which they wish to advertise their goods and services.

(c) No, Sir.

Construction of New Building for P and T Offices at Khargaon (M. P.)

7526. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether Government are formulating a scheme for the construction of a new building of its own for the Post Office and Telephone Exchange at Khargaon in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the measures proposed to be taken by the Government to remove the difficulties being faced by the employees on account of comparatively small and old buildings of Post Office and Telephone Exchange there?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Yes.

(b) Does not arise.

Postal Service in West Nimad District (Madhya Pradesh)

7527. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) the details of the agreement concluded between the bus companies and the Posts and Telegraphs Department in connection with carrying dak by State Transport to and from West Nimad district of Madhya Pradesh;

(b) the arrangements existing in those buses for carrying dak to and from Indore, Khandwa etc. within and outside West Nimad district;

(c) the number of new Post Offices proposed to be opened by Government in West Nimad district; and

(d) the number of suggestions received by Government in this regard and other details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Details of agreement with Madhya Pradesh STATE ROAD TRANSPORT CORPN. are not yet finalised. Private

operators have not executed agreements as yet because of their objection to subsidy being fixed at High Powered Committee rate which is half passenger fare of the lowest class for a maund of mails.

(b) (I) Bhikhangaon, Khargone, Maheswar, Mandleshwar, Kasravad and Gogwa S.Os, exchange closed bags with Khandwa R. M. S.

(II) Anjad, Barwani, Pansemal, Rajpur (Barwani), Sendhwa, and Thikri S.Os. exchange closed bags with Mhow R.M.S. Gogwa S.O. closes a bag for Mhow R.M.S. and Maheshwar, Mandleshwar and Kasravad, receive bags from Mhow R. M. S.

(III) Khargone, Kasravad, Maheswar, Mandleshwar, Sendhwa, Gogwa and Thikri S.Os exchange closed bags with Indore R.M.S.

(IV) The R.M.S. M.P.—7 Section working between Khandwa and Ratlam passes through West Nimad district and two rail heads are Barwaha and Sanwad Sub-Post Offices. Barwani, Kasravad, Maheshwar, Mandleshwar and Gogwa Post Offices on the bus routes also exchange closed bags with M.P.-7 section at the rail head Post points.

(V) Khetia S.O. under Mhow H.O. is not connected either with Khandwa or Indore RMS as it is situated on the border of M. P. state and nearest point for exchange of mails is Dondaicha (Gujarat Circle). The mails for and from Khetia are taken to Dondaicha R. S. by Khetia-Dondaicha M.M.S. and exchanged with R.M.S. Section L 12 out and L 12 in (Bhusaval-Surat) at Dondaicha R.S.

The mail arrangements indicated above cover 13 Sub Offices excluding three town sub-offices; the mails from and to these 13 sub offices are conveyed through mail Motor Services. The remaining three sub offices viz. Barwah, Barwah-Darya Mahal and Sanawad are directly connected with RMS Sections.

(c) 8 Post Offices during the year 1959-70 subject to fulfilment of departmental standards and availability of funds.

(d) Suggestions for the opening of post offices at Dalka, Bhomwada, Selda Menimata Bhagyapur, Idaradpur, Bhampura, Chichli, and Auwan were received. Proposal for opening of a post office at Menimata has been approved and the office will be opened shortly. Post offices will be opened at Dalka, Bhagyapur, Idaradpur and Auwan as soon as the interested parties credit the amount of due non returnable contribution. Proposals for opening post offices at Salda, Bhampura and Bhomwada are under examination. There was no justification for the opening of post office at Chichli and hence the case was dropped.

त्रिपुरा में छोटी सिंचाई सुविधायें

7528. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण त्रिपुरा में सूखे से प्रति वर्ष हजारों एकड़ों में धान की फसलें खराब हो जाती हैं और अन्य भूमि में जहां तीसरी फसल अर्थात् बूरो धान उगाई जा सकती है, ये फसलें उगाई नहीं जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा में किसानों को कोई पम्पिंग मशीनें दी गई हैं और उनके द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ;

(ग) क्या त्रिपुरा में किसानों को राजसहायता देकर या किराया-खरीद प्रणाली के अन्तर्गत सिंचाई पम्प सप्लाई करने के लिये 1969-70 के लिये कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है जिसमें उसकी लागत दिये जाने वाले पम्पों की संख्या और उनसे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है आदि का ब्योरा भी हो ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा के वनों में इमारती लकड़ी का पाया जाना

7529. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के वनों में चौथी योजना अवधि में इमारती लकड़ी की उपलब्धता के बारे में पूरी तरह अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इन वनों की कार्यकारी योजनाएं तैयार की गई हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) त्रिपुरा में इमारती लकड़ी के अनुमान को ध्यान में रखते हुए वहां पर चौथी पंचवर्षीय योजना में वनों पर आधारित जो उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और यह अनुमान तथा कार्यकारी योजनाएं कब तैयार की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । परन्तु दो प्रभागों के लिये कार्यकारी योजनाएं निर्माणाधीन हैं ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई वन पर निर्भर उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, मेसर्स जय श्री चाय और उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक प्लाइवुड कारखाना स्थापित करने के लिये दी गई याचिका विचाराधीन है ।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डिब्रूगढ़ (आसाम) के लिये ट्रांसमीटर तथा त्रिपुरा के लिये आकाशवाणी केन्द्र

7530. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर प्रचार के कार्यक्रम के अनुसरण में डिब्रूगढ़ (आसाम) में एक नया रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या त्रिपुरा की आदिम जातियों की बोलियों में भी वहां से कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे और यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त सीमा प्रचार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अगरतला में पहले ही एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा चुका है । यह अगस्त, 1968 से चालू है ।

त्रिपुरा को खाद्यान्नों की सप्लाई

7531. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में त्रिपुरा में खाद्यान्नों का मदवार कितना उत्पादन हुआ और 1968-69 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) केन्द्रीय आरक्षित भण्डार से प्रत्येक वर्ष में उक्त राज्य को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है ; और

(ग) 1969-70 के लिये खाद्य तथा कृषि विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है और उनके अन्तर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन कितना बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिव शिन्दे) : (क) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :

अनुमानित खाद्य उत्पादन		(हजार टनों में)	
	1966-67	1967-68	1968-69 (संभावित)
चावल	202.6	207.5	205.1
दालें	1.3	1.3	1.3

(ख) त्रिपुरा प्रशासन को इस अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से सप्लाई किये गये खाद्यान्न इस प्रकार हैं :

		(हजार टनों में)	
	1966-67	1967-68	1968-69
चावल	20.6	15.9	25.9
गेहूं	11.2	24.6	29.4

(ग) 1969-70 के दौरान त्रिपुरा में कृषि विकास के लिये प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाओं में धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों और अन्य सुधरे बीजों की कृषि, लघु सिंचाई विस्तार, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग, पौध संरक्षण उपायों और कम्पोस्ट और हरी खाद के उपयोग को अपनाने सम्बन्धी योजनाएं सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों और 1969-70 वर्ष के लिए अतिरिक्त उत्पादन का पता चल सकेगा।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी

7532. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी सफदरजंग सड़क, नई दिल्ली के पास धरना देकर पुनर्वासि की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके पुनर्वासि के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से मुर्गी पालन फार्मों का हटाया जाना

7533. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेक मुर्गी पालने वाले सुविधाओं के अभाव के कारण पड़ौस के राज्यों में जा रहे हैं ;

(ख) क्या दिल्ली के किसानों को मुर्गियों के चारे पर 5 प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ता है और बिजली के लिये भुगतान घरेलू दरों पर करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या बिक्री कर समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि पड़ौसी राज्यों ने किया है ; और

(घ) पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिये अन्य क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी जानेवाली जानकारी दिल्ली प्रशासन से मंगवाई गयी है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में अनाज की वसूली

7534. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य की मंडियों से गेहूं खरीदने की भारतीय खाद्य निगम की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). हरियाणा में गेहूं की अधिप्राप्ति का कार्य राज्य सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से कर रही है । निगम को यह कार्य सौंपने के मामले में केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकार के विचारों पर उचित ध्यान देना ही पड़ता है ।

वासुदेवपुर/चन्देल (बिहार) में टेलीफोन एवं तारघर

7535. श्री लखन लाल कपूर : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वासुदेवपुर/चन्देल के लोगों से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें वहां एक टेलीफोन एवं तारघर खोलने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक सार्वजनिक टेलीफोन घर की स्वीकृति दे दी गई है और इसके लिए सामान की व्यवस्था की जा रही है । सामान प्राप्त होने पर यह खोल दिया जाएगा । सार्वजनिक टेलीफोन घर की लाइन के चालू होते ही वासुदेवपुर/चन्देल में तार सुविधाओं की व्यवस्था भी कर दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल को चीनी की सप्लाई

7536. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966, 1967 और 1968 में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की चीनी की वास्तविक मांग कहां तक पूरी की और इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1966 तथा 1967 में (23 नवम्बर, 1967 तक) चीनी के मूल्य तथा वितरण पर पूर्ण नियंत्रण था । चीनी की उपलब्ध मात्रा राज्यों में स्थापित आधार पर वितरित की गई थी । 1967-68 में आंशिक विनियंत्रण की नीति लागू की गई थी । कारखानों से चीनी के उत्पादन का केवल 60 प्रतिशत लेवी के रूप में अधिग्रहण किया गया था और पश्चिमी बंगाल सहित राज्यों को मासिक कोटे के रूप में उसे वितरित किया गया था ।

1966, 1967 तथा 1968 के वर्षों में पश्चिमी बंगाल को चीनी की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गयी थी :—

1966	3,11,207 मीटरी टन
1967	2,27,064 मीटरी टन
1968	1,39,434 मीटरी टन

पश्चिम बंगाल में किसानों के लिये प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम

7537. श्री जुगल मंडल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे स्थानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां पर किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का ज्ञान देने के लिये उनके लिये प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में इसके अन्तर्गत लाये गये और अब तक प्रशिक्षित किये गये किसानों की संख्या कितनी है और उन्हें कितने समय में प्रशिक्षित किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल में कृषकों के प्रशिक्षण के लिये 2 केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये खण्ड बीज फार्म, बोलपुर (जिला वीरभूम) तथा जिला बीज फार्म, बर्दवान में स्थित हैं।

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना हाल ही में हुई है। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कृषकों की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

गुजरात में चावल के थोक मूल्य

7538. श्री पी० एम० मेहता : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में वर्ष 1967 और 1968 में चावल के थोक मूल्य, मिले जुले अनाज की खपत वाले देश के अन्य क्षेत्रों के मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक थे ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितने अधिक थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967 में गुजरात में चावल के थोक मूल्य और उत्तर प्रदेश की तुलना में ऊंचे थे लेकिन बिहार की अपेक्षा कम थे। तथापि, 1968 में गुजरात में चावल के मूल्य इन सभी राज्यों की अपेक्षा ऊंचे थे।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1967 और 1968 के दौरान गुजरात राज्य में मोटे चावल के वार्षिक औसत थोक मूल्य अन्य मिले-जुले अनाज खाने वाले राज्यों की तुलना में कितने अधिक या कम थे।

राज्य	(र० प्रति क्विंटल)	
	1967	1968
मैसूर	(+) 57.54	(+) 13.13
उत्तर प्रदेश	(+) 11.48	(+) 22.26
बिहार	(—) 3.76	(+) 8.03
मध्य प्रदेश	—	(+) 40.07
हरियाणा	—	(+) 48.83

आयातित गेहूं का मूल्य

7539. श्री पी० एम० मेहता : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयातित श्वेत गेहूं तथा लाल गेहूं के मूल्य बढ़ाने के बाद श्वेत गेहूं लोकप्रिय नहीं रह गया है और राज्य के गोदामों में जमा हो रहा है।

(ख) क्या राज्य सरकारों ने मूल्य में कमी करने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। राज्य के गोदामों से सफेद गेहूं की कम निकासी होने के कारण ही उसका स्टॉक इकट्ठा हो गया है।

(ख) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने इस गेहूं के निर्गम मूल्य में कमी करने का सुझाव दिया था।

(ग) केन्द्रीय भंडार के सफेद गेहूं का निर्गम मूल्य 16-12-1968 से 90 रुपये से घटाकर 85 रुपये कर दिया गया था। इस गेहूं तथा अन्य किस्म के गेहूं का भी निर्गम मूल्य अब एक-सा करके 4-5-1969 से 78 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

A. I. R. Staff at Mathura

7540. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no person belonging to the rural areas of Braj among the staff of A.I.R. Station, Mathura and that the people belonging to urban areas are asked to play the roles of rural people;

(b) whether there is any Producer in the Mathura Station of A. I. R. who has sound knowledge of Braj dialect and if not, the date by which such a producer would be appointed;

(c) whether it is also a fact that in the Mathura Station of A. I. R. only instrument players are there and there is no music composer who could extract work from them; and

(d) if so, the date by which music composers are likely to be appointed?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir. But the panel of artistes maintained by the Station contains persons who are suitable for playing these roles.

(b) No, Sir. The present programme output of the Mathura Station does not call for the services of a producer and it is not proposed to appoint one in the near future. The Braj

Bhasha programmes of Delhi and Mathura being common, the Producer of the Braj programmes of Delhi visits Mathura periodically.

(c) and (d). There is no music composer on the staff of Mathura Station, and since the size of the musical programme originated from there is limited, a composer is not needed.

केरल और गोवा के खाद्य शिल्प केन्द्र

7541. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कलमेसे (केरल) और पणजी (गोआ) स्थित खाद्य शिल्प केन्द्रों को और अधिक अनुदान देने का विचार है ;

(ख) इस वर्ष कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इन केन्द्रों के विकास और उनकी गतिविधियों के प्रसार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य शिल्प केन्द्र (संस्थान) बेकरी तथा मिठाई, पाक-विधि, रेस्टोरेंट एवं काउन्टर सेवा, होटल स्वागत तथा बहीखाता और डिब्बा बन्दी एवं खाद्य परिरक्षण जैसे विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों (पूर्णकालिक तथा अंश कालिक दोनों) का आयोजन करते हैं । वे गृहणियों के लिए 13 सप्ताह के अल्पकालीन अंश कालिक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं ।

(ग) ऐसे 4 केन्द्र पहले से ही खोले जा चुके हैं । एक अन्य केन्द्र इसी वर्ष कार्य शुरू कर देगा । इन 5 केन्द्रों के अलावा, चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 और केन्द्र खोलने की परिकल्पना की गई है ।

ऋणों की वसूली

7542. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासि के लिये दिये ऋणों की वापसी की कार्य-व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित लोगों के तथा बर्मा, श्रीलंका आदि देशों से स्वदेश लौटने वाले लोगों को सहायता देने के लिये और उनके पुनर्वासि के लिए भारत सरकार

ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को धन देती है। राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर ऋण की वसूली करने पर बल देने की आवश्यकता की ओर दिलाया जाता है। इस संदर्भ में पुनर्वास विभाग द्वारा दिनांक 11 मार्च, 1969 को सम्बन्धित राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि धन का पूरा-पूरा हिसाब रखा जाए, ऋण की शीघ्र वसूली के लिए कार्यवाही की जाये और यथा समय भारत सरकार को परिणामों के बारे में सलाह दी जाये। राज्य सरकारों से यह भी बताने के लिए कहा गया है कि क्या उन्हें इस बारे में केन्द्रीय सरकार की सहायता की कोई आवश्यकता है।

अधिक उपज वाली अनाज के बीजों की किस्में

7543. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकारों के फार्मों में अधिक उपज वाले अनाज के बीजों की किस्मों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ; और

(ख) इसी अवधि में गैर-सरकारी फार्मों से कितनी मात्रा में बीज वसूल किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों आदि से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

युगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात

7544. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में युगोस्लाविया की एक फर्म द्वारा भारत को ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार है ;

(ग) ट्रैक्टरों के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ; और

(घ) इन ट्रैक्टरों का आयात करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उपकरणों तथा फालतू पुर्जों सहित 130 ट्रैक्टर।

(ग) 100 लाख रुपए।

(घ) सर्वश्री इन्डियन मशीन इन्टरप्राइजिज, बम्बई।

सहकारी ऋण समितियों द्वारा छोटे किसानों को सहायता

7545. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा :

(क) क्या योजना आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत छोटे । सरकारी ऋण समितियों से सहायता मिल सकेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग ने विभव सक्षम छोटे किसानों के लिए एक योजना तैयार की है, ताकि वह सहकारी ऋण समितियों के लघु, माध्यम और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकें । योजना आयोग ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) यह योजना, विशेषतः विभव सक्षम छोटे किसानों को कुछेक जिलों में मार्गदर्शी प्रायोजना के आधार पर ऋण तथा कृषि आदान देने के लिए बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत एक छोटे किसानों की विकास एजेंसी की स्थापना की जायेगी जो कि जिले में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटे किसानों की पहचान करेगी और सिंचाई भूमि विकास और मशीनों तथा डेरी इत्यादि के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करेगी । इन किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों की सघन कृषि तथा बहुफसली खेती में, सिंचाई के लिए कुओं और पम्पों के अतिरिक्त ऋण तथा आदानों यथा खाद इत्यादि के रूप में सहायता दी जायेगी । वर्तमान सहकारी ऋण संस्थान ऐसे किसानों को ऋण देना जोखिमपूर्ण समझता है । ये एजेंसियां इस श्रेणी के किसानों को दिये जाने वाले सम्भाव्य ऋण के खतरे को ढकने के लिए सहकारी ऋण संस्थानों को राशि का कुछ प्रतिशत अनुदान देकर ऋण का संपालन करेंगी । जब भी आवश्यक हुआ ये एजेंसियां छोटे किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए डेरी और कुक्कड़-पालन से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों को हाथ में लेंगी । आशा की जाती है कि हरेक प्रायोजना से पांच साल की अवधि में 50,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना पर केवल 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है ।

त्रिपुरा में आदिम जातीय लोगों का पुनर्वास

7546. श्री कं० हल्दर : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराजा द्वारा की गई घोषणा जिसके अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों को आदिम जातियों के लिये आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, अब भी लागू है ;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने उन क्षेत्रों में गैर-आदिम जातिय लोगों को पुनः बसा दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Recognition of Association of Scientists in the Indian Veterinary Institute

7547. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recognition has not so far been granted to the Association of Scientists in the Indian Veterinary Institute, which has been functioning for the last ten years and which is attached to the All-India Scientific Workers Association (C.S.I.R.);

(b) whether it is also a fact that it is not a trade association but a Scientific Association and if it is not granted recognition, Scientific development would not be possible ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Association of Scientific Workers of India at IVRI which revived its activities in 1966 has not been recognised as its Constitution is not in accordance with the prescribed rules.

(b) and (c). It is not a trade association. The scientific development of the institution is not dependent on the recognition of the association.

सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली के विरुद्ध टिप्पणियां

7548. श्री अ० सि० सहगल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सहकारी समितियों के अवहेलक सहायक रजिस्ट्रार (नगरीय) दिल्ली के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उनका उस पद से अन्य पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया है जिससे सहकारी समितियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अवहेलक अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 जनवरी, 1968 के अपने आदेश में सहायक समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (नगरीय), दिल्ली को भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिये चेतावनी दी है। इसलिये उन्हें उस पद से अन्य पद पर स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Supply of Food Grain for Kumbh Mahaparva

7549. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the additional quantity of wheat and sugar asked for by the Madhya Pradesh Government from the Central Government for the Kumbha Mahaparva to be held in Ujjain in the month of April, 1969; and

(b) the additional quantity thereof allotted by the Central Government to the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) To meet the needs of the pilgrims for the Kumbh Mahaparva (Sinhastha Mela), the Madhya Pradesh Government had asked for the requisite quantity of wheat for the manufacture of 300 tonnes of rawa and 500 tonnes of maida. They also requested for release of 1,000 tonnes of sugar.

(b) Additional 1231 tonnes of wheat required for the purpose was allotted in March.

In view of limited availability of levy sugar, it was not considered possible to release any special quota for this purpose. The monthly quota of levy sugar of all the States including Madhya Pradesh has been increased from January, 1969 onwards. The monthly quota of Madhya Pradesh is now 7687 tonnes of sugar as against 5832 prior to January, 1969. Besides, 3,074 tonnes of sugar has also been allotted to Madhya Pradesh in March for festivals, religious congregations, marriages, etc.

Setting up Night Post Offices in Indore and Ujjain (M. P.)

7550. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme to set up night Post Offices in Indore and Ujjain cities of Madhya Pradesh;

(b) if not, whether Government propose to set up Post Offices which would function round the clock in these cities; and

(c) if so, the time by which they are likely to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A night post office is already functioning at Indore City. Another night post office has been sanctioned for Ujjain R. S. (S. O.), and will start functioning during this year.

(b) and (c). Do not arise.

Production of Groundnut

7551. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken and proposed to be taken to step up the production of Groundnut in the country as it is essential in view of its use in the manufacture of Vegetable Ghee ;

(b) whether any improvement has been brought about in methods of its cultivation and if so, the details thereof ; and

(c) whether he is aware that at present fat is used in increased quantity in the manufacture of Vegetable Ghee due to shortage of Groundnut oil ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The steps taken and proposed to be taken step up the production of groundnut in the country are :

(i) Central and State package programmes in assured rainfall and irrigated areas.

(ii) Double cropping of groundnut in rice fallows.

(b) Yes Sir.

The improved methods of cultivation include use of improved seed, balanced fertiliser, extension of irrigation, plant protection measures and other agronomic practices.

(c) No other oil and fat except groundnut, cotton seed, sesame, soyabean and sunflower oils are ordinarily permitted to be used in the manufacture of vanaspati.

Increase in Production of Cotton

7552. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view the increasing population, there has been a less increase in the production of cotton and the problem of cloth is becoming intricate day by day ;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ;

(c) whether less quantity of cotton is now produced in the States which were previously cotton-growing States and whether Uttar Pradesh is one of those States ; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government for increasing the production of cotton seeds ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) The production of cotton has shown upward trend in almost all cotton growing States, except Uttar Pradesh where preference is given to Sugarcane cultivation over cotton.

(d) A Centrally Sponsored Scheme for the Production of Nucleus and Foundation Seed of cotton has been implemented and being continued during the Fourth Five Year Plan to realise maximum quantity of improved seeds for cotton cultivation.

Japanese Method of Paddy Cultivation

7553. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any measures have been taken to adopt the Japanese method of paddy cultivation in order to increase the production of rice in the country ;

(b) if so, the detail thereof ;

(c) whether any research has been made in the paddy seeds in addition to adopting Japanese method with a view to increase the rice production by making those seeds popular ; and

(d) whether the paddy seeds which give more yields have been improved further and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Yes, Sir, the following measures have been taken to popularise the Japanese Method of Paddy Cultivation :

The Campaign for popularisation of Japanese Method of Paddy Cultivation was launched on a nationwide scale in 1953-54. The method gained considerable popularity thereafter and improved practices such as line transplanting application of fertilisers, soil and water management practices, plant protection etc. were adopted by many paddy growers in irrigated and assured rain-fall areas.

From 1960-61 onward many intensive programmes such as I.A.D.P., I.A.A.P., H.V.P. etc. have been launched in the country in selected districts and the recommendations made in regard to the adoption of Japanese method of paddy cultivation found place in the package of practices recommended under these programmes.

Eight Japanese Agricultural Demonstration Farms were also established in different parts of India. These Farms aimed at demonstrating better soil and water management practices and mechanisation of operations in small farms and small sized plots by the Japanese technicians. A Large number of neighbouring farmers visited these Farms and the improved cultural practices adopted there were demonstrated to them. Four of these farms located at Arrah (Bihar) Vyara (Gujarat), Khopoli (Maharashtra), and Mandya (Mysore) have now been transformed into Agricultural Extension Centres. These Centres will conduct trials and demonstrations on improved agricultural techniques through improved machinery and implements for paddy cultivation and will under-take training of farmers and extension workers and also extension work in the neighbouring areas.

(c) and (d). The Indian Council of Agricultural Research has sanctioned an All India Coordinated Rice Improvement Project for evolving short duration, high yielding, fertiliser responsive strains of paddy with resistance to the important pests and diseases and good nutritive quality, from January, 1968. Under this project research on paddy is taken up at nineteen centres located in various rice growing areas of the country. Research scientists in the Centre institutes, Agricultural Universities and State Departments of Agriculture take part in a unified team work in co-operation with the Project Co-ordinator who continually visits and Co-ordinates the work of the project.

Two high yielding, dwarf varieties Taichung Native I and IR-8, evolved at the International Rice Research Institute, Manila, Philippines were tested multi-locationally under the All India Co-ordinated Rice Improvement Project and were released, on the basis of the trial data for general cultivation. A considerable amount of area is occupied by these strains under the High Yielding Varieties Programme.

Two new rice varieties namely "Jaya" and "Padma" developed under this project were released for general cultivation recently. Jaya (IET. 723) is about 8-10 days earlier than IR-8 and has given on an average about 12 per cent higher yields. It has been recommended for all areas where IR-8 has been found suitable. Padma (CR. 28-25) is about 10 days earlier in maturity than Taichung Native I and it has medium fine grains, but its yield potential is about 8% lower than Taichung Native I. This new variety would be suitable for cultivation as a summer crop in Bihar, as a Boro crop in West Bengal and as an early Kharif crop in Orissa where rice-potato-rice rotation will be possible. It is anticipated that these two varieties would rapidly replace IR-8 and Taichung Native I.

Seed multiplication of these new varieties have already been taken by National Seed Corporation and seeds for covering a considerable area under these crops during the ensuing Kharif season would be made available.

होटल प्रबन्ध जलपान व्यवस्था तथा पोषाहार संस्थान

7554. श्री ओंकारलाल बेरवा :

श्री द० रा० परमार :

श्री किकर सिंह :

श्री देवेन सेन :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल प्रबन्ध, जलपान व्यवस्था तथा पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति को स्थगित रखने के क्या कारण हैं तथा इस पर नियुक्ति करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या इस संस्थान के नियमों तथा उप-नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) संस्थान के प्रिंसिपल के पद को दिसम्बर, 1966 तथा जनवरी, 1967 में दो बार विज्ञापित किया गया था लेकिन कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला था। अतः खाद्य विभाग के एक अधिकारी को उक्त पद से सम्बन्धित मौजूदा कार्य-भार की जिम्मेदारी निभाने के लिये नियुक्त किया गया है।

(ख) इस संस्थान के नियमों तथा उप-नियमों की पांच-पांच प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में फरवरी, 1969 में रख दी गई थीं।

बेरोजगारी की स्थिति

7555. श्री देवेन सेन : श्री प्र० न० सोलंकी :
 श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री किकर सिंह :
 श्री द० रा० परमार :

क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारी की स्थिति और विशेष कर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं, के बारे में नवीनतम अनुमान क्या हैं ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस मामले पर विचार किया है और इस बारे में योजना आयोग को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाये है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने हाल ही में बेरोजगारी आगणन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति शहरी और देहाती क्षेत्रों में, रोजगार, बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के विभिन्न पहलुओं तथा सम्बन्धित प्रश्नों की जांच करेगी तथा अपने सुझाव देगी। तथापि, 31-12-69 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या 30.1 लाख थी। इसमें 13.1 लाख पढ़े-लिखे (मैट्रिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त) लोग थे जिनमें 0.5 लाख इंजीनियरिंग स्नातक तथा डिप्लोमाधारी व्यक्ति थे।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी 19 और 20 अप्रैल, 1969 की बैठक में चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार किया किन्तु इस विषय पर योजना आयोग को कोई विशेष मार्ग दर्शन नहीं दिया।

चीनी का निर्यात

7556. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी का निर्यात इसके निर्यात मूल्य के कारण अलाभप्रद रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार देश में चीनी की कमी तथा इसके निर्यात मूल्य के अलाभप्रद होने के बावजूद चीनी का निर्यात जारी रखने का है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में चीनी के निर्यात के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या इस हानि को दृष्टि में रखते हुये सरकार अपनी निर्यात नीति पर पुनर्विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) भारत से चीनी के निर्यात पर हानि होती है क्योंकि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य चीनी के आन्तरिक मूल्य से कम है। चीनी के उत्पादन में कमी होने से चीनी का निर्यात 1966 के 4.41 लाख मीटरी टन से कम कर 1968 में 0.99 लाख मीटरी टन कर दिया गया था और यह कम मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका अधिनियम तथा राष्ट्रमण्डल चीनी करार के अन्तर्गत हुये अनिवार्य वायदों को पूरा करने के लिये निर्यात की गई। इसी दायित्व को पूरा करने हेतु 1969 में भी ठेके किये गये हैं।

(ख) और (ग). 1968 में सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी थी। इसको चीनी उद्योग ने वहन किया था। 1969 के लिये निर्यात हेतु अब तक किये गये वायदों के बारे में भी स्थिति वैसी ही है। सरकार ने गत तीन वित्तीय वर्षों में निम्नप्रकार राजसहायता दी थी :—

वित्तीय वर्ष	राशि (रुपये/करोड़)
1. 1966-67	20.00
2. 1967-68	7.46
3. 1968-69	0.03

पिछले वर्षों के लिये

(घ) और (ङ). निर्यात सम्बन्धी नीति की बदलती स्थिति को दृष्टि में रखते हुये समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का आयात

7557. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी साधनों से खाद्यान्नों का आयात सम्बन्धी कार्य अब भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या खाद्य निगम को, जो पहले यह कार्य कर रहा था, इस कार्य के लिये सक्षम नहीं पाया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1965 में जब भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी तब यह परिकल्पना की गई थी कि खाद्य विभाग के कार्यकारी कार्य अर्थात् खाद्यान्न का सम्भालना, उनकी निकासी करना, संचलन, संचयन तथा वितरण भारतीय खाद्य निगम को सोपान-वार सौंप दिये जाने चाहिये। यह प्रक्रिया 1-3-1969 तक पूरी हो गई है।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में मनोरंजन कर में वृद्धि

7558. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने मनोरंजन कर 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया है ;

(ख) क्या मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने निर्णय किया है कि यदि प्रशासन मनोरंजन कर को कम करने के लिये तैयार न हुआ तो वे सिनेमाओं को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देंगे ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन के इस निर्णय पर कि फिल्म शो पर मनोरंजन कर बढ़ा दिया जाये, दिल्ली के प्रदर्शकों ने 4 अप्रैल, 1969 से सभी सिनेमाघरों को बन्द करने की धमकी दी थी । हड़ताल, जिसकी धमकी दी गई थी, नहीं हुई । दिल्ली प्रशासन ने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया है कि उनके अभ्यावेदन पर उचित विचार किया जायेगा ।

औद्योगिक सम्बन्ध नीति में परिवर्तन

7559. श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सम्बन्ध नीति में परिवर्तन करने की सरकार की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो 1967 और 1968 में पृथक-पृथक औद्योगिक विवादों में सामूहिक सौदेबाजी और अनिवार्य मध्यस्थता द्वारा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो कि औद्योगिक विवाद निपटाने की व्यवस्था करने वाला प्रमुख केन्द्रीय विधान है और अनुशासन संहिता से सम्बद्ध ऐच्छिक व्यवस्था सरकार की औद्योगिक सम्बन्ध नीति के आधार अभी भी हैं । यदि इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना होगा तो उस पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विचार करके किया जायेगा ।

(ग) सन् 1967 और 1968 में केन्द्रीय क्षेत्र में हुये सामूहिक समझौतों की संख्या और न्याय-निर्णय तथा मध्यस्था के लिये भेजे गये औद्योगिक विवादों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	समझौता कार्यवाही द्वारा किये गये समझौतों की संख्या	आपसी बातचीत से हुये समझौतों की संख्या	न्याय-निर्णय के लिये भेजे गये विवादों की संख्या	मध्यस्थता के लिये भेजे गये विवादों की संख्या
1	2	3	4	5
1967	989	244	230	108
1968	1174	245	212	127

आकाशवाणी पर संसद् सदस्यों की वार्ता

7560. श्री शिवचन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से वार्ता देने के लिये केवल कुछ संसद् सदस्यों को ही बार-बार आमंत्रित किया जा रहा है या केवल कुछ ही संसद् सदस्य उनमें भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो आकाशवाणी से बोलने के लिये संसद् सदस्यों को आमंत्रित करने की सामान्य नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी के कार्यक्रमों में संसद् में संसद् सदस्यों के भाग लेने के लिये चयन करते हुए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) किस प्रकार का विषय है;

(2) व्यक्ति विशेष की उस क्षेत्र को गतिविधियों में क्या स्थिति है; और

(3) प्रसारण माध्यम की विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से व्यक्ति की उपयुक्तता ।

छोटी सिंचाई कार्यों के लिए कृषि ऋण

7561. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे गैर-सरकारी सिंचाई कार्यों के लिये कृषि ऋण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस वित्तीय संस्था द्वारा और किन शर्तों पर;

(ग) वर्ष 1967 और 1968 में अब तक समूचे भारत में और विशेषतः बिहार के लिये कितना ऋण दिया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि ऋण प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों और केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई कार्यों के लिये वाणिज्यिक बैंक, कृषि वित्त निगम और कृषि पुनर्वित्त निगम वित्त सुविधाओं का प्रबन्ध करती हैं । जिन शर्तों पर ये एजेन्सियां ऋण देती हैं उनका ब्योरा उपलब्ध नहीं है । फिर भी जहां तक कृषि पुनर्वित्त निगम, जो भूमि विकास/भूमि बंधक और वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधायें देता है का सम्बन्ध है मुख्य शर्तें नीचे दी गई हैं :—

(1) यदि योजनाओं की इन बैंकों द्वारा वित्त व्यवस्था करनी हो या कार्यान्वित करना हो तो यह भूमि विकास/बंधक बैंकों को ऋण-पत्र की सहायता करती है;

(2) यह वाणिज्यिक बैंकों को साधारणतः 6 प्रतिशत व्याज की दर से पुनर्वित्त करने का प्रबन्ध करती है ।

(3) अन्तिम ऋण लेने वाले की व्याज की दर साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ती है; और

(4) ऋण-पत्र में घाटे के लिये सरकार को गारंटी देनी होगी ।

(ग) से (घ). वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये ऋणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । लघु सिंचाई के लिये 1967-68 में कृषि वित्त निगम ने कोई राशि नहीं दी क्योंकि यह केवल 1968 में पंजीकृत हुई । अभी तक भारत के रिजर्व बैंक ने प्राथमिक ऋण समितियों और केन्द्रीय कृषि विकास बैंकों द्वारा 1967-68 में दिये ऋण के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये हैं । प्राथमिक ऋण समितियों और भूमि विकास बैंकों द्वारा सहकारी वर्ष 1966-67 में दिये गये ऋण और सहकारी वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों के

आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

प्राथमिक ऋण समितियों और भूमि विकास बैंकों द्वारा 1966-67
में दिये गये ऋण

(हजार रुपयों में)

	कुएं खोदने/कुओं की मरम्मत के लिये		मशीनों की खरीद (सिंचाई के लिये पम्पसेट)	
	सारे भारत के लिये	बिहार के लिये	सारे भारत के लिये	बिहार के लिये
(1) प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋण	3,37,33	—	3,06,36	28
(2) केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	23,21,82	—	16,69,19 (*)	36,72

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

वर्ष	योजनाओं की संख्या	होने वाले कुल वित्तीय परिव्यय	निगम की वचन बढ़ता परिव्यय
		(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
1966-67	2 (**)	518.96	389.22
1967-68	54	5275.98	4702.98

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पुनर्वित्त करने के लिये मंजूर की गई योजनाओं में से चार योजनायें बिहार राज्य की हैं जिनके बारे में जानकारी इस प्रकार है :—

क्र० संख्या	योजना का नाम	होने वाला कुल वित्तीय परिव्यय (लाख रुपयों में)
1.	कोसी परियोजन योजना	406.615
2.	पटना और दरभंगा जिलों में लघु सिंचाई के लिये क्षेत्र विकास योजना । ..	92.860
3.	मुंघेर जिले में लघु सिंचाई के लिये क्षेत्र विकास योजना	47.390
4.	बिहार राज्य के पूर्णिया और सहर्सा जिलों में नलकूप लगाने की योजना । ..	808.890
	योग ...	1355.755

(*) यह आंकड़े सब प्रकार की कृषि मशीनों की खरीद के लिये हैं जिसमें सिंचाई के लिये पम्प सेट भी शामिल हैं । केवल पम्पसेटों के लिये अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(**) यह योजनायें भूमि को काश्त योग्य बनाने और भूमि विकास के बारे में हैं जिसमें सिंचाई सुविधाओं द्वारा भूमि के एक भाग का विकास शामिल है ।

ऊपर दिये गये वित्तीय परिव्यय में से कृषि पुनर्वित्त निगम की वचनबद्धता (30-6-68 तक) 1190.342 लाख रुपये की है।

राज्यों में भूमि विकास परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

7562. श्री अदिचन :

श्री हिम्मतीसहका :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विभिन्न राज्यों में भूमि विकास परियोजनाओं के लिये सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उनके लिये विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक संबन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम
आयोग का प्रतिवेदन

7563. श्री हिम्मतीसहका : क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों के अधिकाधिक भाग लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध सुधारे जा सकें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Theft of Copper Wire at Wireless receiving Station (Delhi)

7464. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the theft of 40 kilograms of

copper wire from the aerial feeder of Posts and Telegraphs Wireless Receiving Centre, Gitrani (Delhi) ; and

(b) if so, the action taken for recovery of the said wire and the result thereof and in case no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, 32.5 kilograms of Copper Wire was stolen.

(b) Report was lodged with the Police Station, Mahrauli and the case is still under police investigation.

गुड़गांव में मिस्त्रियों को समयोपरि भत्ता

7565. श्री ओंकार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेतार पारेषण केन्द्र, गुड़गांव के बेतार मिस्त्रियों को वर्ष 1962-63 के सम्बन्ध में महंगाई भत्ते की 500 रुपये की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और किसी क्लर्क ने इस राशि का गबन किया है; और

(ख) यदि हां, तो बेतार मिस्त्रियों को उनकी देय राशि का भुगतान कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं, यह सच नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Daily Wages Labour at Wireless Transmitting Stations

7566. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the last three years labourers have been working on daily wages against permanent posts in wireless Transmitting Stations Gurgaon Station but they have not been regularised so far ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Missing of goods from Gurgaon Wireless Station

7567. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of goods is missing from the store of Gurgaon Wireless Station and if so, whether an inquiry was conducted into it ; and

(b) if so, the shortage found in the stores and the nature of action taken against the persons found guilty therefor and in case no action has been taken, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No loss of stores has occurred at P and T Wireless Station Gurgaon. Hence the question of instituting an enquiry does not arise.

(b) Does not arise.

Wireless Transmitting Station at Gurgaon

7568. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state:

(a) whether the Wireless Transmitting Station of the Posts and Telegraph Department at Gurgaon is a tenure station and if so, the period for which Class I, II, III and IV employees are kept there;

(b) whether Class III and Class IV clerks and wiremen are allowed to work in the aforesaid station at Gurgaon for a period of one year only after the expiry of which the employees of Delhi Circle are transferred back to Delhi;

(c) if so, whether this rule applies to Class III wireless mechanics, wireless operators and Engineering Superintendents also and if not, the reasons therefor;

(d) the number of Wireless Mechanics, Wireless Operators and Superintendents of Delhi Circle working in Gurgaon for the last three years and the reasons for not transferring them after the expiry of their stipulated period; and

(e) whether Government propose to transfer the Wireless Mechanics, Operators and Superintendents who have completed the period of three years in Delhi and Gurgaon according to the rule referred to the reply given to Unstarred Question No. 2045 on the 6th March, 1969 and if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Wireless Transmitting Station of P and T Department at Gurgaon is not a tenure station for Class I, Class II, Class III and Class IV officials of Wireless Branch.

(b) Yes. Since of Gurgaon is an unpopular station as far as possible such the Class III and Class IV staff as can be rotated with the staff of Delhi Telephones are shifted after about a year.

(c) A similar kind of rotation is not practicable in respect of Wireless staff like Wireless Mechanics, Wireless Operators and Engineering Supervisors (TR) (Wireless Supervisors,) as similar categories of staff are not required in Delhi proper for want of such posts in the general Telephone organisation.

(d) The number of Wireless, Mechanics, Wireless Operators and Engineering Supervisors (TR) who are working in Gurgaon for the last three years are:—

1. Wireless Operators	..	2
2. Wireless Mechanics	..	6
3. Engg. Supervisors (TR)	..	3

Since there is no stipulated period, the question of transferring them has not been considered.

(e) The principles detailed in the said reply related to the transfer from one unit of recruitment to other units under certain special conditions and are not applicable to the staff of Gurgaon Wireless Station for rotational transfer purposes within the same unit viz. Delhi Telephone District.

Research in High-Yielding Variety of Cotton Seeds

7569. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for carrying out research in high-yielding variety of cotton seeds so as to increase their output; and

(b) if so, the details of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. The Indian Council of Agricultural Research has sanctioned, with effect from 1st April, 1967, an All India Coordinated Research Project on Cotton at an estimated cost of Rs. 55.00 lakhs spread over four years. The main objective of this Project is to develop new varieties of cotton having high yield potential and superior fibre properties and spinning value, suitable for cultivation in the various cotton growing tracts in India and also work out appropriate recommendations for better agronomic practices and control of pests and diseases for realizing high yields from the newly developed varieties.

(b) The trial programme under the All India Coordinated Research Project on Cotton was implemented in all the nine major cotton growing States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, as envisaged in the Project. For the purpose of this Project, the country has been divided into the following three zones :

(i) Northern Zone.

(ii) Central Zone.

(iii) Southern Zone.

The following main and sub-centres of research have been set up in these zones :

Zone	Main centres	Sub-centres
Northern Zone	.. Hissar Sriganganagar	.. Ludhiana, Rajasthan Canal Area.
Central Zone	.. Indore Surat, Akola	.. Khandwa, Badnawar, Talod, Junagad, Viramgam, Achalpur, Nanded.
Southern Zone	.. Tenali Dharwar Coimbatore	.. Amravati, Nandyal, Bhadravathi, Arbhavi, Siruguppa, Kovilpatti, Srivilliputhur.

The main research work for development of high yielding varieties is concentrated in the main centres. The sub-centres have been set up for carrying out trial on the newly developed varieties. The Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, its Regional Station at Coimbatore (Coordinating Unit) and the Cotton Technological Research Laboratory, Bombay are also carrying out intensive programme of research under this Project in various disciplines. Research on agronomy, and physiology of Cotton is also being intensified under another scheme, which is closely linked with the above mentioned Cotton Improvement Scheme. A set of agronomic practices necessary for maximising production per unit area per unit line is being developed.

The Projects on Cotton have received active participation and co-operation from the Central Research Institutes, Agricultural Universities and State Departments of Agriculture in all the principal cotton growing States in India.

Agricultural University in Vidarbha (Maharashtra)

7570. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the progress so far made in regard to the setting up of an Agricultural University in Vidarbha region of Maharashtra State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : An Act to establish and incorporate a separate Agricultural University in the Vidarbha region of Maharashtra State by the name of the Punjabrao Krishi Vidyapeeth has already been passed by the Government of the State on 8-1-1969. It is understood through newspaper reports that the Government of Maharashtra have decided to locate this Vidyapeeth at Akola.

Commemorative Stamp on Swami Shradha Nandji

7571. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1017 on the 10th April, 1969 and state :

(a) whether Government are aware that Amar Shahid Swami Shradha Nandji had raised the demand of Independence by fearlessly facing the bayonets of the Britishers in front of Clock-Tower Delhi on the 30th March, 1919 and that the year 1969 marks the completion of 50 years ; and

(b) if so, the reasons for not issuing the commemorative postal stamp in his memory ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no reason to doubt the Hon. Member's statement.

(b) There was no specific request from any party for the issue of a stamp on this occasion.

The proposal for the issue of a stamp on Swami Shradha Nand in December 1963 on his 42nd Martyrdom Day was considered by the Philatelic Advisory Committee in its meeting held in February, 1968 but the Committee did not recommend the proposal.

रूस से उर्वरकों का आयात

7572. श्री अदिचन :

श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने इस वर्ष बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का कितना उर्वरक देने की पेशकश की गई है और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कुल मात्रा तथा लागत क्या होगी जिनके आयात के लिये विभिन्न देशों के साथ करार किये जा चुके हैं और जिनके 1969-70 में प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित उर्वरकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा खर्च होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सोवियत संघ के साथ 1969 के लिये व्यापार योजना के उपबन्ध के अन्तर्गत उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं क्रय करने के लिये करार तय किये गये हैं, जिनकी अदायगी अपरिवर्तनशील रूपों में करनी होगी ।

उर्वरकों की किस्म	मात्रा	भाड़ा, बीमा लागत सहित मूल्य (प्रति मीटरी टन)
अमोनियम सल्फेट	19,000 मीटरी टन	330.00 रुपये
यूरिया	60,000 मीटरी टन	592.00 रुपये

सोवियत संघ से म्यूरिएट आफ पोटाश का क्रय करने के लिये बातचीत की जा रही है ।

(ग) 1969-70 के दौरान संभरण के लिये नाइट्रोजन फास्फेट एवं पोटाश के रूप में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कुल मात्राएं जिनके लिये करार किये जा चुके हैं, निम्न प्रकार हैं :—

नाइट्रोजन	442,753 मीटरी टन		मूल्य रु० 75.7425 करोड़
पोटाश (पी ₂ ओ ₅)	31,260 मीटरी टन		
पोटाश (के ₂ ओ)	24,160 मीटरी टन		

(घ) 75.7425 करोड़ रुपये के मूल्य के कुल क्रय में से विदेशी तथा देशी मुद्रा से की गई खरीद क्रमशः 50.0925 करोड़ रु० एवं 25.65 करोड़ रु० थी ।

पश्चिम बंगाल तथा आसाम में खाद्य उत्पादन वृद्धि की मिश्रित दर

7573. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और आसाम में खाद्य उत्पादन वृद्धि की मिश्रित दर भारत में सबसे कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम तथा पश्चिम बंगाल में उपज की वार्षिक वृद्धि दर भारत में सब से कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल को छोटी सिंचाई के लिये ऋण बिल्कुल ही नहीं दिये गये हैं और आसाम को नहीं के बराबर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल तथा आसाम के लिये अधिक धनराशि नियत न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । पश्चिम बंगाल और आसाम में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादिता की बढ़ोतरी की संयुक्त दरें तथा 1952-53 से 1964-65 के दौरान देश भर के लिए आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :—

खाद्यान्नों की बढ़ोतरी की संयुक्त दरें

	उत्पादन प्रतिशत	उत्पादिता उपज प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	1.14	0.88
आसाम	0.76	(—) 0.52
सम्पूर्ण भारत	2.50	1.51

(ग) और (घ). गत वर्ष 1968-69 के दौरान आसाम और पश्चिम बंगाल की लघु सिंचाई योजनाओं पर होने वाला व्यय तथा उसको दी गई केन्द्रीय आर्थिक सहायता निम्न प्रकार है :—

	लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल व्यय (रुपये लाखों में)	केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)		
		ऋण	अनुदान	योग
पश्चिम बंगाल	621.00	372.60	93.15	465.75
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमाएं				
आसाम	105.60	58.80	14.70	73.50
(जैसा कि राज्य ने सूचित किया है)				

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समिति का प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 869/69]

1969-70 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रवर्तन

के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रवर्तन के बारे में वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 870/69]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्रों के एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2023 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2024 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-871/69]

— — —

सामान्य आय-व्ययक—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

योजना आयोग

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब योजना आयोग सम्बन्धी मांग संख्या 99 पर चर्चा तथा मतदान होगा। इसके लिये 5 घण्टे नियत किये गये हैं। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट के अन्दर उन कटौती प्रस्तावों की क्रम-संख्या सभा-पटल पर भेज दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्हें प्रस्तुत किया समझा जायेगा यदि वे अन्यथा स्वीकार्य हों।

वर्ष 1969-70 के लिये योजना आयोग की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
99	योजना आयोग	1,31,63,000

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा एक नम्र निवेदन यह है कि पहले हमें योजना पर, योजना आयोग की मांगों पर नहीं, चर्चा करने के लिये 15 घण्टे का समय मिला करता था। आज हम योजना आयोग के कार्यकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। हमें योजना पर चर्चा करने के लिये काफी समय चाहिये। मैंने इसके लिये नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आज मांगों पर चर्चा होगी। योजना पर चर्चा बिल्कुल भिन्न चीज है। उसके बारे में कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय नियत किया जायेगा।

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जब मैंने उस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा था तो मैंने निवेदन कर दिया था कि यदि अध्यक्ष और कार्य मंत्रणा समिति समय और दिन नियत करने के लिये तैयार है तो मैं चर्चा कर सकती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज 4.30 बजे हो रही है। संसद्-कार्य मंत्री भी वहां उपस्थित होंगे। तब समय निश्चित करने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री लोबो प्रभु (उड़ीपी) : चार वर्षों के प्रयास से तैयार की गई इस प्रारूप योजना प्रतिवेदन के 367 पृष्ठों को पढ़ने से पता चलता है कि उसमें कोई भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बेकार क्षमता आदि के प्रश्न का तो उल्लेख भी नहीं किया गया है। अतः चौथी योजना के प्रारूप प्रतिवेदन से पता चलता है कि योजना आयोग वास्तव में क्या है।

मैं सबसे पहले बेरोजगारी के प्रश्न को लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि मंत्रीगण इस समस्या से कहां तक अवगत हैं। सौभाग्यवश उन्हें लोकतंत्र के कारण चुन लिया जाता है तथा रोजगार के लिये धक्के नहीं खाने पड़ते।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बेरोजगारी के सम्बन्ध में सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया था। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि हमारे देश में 7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं परन्तु इस प्रारूप प्रतिवेदन में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 39 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि रोजगार के अवसर बनाना राज्य का कर्तव्य है। प्रतिवेदन में अनुच्छेद 41 का भी उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान में न रखते हुए प्रतिवेदन में यह भी स्वीकार किया गया है कि हमारी वर्तमान

अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जिससे सभी को पूर्ण रोजगार दिया जा सके। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि 1961 से 1968 तक जनसंख्या में वृद्धि तो 44 करोड़ से 52 करोड़ हुई है जबकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि केवल 12.49 से 16.2 मिलियन हुई है। 1967 में रोजगार में वृद्धि केवल 0.8 प्रतिशत हुई थी। 1969 में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि योजना लोगों के श्रम को प्रयोग में नहीं ला सकती तो यह देश की उपलब्ध आस्तियों की अवहेलना कर रही है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करके उसमें श्रम का प्रयोग करने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक यह प्रतिवेदन रद्दी की टोकरी में फँकने लायक है।

अब मैं मुद्रास्फीति के प्रश्न पर आता हूँ। योजना में यह स्वीकार किया गया है कि मूल्य 1960-61 में देशनांक 124 से बढ़कर 1967-68 में 213 तक पहुँच गये हैं। परन्तु इसमें इस वृद्धि के कारण की जांच नहीं की गई है। इसमें मुद्रास्फीति को हल करने के लिये कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं। मुद्रास्फीति का आम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर तो मुद्रास्फीति का हल करने के लिये कोई सुझाव नहीं दिया गया है तथा दूसरी ओर चौथी पंचवर्षीय योजना में 14338 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह धन कहां से आयेगा? यह सुझाव दिया गया है कि यह धन 5 से 12 प्रतिशत तक सिंचाई की दर बढ़ा देने से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि बिजली की दर बढ़ा दी जा सकती है। अतः मैं यह समझता हूँ कि ऐसा करने से बेचारे किसानों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। यह समाज की बात नहीं है।

इसके बाद मैं कृषि पर आता हूँ। कृषि पर केवल 19.9 प्रतिशत पूंजी लगाई जायेगी। इससे पता चलता है कि योजना आयोग खाद्य और सिंचाई को कितनी वरीयता दे रही है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना को ग्रामीण लोगों की योजना कहा जा सकता है। यह योजना तो उद्योगों के विकास के लिये बनाई गई है। इस धन को तो सड़कों जैसी अन्य परियोजनाओं के लिये व्यय किया जाना चाहिये। हमारे देश में सड़कों की बहुत कमी है। अतः हमें बोकारो जैसी परियोजनाओं की बजाय सड़क परियोजना पर धन व्यय करना चाहिये।

योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि नियंत्रण से उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है। इसलिये इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

अब मैं केरल के मुख्य मंत्री द्वारा सुझायी गई वैकल्पिक योजना के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस वैकल्पिक योजना को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि दोनों में बहुत सी समान बातें भी हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि साम्यवादी लोगों और स्वतंत्र दल के लोगों में भी बहुत समानता है। स्वतंत्र दल तथा साम्यवादियों में केवल यह अन्तर है कि साम्यवादी तो 1 करोड़ 60 लाख ऐसे लोगों की बात सोचते हैं जो कार्यालयों तथा

कारखानों में काम करते हैं जबकि स्वतंत्र दल के लोग इनके अलावा देश के अन्य लोगों की भी सहायता करना चाहते हैं । दूसरी बात मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि हम उनके इस प्रस्ताव को कार्य रूप नहीं दे सकते हैं कि हम भुगतान सम्बन्धी अपने सभी वचन भंग कर दें । ऐसे करने वाले देश को केवल दुनिया में पृथक ही रहना पड़ता है ।

हम दिन-प्रति दिन देखते हैं कि समाचार-पत्रों में भुखमरी, दंगों आदि के समाचार आते रहते हैं । इसका कारण यह है कि हम गत 20 वर्षों में लोगों के लिये जीवनयापन की व्यवस्था भी नहीं कर पाये हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि यदि हम लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमारे लिए योजनायें बनाना बेकार है । हम तो अपने लिए सुख के साधन बनाकर बैठे हुए हैं तथा लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, पेट भरने के लिये खाना नहीं है तथा धन कमाने के साधन नहीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि योजना ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे देश समृद्ध हो सके और लोग खुशहाल हो सकें ।

योजना आयोग सम्बन्धी निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	3	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	योजना आयोग को, जो देश पर एक अनावश्यक भार है, समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
99	4	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही करने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
99	5	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	पंचवर्षीय योजनाओं का गलत ढंग से बनाया जाना ।	100 रुपये
99	6	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	योजना आयोग का अदक्ष कार्यपालन और योजना के नाम पर जनता और सरकार को धोखा दिया जाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	7	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	केवल संसद् सदस्यों को ही योजना आयोग के सदस्य नियुक्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
99	8	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	योजना आयोग को संसदीय वित्त समितियों जैसी एक स्थायी संसदीय समिति में न बदलना।	100 रुपये
99	9	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	उत्तर प्रदेश के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत राशि में कमी जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिये सहायता में कटौती हो गई है।	100 रुपये
99	10	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	अनेक पद रिक्त रखना जबकि देश में बेकारी की विकट समस्या है।	100 रुपये
99	11	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	योजना आयोग में फैला भ्रष्टाचार बन्द करने की आवश्यकता।	100 रुपये
99	12	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	केवल कागजी योजनाएं बनाने की नीति छोड़ने और उन्हें लागू तथा पूरा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
99	14	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	योजनाओं में होने वाला भारी अपव्यय न रोकना।	100 रुपये
99	15	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	देश को विदेशी ऋणों से लाद देना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	16	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	योजनाओं में कृषि उत्पादन को प्राथमिकता न देना ।	100 रुपये
99	17	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धन की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
99	18	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों तथा लघु सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा ।	100 रुपये
99	19	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
99	20	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थिति सुधारने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
99	21	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	पंचवर्षीय योजनाओं में गावों की सड़कों को सुधारने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	22	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि विकास के लिए योजना में अधिक राशि की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
99	23	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी पंचवर्षीय योजना को समय पर कार्यान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	24	श्री रामावतार शास्त्री	योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	25	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	26	श्री रामावतार शास्त्री	पिछड़े राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	27	श्री रामावतार शास्त्री	प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	28	श्री रामावतार शास्त्री	योजनाओं के अन्तर्गत एकाधिकारिक पूंजीवाद का अबाध विस्तार ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	29	श्री रामावतार शास्त्री	पूंजीवाद पर आधारित योजना को त्यागने तथा गैर-पूंजीवाद के माध्यम से विकास सिद्धान्तों पर आधारित योजना बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 ह० कर दी जाये
99	30	श्री रामावतार शास्त्री	योजना आयोग के प्रशासन पर होने वाले व्यय में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	31	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
99	32	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी योजना में सरकारी उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	33	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी योजना के अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	34	श्री रामावतार शास्त्री	चौथी योजना के प्रारूप पर विचार करते समय केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	35	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में उद्योग-धंधों के विकास के लिये विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	36	श्री रामावतार शास्त्री	पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने के लिये बिहार सरकार को 25 करोड़ रुपये की सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
99	37	श्री रामावतार शास्त्री	देश में बड़ी सिंचाई योजनाओं जैसे कि गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना, अघवारा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना तथा अन्य सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता ।	

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं योजना आयोग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। हमारी योजना राष्ट्रीय है परन्तु दुर्भाग्य से विवादास्पद मामलों से उसका आरम्भ हुआ है।

हमारे प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि पहली तीन योजनाओं में समाज के निर्धन वर्गों को लगभग बिल्कुल छोड़ दिया गया है। उन्होंने श्री अजय मुकर्जी, श्री ज्योति बसु तथा श्री करुणानिधि को आश्वासन दिया है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्य तीन योजनाओं की असफलता के कारण चतुर्थ योजना के प्रारूप में परिवर्तन करना अभी भी सम्भव है। हमारे महान प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने भी यह स्वीकार किया था कि हम सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में शायद असफल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसकी असफलता के कारणों का पता लगाया जाये। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे लिए उन उद्देश्यों को प्राप्त करना कहां तक सम्भव होगा।

हमारा देश कृषि प्रधान है और हमें योजना को कृषि पर आधारित बनाना चाहिये था। दुर्भाग्य से हमने इस पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि पंडित नेहरू इस बारे में सतर्क थे तथापि योजना बनाने वालों ने इस सम्बन्ध में गलती की है।

महान दार्शनिक रूसो का विचार था कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का अपने लिए फालतू वस्तुयें प्राप्त करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है जबकि लाखों लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें भी उपलब्ध न हों। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू तथा श्री सुभाष चन्द्र बोस के भी यही विचार थे। मैं विरोधी सदस्यों से अपील करता हूँ कि यदि हम अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत वर्षों तक अल्प विकसित भारत जैसे देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय प्रयोजन के अनुसार चलना होगा, यह कहना गलत है कि बेवेरिज योजना जैसी योजना से हम बेरोजगार अथवा अल्प रोजगार वाले लोगों का सुधार कर सकते हैं।

चौथी योजना के प्रारूप के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने लिखा है कि इस योजना के उद्देश्य पहली तीन योजनाओं के उद्देश्यों से भिन्न नहीं हैं। इसके लक्ष्य कम महत्वाकांक्षी और अधिक वास्तविक हैं। उनके परिणामों की प्राप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ हो जायेगा। मैं इस विचार में बिल्कुल सहमत हूँ। इसका उद्देश्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। दो वर्षों के अन्त में पी० एल० 480 के अन्तर्गत होने वाला खाद्यान्न का आयात बन्द हो जायेगा।

केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में योजना पर 14,398 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह तृतीय योजना में होने वाले व्यय से 5,820 करोड़ रुपये अधिक है। सब में अधिक राशि उद्योग तथा खनिज के लिये और उसके बाद परिवहन तथा संचार के लिये रखी गई है। अतः यह दावा करना है कि कृषि को पर्याप्त महत्व दिया गया है, बढ़ा-चढ़ा कर किया गया दावा है।

डा० राय ने सिंचाई आयोग की नियुक्ति का वचन दिया है। इस पर 'स्टेट्समैन' ने 21 अप्रैल, 1969 के अंक में ठीक ही लिखा है कि सिंचाई आयोग को मूल्यों की समस्या की जांच करने के लिये नहीं कहा गया है। यह बहुत विचित्र बात है।

यदि हम केवल राज्यों की दृष्टि से ही सोचें तो यह राष्ट्रीय योजना नहीं होगी। हमें राष्ट्रीय योजना और राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में सोचना है। यदि हम मिलकर एक अच्छी योजना बनायें तो भारत में निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्या के बावजूद हम अपनी सभी समस्याएँ हल कर सकते हैं। मेरा राष्ट्रीय परिषदों अथवा समितियों में विश्वास नहीं है। यदि प्रधान मंत्री अनौपचारिक विचार-विमर्श द्वारा सर्वसम्मत मत बनायें तो यह बहुत अच्छा होगा।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): When I raised half an hour discussion last year, the Prime Minister expressed surprise over Jun Sangh's faith in planning. I would like to remove her doubts and tell her into Juna Sangh has been taking keen interest in the plans since its inception in 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए]
[**Shri R. D. Bhandare in the Chair**]

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh): We have full faith in plans. Woodhead Commission suggested that it was the duty of the Government to supply goods at cheap rates to the people. The Third Five Year Plan was completed in March, 1968. We have not prepared any long term plan for the last three years. People are expected to do very hard work at the time when the country is facing great difficulty.

The Administrative Reform Commission in its recommendation regarding Planning Commission, has suggested that the Prime Minister should not be the Chairman of the Planning Commission and no Minister should be the member of the Commission. The Government has accepted its recommendation partially. As the Prime Minister was its Chairman it had increased its sphere and has increased the number of its employees. It has suggested that the Prime Minister should be intimated regarding the position of the Planning Commission from time to time, but should not be the Chairman of that Commission. The Government has accepted other suggestions except that the Prime Minister should not be the Chairman of this Commission.

In all we are spending 24398 crores of rupees on the Fourth Five years plan. Foreign Aid is 3730 crores. Deducting old interests and service charges the foreign assistance will be to the tune of 2514 crores rupees. I am of the opinion that we should utilise our own resources for this plan, particularly in the year, Gandhi centenary we are not short of re-sources.

It is the responsibility of the Government to supply food stuffs at cheap rates. It should solve the unemployment problems also.

Industrialisation should be encouraged to provide employment. India's problems are quite different from other countries. We cannot follow other countries in respect of our plans. There is no shortage of capital in foreign countries. They are short of labour. But our case is a different case. There is a shortage of capital in our country. So we cannot solve our problems by following their plans. We should re-consider regarding the objects of our plan. Preference should be given to agriculture in our plans. Our target is not practicable. We are purchasing fertilizers at very high prices the assistance of 55 crores of rupees given for fertilizers, has been stopped. Government is planning to tax fertilizer. Is this the way to give preference to agriculture?

We are not utilising our full resources. Our education policy is defective. We are not spending as much on education as is being spent in other countries. The standard of education in our country is not upto the mark. We should try to get the maximum benefit from our resources. The main object of our plans are to remove unemployment, to raise the standard of living, and to raise the production in the country. We have not succeeded in achieving our objects. We should decentralize the industries. We should try to establish industries in the villages.

Computers are required for the countries, where the population is less. We do not require Computers. Before using the Computers we should utilize our man power.

Small scall industries should be established in villages. Defence of the country should be given preference. More and more employment should be given to the people in the country. This is the only way of putting the plans on the road to success.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : इस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना को आरम्भ किया जाना है, इस दृष्टि से यह वर्ष बहुत महत्व का है। प्रधान मंत्री के योजना आयोग के अध्यक्ष बने रहने के बारे में आलोचना की गई है। किसी भी देश में प्रधान मंत्री को आर्थिक विकास का काम नहीं सौंपा गया है।

योजना आयोग का मुख्य कर्तव्य बेकारी की समस्या को हल करना और लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना है। योजना आयोग इन कार्यों को करने में सफल नहीं रही है और देश को आर्थिक विकास नहीं हो पाया।

देश को आन्तरिक तथा वैदेशिक साधन उपलब्ध हैं। आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिये यदि करों में वृद्धि की जाती है तो समाज के निर्धन वर्गों को कठिनाई होगी और उत्पादन में वृद्धि रुक जायेगी। आगे ही कर चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अतः और कर नहीं लगाये जा सकते।

हमारा दूसरा संसाधन ऋण है। लेकिन लोगों की ऋण देने की क्षमता सीमित है। दूसरे ऋणों को जब कल्याणकारी परियोजनाओं पर लगाया जाता है तो उससे लाभ नहीं कमाया जा सकता। अतः उसका भुगतान करना कठिन होता है। तीसरा, संसाधन घाटे की अर्थ व्यवस्था है। यदि इसका सहारा लिया जाये तो इससे समाज के निर्धन वर्गों को सबसे अधिक हानि होती है। अतः इस साधन पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

चौथी पंचवर्षीय योजना को आरम्भ न करने के लिये राज्य सरकारें दोषी हैं। राज्य सरकारें अधिकतम संसाधन चाहती हैं लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिये न्यूनतम अंशदान करती हैं। यदि योजना को बड़ी बनाना है तो राज्यों को नये साधन तलाश करने होंगे।

कृषि पर कर लगाने में आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। जब गैर-कृषि क्षेत्र कर अदा कर रहे हैं तो कृषि क्षेत्र को इसे अदा न करना न्यायोचित नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र में कर लगाने की न्यूनतम सीमा तीन हजार या चार हजार है। कृषि क्षेत्र में इस न्यूनतम सीमा को बढ़ा कर दुगुना या तिगुना किया जा सकता है। इससे योजना आयोग को बड़ी योजना बनाने में सहायता मिलेगी। इससे बेकारी की समस्या भी हल होगी और देश में लोगों के जीवन-स्तर में भी वृद्धि होगी।

योजना आयोग के भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकी है। राज्य सरकारों को इस समस्या को हल करने के लिये आगे आना चाहिये। राज्य सरकारें संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं कर रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में असफल रही हैं और इसका दोष वे योजना आयोग या केन्द्रीय सरकार को देती हैं।

सरकार ने इस समस्या के बारे में उचित कार्यवाही की है। उसका उद्देश्य कृषि को प्राथमिकता देना है। देश में आर्थिक प्रगति का आधार कृषि है। योजना आयोग ने कृषि को प्राथमिकता दी है। योजना आयोग ने अच्छे उर्वरकों, अच्छे बीजों और अधिक सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं की योजना बनाई है। राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर देने के बजाये कृषि क्षेत्र के विकास के लिये अंशदान नहीं दे रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी मुख्य समस्याओं में बीजों तथा उर्वरक की व्यवस्था करना है। अन्य समस्या भूमि के छोटे-छोटे भाग करने से रोकने के लिये कानून बनाने की है। इस विषय में कोई भी राज्य कार्य करने के लिये तैयार नहीं है।

योजना आयोग ने परिवार नियोजन के लिये निर्धारित 74 करोड़ रुपये की धनराशि को 300 करोड़ रुपये बढ़ा कर उचित कार्य किया। इस सम्बन्ध में अनिवार्य परिवार नियोजन के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये। इस बारे में सब दलों को मिल कर विचार करना चाहिये।

योजना आयोग ने शिक्षा के विकास पर जोर दिया है और यह विचार व्यक्त किये हैं कि राष्ट्र के विकास के लिये शिक्षा का विकास किया जाना आवश्यक है। नई पीढ़ी को उचित शिक्षा दी जानी चाहिये। वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की आवश्यकतानुसार दी जानी चाहिये। देश को अच्छे किसानों अच्छे उद्योगपतियों और अच्छे तकनीकियों की आवश्यकता है। लेकिन राज्यों ने देश की आवश्यकतानुसार शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं किया है। योजना आयोग को राज्यों की शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये अनुरोध करना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी देश के विकास में सहयोग दे सके। जहां तक उद्योगीकरण का प्रश्न है, योजना आयोग ने लाइसेंस देने की अच्छी और विकसित नीति बनाई है। देश में बनी वस्तुओं के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा बहुत विस्तृत है। राज्यों के सहयोग से इसमें सुधार किया जा सकता है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : सरकार को योजना आयोग के गठन के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिये। इसे न तो कानूनी और न ही संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। इसकी स्थापना केवल सरकारी संकल्प के आधार पर की गई थी। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सरकार को इस बारे में सब दलों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

योजना आयोग अर्ध-राजनीतिक निकाय है। इसे देश की सब राजनीतिक दलों का विश्वास और संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। यह वित्तीय आवंटन अपनी मर्जी से करता है और इस बारे में विषय की पद्धति पर ध्यान नहीं देता। ये केन्द्रीय सरकार के कार्य को दुगना कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में 90,000 ट्रेक्टरों की आवश्यकता होगी जबकि योजना आयोग ने 65,000 ट्रेक्टरों की मांग का अनुमान लगाया है। पता नहीं कौन से आंकड़े ठीक हैं। सरकार अपनी नीति कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार निर्धारित करेगी या योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार। उद्योग मंत्रालय लघु उद्योगों के लिये और अधिक धनराशि आवंटित करवाना चाहता है जबकि योजना आयोग ने लघु उद्योग के लिये समस्त चौथी योजना में 120.10 करोड़ की धनराशि आवंटित की है इस समस्या का अध्ययन करने के लिये श्री के० बालचन्द्र के नेतृत्व में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी। उसने चौथी योजना में 235.44 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की थी। योजना आयोग ने बिना किसी कारण इस धनराशि को घटाकर 120.10 करोड़ कर दी। देश की आय में 6 प्रतिशत अंशदान लघु उद्योग का है। यदि सरकार इस सम्बन्ध में देशवासियों का समर्थन प्राप्त करना चाहती है तो उसे इन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये। योजना आयोग को देश के सब दलों का विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ रहने से फिजूल खर्ची होती है अतः केवल योजना आयोग या विभिन्न मंत्रालयों को बनाये रखना चाहिए। देश में विकेन्द्रीकरण के

कारण भी योजना असफल हुई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने योजना के बारे में निम्न-लिखित विचार व्यक्त किये हैं; “अब तक केवल अविकसित राज्यों में योजना आरम्भ की गई है” “हमारे संसाधन बेकार जा रहे हैं” योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि जिस अधिकारी के दिमाग में कोई नई योजना आई उसने उसको क्रियान्वित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने इस योजना को राज्य अधिकारियों की स्वीकृति के लिये भेजा है। इस मामले में मंत्रालयों, राज्यों और अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हो गयी है

सरकार को योजना की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये। हमें विकेन्द्रीकरण का विरोध नहीं करना चाहिये। योजना की असफलता के लिये राज्य सरकारों को दोष देना उचित नहीं क्योंकि देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है राज्य सरकारों द्वारा नहीं। तामिलनाडु में कटाई मिलों को बन्द होने के लिये केन्द्रीय सरकार ही दोषी है। सीमेंट उद्योग के बारे में भी यही स्थिति है। सरकार की लाइसेंस सम्बन्धी नीति उचित नहीं है। सरकार पहले एक निश्चित क्षमता के लिये लाइसेंस देती है और बाद में उसका विनियंत्रण कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना में यही दोष है। यह राष्ट्रीय धन की बरबादी है। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों में अशान्ति फैल जायेगी और बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को योजना को फिर से उचित रूप देना चाहिये ताकि इसे देश के सब भागों तथा लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके।

कृषि उत्पादन में धीमी गति से वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था की दर में वृद्धि नहीं हुई है। तीसरी पंच वर्षीय योजना के बाद खाद्यान्नों के आयात में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए 857 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमें अन्य देशों से खाद्यान्नों का तब तक आयात करना पड़ेगा जब तक कृषि के लिये उचित धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारे राज्य ने 300 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है और केन्द्रीय सरकार से 300 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 342.33 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और केन्द्रीय सरकार ने 180 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर व्यय की जाने वाली राशि में 160 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में केवल 15 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गई है।

यदि सब राज्यों पर चौथी योजना में खर्च होने वाली कुल धनराशि को मिलाया जाए तो केन्द्रीय सहायता राज्य की योजनाओं का 55 प्रतिशत होगी।

सेलम संयंत्र के सम्बन्ध में वचन का पालन नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह राज्यों को आवंटित किए जाने वाली धनराशि में भारी कमी करे और राज्यों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़े।

राज्य सरकारों को जो धनराशि मिल रही है उन्हें उससे अधिक धनराशि दी जानी चाहिए।

मैं अर्ध-राजनीतिक निकाय के रूप में योजना आयोग की स्थापना का विरोध करता हूँ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस प्रकार का दावा कभी किसी ने नहीं किया जैसाकि माननीय सदस्य की बातों से प्रकट होता है कि वे योजना को अस्वीकार कर रहे हैं।

श्री कन्डप्पन : मैं योजना को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे दुःख है कि मैं योजना बनाने में सहयोग प्रदान नहीं कर सका। योजना के उद्देश्य के बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : योजना को बनाते समय प्रत्येक राज्य सरकार, अधिकारियों और मंत्रियों की सलाह ली गई थी। इसके बाद ही योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् को सौंपा गया था।

श्री कन्डप्पन : योजना आयोग में सब कांग्रेसी हैं। योजना आयोग के ऐसे गठन से उस पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि वह ऐसी योजना तैयार करे जिससे देश की सब योजनाओं को शामिल किया जाए ताकि इससे सहयोग प्रदान करने की भावना लोगों में उत्पन्न हो।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : हमें चौथी पंचवर्षीय योजना का स्वागत करना चाहिए। देश में परिवर्तित हो रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इसमें संशोधन कर सकते हैं।

योजना के लिये कम से कम विदेशी सहायता लेने के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूँ। हमारा लक्ष्य यह है कि हम विदेशी मुद्रा पर निर्भर न रहें।

वास्तव में हमने प्रगति की है। योजना के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। इस योजना में कृषि पर बहुत जोर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

देश में राष्ट्रीयता की भावना समाप्त हो रही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा पर उचित व्यय किया जाए क्योंकि आज का युवक कल के देश निर्माता है। देश के युवकों में राष्ट्रीयता की भावना जगानी चाहिए।

योजना को बनाते समय हमें देश में फैली बेकारी की समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वर्ष 1980 तक 12 करोड़ व्यक्तियों के बेकार होने की सम्भावना है। यदि गांव वालों के साथ न्याय करना है तो भूमि में सुधार करना चाहिए। अमीर किसान गांवों में राजनीति का शिकार हो रहे हैं इसके परिणामस्वरूप वास्तविक किसान देश की प्रगति में भाग नहीं ले पा रहे हैं।

हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। इस समस्या से कुछ राज्य प्रभावित हैं। फैजाबाद डिवीजन में न तो कोई विश्वविद्यालय है न कोई मेडिकल कालेज

या कृषि कालेज हैं जबकि इसकी जनसंख्या 1 करोड़ है । गत तीन योजनाओं में इस डिवीजन का विकास नहीं किया गया है । राज्य के लोग गरीब हैं । पहली पंचवर्षीय योजना के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक थी और आज तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद से उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम हो गई है । सहायता देते समय इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए । देश में करोड़ों लोगों को भूखा मार कर राष्ट्रीय अखंडता या एकता स्थापित नहीं की जा सकती । अतः अनुदान का कम से कम 15 से 20 प्रतिशत मात्रा फ़ैजाबाद जैसे क्षेत्रों तथा पूर्व उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के विकास के लिए दिया जाना चाहिये ताकि उन राज्यों के लोगों को भी उचित स्थान मिल सके ।

एकाधिपत्य को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि निर्धन वर्ग को भी योजना का लाभ मिल सके ।

यदि देश की पाकिस्तान तथा चीन जैसे देशों के आक्रमण का मुकाबला करना है तथा अन्य देशों के समान अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो इन सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए । उनमें से प्रथम सुझाव यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । दूसरे निर्यात आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । व्यापार का लाभ निर्धन वर्गों को भी दिया जाना चाहिए । देश की जनता का धन गैर-सरकारी क्षेत्रों को जा रहा है । अब इस नीति को समाप्त किया जाना चाहिए ।

देश में प्रतिरक्षा पर व्यय में कमी नहीं की जा सकती । देश के गरीब लोगों पर और कर नहीं लगाया जा सकता ।

देश में पिछड़े वर्गों और समुदायों की रक्षा की जानी चाहिए । ऐसा किये बिना देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं है । देश के सामने मुख्य समस्या केन्द्र राज्य सम्बन्ध की नहीं है बल्कि मुख्य समस्या यह है कि गरीबों और अमीरों में और अन्तर न बढ़े ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Deputy-Speaker in the Chair

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj): In order to understand the planning four fundamental questions must be understood, namely why planning is necessary? How the plan should be formulated and how to mobilise resources for the plan and how to implement the plan.

The Planning is necessary to co-ordinate the economic activity of the country. It is necessary to bring about a balance in the production, demand and supply position in the country.

We have to consider as to how we have formulated our plan. Is it in keeping with the demands of our country? We have to take into consideration the conditions prevailing in our country. We should see that the citizens of the country give their suggestions when we prepare our plan. It is they who are to implement the plan in the long run or it is with their co-operation

tion that plan can be implemented. We know our previous three plans have not helped us much. Our main problem of poverty and unemployment are still there, as they were before. The planning Commission should have taken into consideration that our population would increase.

We want to increase production. Have we given any production bonus to the workers? They are living in old wretched conditions. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer in our country. A poor cannot get a square meal.

Government does not want to annoy the rich. It is very improper. In our Country, there are about 4 or 5 percent such people who have amassed wealth and the rest are living in very deplorable conditions.

Our planners will have to narrow down this gulf of disparity. If that is done, only then our planning will be successful, otherwise our planning will be useless. We will have to take certain steps in this direction.

While formulating plans, we must take into consideration the plight of those farmers, who have got very small holdings. He too should be provided all the facilities. It is conceded that the poor man of our country has not got the fruit of planned development in our country. I request that due attention should be paid to the welfare of poor sections of our country while preparing plans. If necessary, changes may be made in the plan. We should take necessary action for that.

Shri Bishwanath Roy (Deoria): Sir, it is for the first time that the spokesman of Jan Sangh has said that his party is not opposed to plan. I take it as a success of the Government. The D. M. K. member has betrayed his ignorance about the constitutional aspect of planning. He should know that under articles 38 and 39 a resolution passed on 15th March, 1950 in regard to the Planning Commission. Thus we should know that it has got constitutional sanction behind it.

We find that separatist tendencies are increasing in the countries. Kerala State wants to export its products at its own level. The West Bengal Government is thinking of arresting the Central Government employees. Such moves are not in the interest of the country. The planning is for the entire country. It is a unifying force. It puts some sort of control on us. We have to keep in view the entire country. Pandit Nehru was a far sighted person. He started the process of planned development. We are now convinced about its utility.

I am surprised on the recommendation of the Administrative Reforms Commission that the Prime Minister should not be the Chairman of Planning Commission. It has recommended that the Planning Commission should be constituted on the lines of Railway Board. The Railway Board looks after the working of Railways only, but the Planning Commission has to think of all the parts of the country. It has to take into consideration all aspects of country's economy. It is the Prime Minister being its Chairman can look after its working in a better way. Similarly the Minister of Finance should also be the member of the Commission. He knows as to how finances could be provided. In my view the minister whose ministry is concerned should also be called at the time of formulation of plan. I do not want to say anything in regard to Fourth plan now. I will express my view on this at the proper time. But I would like to draw the attention to one thing. We should pay proper attention to the farmers needs.

About half of our national income is derived from them. Our country has made considerable progress during the last about twenty years. We are now making many types of machines indigenously. We are adopting Swadeshi. It is very good. It was one of our weapon against the foreign rule.

I am not in favour of preparing yearly plan. It hampers the continuity of work. It was due to unavoidable circumstances that Government had to observe plan holiday.

Some Hon. Members have criticised our borrowing from foreign countries for financing the plans. They should know that it is not possible to make progress without adequate money. Even Russia had to borrow to finance its plans.

Our country has made good progress in the economic sphere. It is correct we have not been able to solve the unemployment problem. Our population is increasing at very fast rate. It is sapping all our progress. We will have to take measures to check it. During the last three plans some business houses got the maximum benefit and they have accumulated enormous wealth. This tendency should be checked and there should be equitable distribution of fruits of development in the country.

We have to depend on rains too much. If rains fail in one season, we have very less production. In case there are more rains, we have to suffer floods. That too causes great damage. In such situation we must take steps to ensure regulated water supply for irrigation. The Planning Commission should consider this.

In the matter of allocations of central funds, U. P. has been neglected through out. That is why it is most backward state of our country. This policy of negligence of U. P. should be changed. If you look at the per capita central assistance during the plans, you will find that U. P. has been the most unfortunate state in this regard. The state of U. P. is the most populous state of India. It has its own peculiar problems. There are certain industries like sugar, cotton in U. P. But they are old ones. We are not against other states but we cannot tolerate that one state should be discriminated against. I have spoken to the Prime Minister in this regard. U. P. should not neglected that way.

We want that atomic plant should be set up in U. P. because there is shortage of power in U. P. This plant must be set-up there.

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं चौथी योजना के मसौदे पर इस समय अपने विचार नहीं रखूंगा। इस समय योजना आयोग चर्चा का विषय है। इस मसौदे को योजना आयोग ने ही तैयार किया है। इसे सत्तारूढ़ दल के विचारधारा के अनुसार बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग तीन वर्ष लगे हैं।

कांग्रेस दल की विचारधारा क्या है? वे कहते हैं कि इसका आधार समाजवाद है। परन्तु समाजवाद की परिभाषा के बारे में उनमें मतभेद है। उपप्रधान मंत्री का कुछ विचार है तो अन्य लोग कुछ और कहते हैं। शिक्षा मंत्री समाजवाद का कुछ और ही अर्थ लगाते हैं। कुछ समय पूर्व की बात है आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने स्वयं मद्रास में कहा था कि मुझे समाजवाद की कोई जानकारी नहीं है कि यह क्या है? वैसे बातें सभी समाजवाद की करते हैं। कोई

जानता नहीं कि यह क्या है। यह चार अंधों और हाथी वाली कहानी की याद कराती है। इस प्रकार स्थिति यह है कि 20 वर्ष के कांग्रेस शासन के बाद भी इसे पता नहीं कि इसकी विचारधारा का आधारभूत समाजवाद क्या है। इसमें योजना आयोग का कोई दोष नहीं है।

इसकी रिपोर्टें भी वैसे ही भ्रामक हैं। अब इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि समानता के बारे में एक निश्चित वक्तव्य देने के लिये पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारी तीन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं परन्तु हमें यह भी मालूम नहीं है कि हमने कहां तक अपने लक्ष्य प्राप्त किये हैं। अब हम चौथी योजना तैयार करने जा रहे हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान कुछ एक व्यक्तियों के पास धन एकत्र होता रहा है। एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट से तथा अन्य सरकारी रिपोर्टों से यह पता चलता है। वास्तव में यह सरकार कुछ एक पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है। जो वे लोग चाहते हैं, वही होता है।

हमारा आयोजन तो कुछ निराधार धारणाओं पर आधारित है। यदि विदेशी संसाधनों की कमी हो गई, तो कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अभी तक, नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं किये गये हैं। वैसे योजना का प्रथम वर्ष आरम्भ हो गया है। इस प्रकार तो इनकी योजनाएं बनती हैं। इनके समक्ष कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वैसे साम्राज्यवाद की अर्थ व्यवस्था में ऐसा होना अवश्य है। यहां जितनी योजनाएं बनेंगी उतना ही अधिक धनी वर्ग और धनी बनेगा। भूमि सुधारों के बारे में इनकी कोई निश्चित नीति नहीं है। उसके लिये भी इनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। योजना आयोग को बने लगभग बीस वर्ष हो चुके हैं, परन्तु अभी तक इसके पास देश के बारे में आधारभूत जानकारी नहीं है। तीन वर्षों तक योजना बनती रही परन्तु उन्हें जानकारी नहीं मिली। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। इसके सदस्य बड़े विद्वान और बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें इस देश के बारे में कुछ मालूम नहीं है।

आयोजन के लिये आधार के रूप में एक निश्चित विचारधारा का होना बहुत आवश्यक है। योजना तभी सफल हो सकती है जब संसाधनों पर नियन्त्रण हो। ऐसा न होने के फलस्वरूप ही हमारी योजनाएं असफल रही हैं।

कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जायेगी। गत तीन वर्षों से हमें बड़ी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि 1962 में चीन के आक्रमण और 1968 में पाकिस्तान के आक्रमण से हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां आरम्भ हुई हैं। यह तो 1956 में दूसरी योजना के बनाते समय भी थीं। उस समय के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने विश्व बैंक को लिखा भी था।

हमारी आर्थिक नीति में कुछ बुनियादी त्रुटियां हैं। अतः नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्यथी) : मैं सभी उठाई बातों को न लेते हुए कटौती प्रस्तावों पर ही बोलूंगी। प्रधान मंत्री स्वयं मुख्य बातों पर बोलेंगी। चौथी योजना के तैयार करने में विलम्ब के बारे में तीन कटौती प्रस्ताव हैं। योजना की तैयारी में अड़चनों के होते हुए इसे तैयार करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष सराहना के पात्र हैं।

दिसम्बर, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के बनाने का अनुमोदन किया था। उसके बाद योजना आयोग ने कार्य आरम्भ किया। उसके बाद मई, 1968 में इसकी मूल बातों को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा गया। उसके बाद इसे राज्य सरकारों की सलाह से इसे बनाया जाने लगा।

योजना तैयार करने के बारे में इस बार आमूल परिवर्तन किया गया। पहले योजना की रूपरेखा पहले तैयार की जाती थी और उसके बाद राज्यों से सलाह की जाती थी। अबकी बार योजना को नीचे से तैयार किया गया है। राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने को कहा गया। ब्योरेवार चर्चा के बाद उन्हें राष्ट्रीय योजना में रखा गया। इस तरह जनवरी, 1969 को लक्ष्य रखा गया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि विशेष विलम्ब नहीं हुआ है। राज्य की और प्रत्येक मंत्रालय की योजनाएं तैयार हैं। वे इनकी कार्यान्विति के कार्य को आरम्भ कर सकते हैं। कुछ राज्यों में मध्यावधि चुनाव थे। इस कारण राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक नहीं हुई। यह भी विलम्ब का एक कारण था।

योजना किसी का सम्बन्धी कानून की भान्ति नहीं जिसे किसी एक तिथि से लागू कर दिया जाये। इसे तैयार करने में समय लगता है। फिर इसकी छानबीन होती है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कार्य इससे सम्बद्ध होते हैं। वैसे 1969-70 की वार्षिक योजना के आरम्भ से योजना लागू हो गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि योजनाओं से देश की विषमताएं समाप्त नहीं हुई हैं। इस बारे में राज्य सरकारों के अपने कुछ बड़े-बड़े दायित्व हैं। जब तक वे पूरे नहीं होते समेकित विकास ठीक से नहीं होगा।

आसाम, नागालैंड, जम्मू तथा काश्मीर को विशेष सहायता देने के अलावा हमने छः अन्य राज्यों को भी पिछड़ा राज्य घोषित किया है। उनके लिए 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता विशेष रूप से नियत की गई है। औद्योगिक विकास में असंतुलन पर विचार हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी। उसने अभी अभी अपनी रिपोर्ट दी है। उस पर आगे की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। मेरा राज्य उड़ीसा भी एक पिछड़ा राज्य है। ऐसे राज्यों ने अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए छोटी योजनाएं बनायी हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद योजना आयोग चौथी योजना के लिये संसाधनों के प्रश्न पर पुनः विचार करेगा। उसके बाद कुछ राज्यों को अधिक सहायता देना सम्भव होगा।

केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी सभी राज्यों के सन्तुलित विकास की है और राज्यों की जिम्मेदारी वहां पर सभी क्षेत्रों के विकास करने की है। योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारी भेजें। ताकि उनके विकास में गति लायी जा सके।

योजना आयोग को समाप्त करने सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव बहुत हास्यास्पद है। आजकल तो विकसित देशों में योजनाबद्ध विकास को बहुत महत्व दिया जा रहा है। हमारे जैसे बड़े देश में विभिन्न राज्यों में विकास कार्यों में समन्वय लाने के लिये इस प्रकार के निकाय होना नितान्त आवश्यक है।

योजना के अन्तर्गत हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। इस बारे में प्रधान मन्त्री प्रकाश डालेंगी। मैं कुछ एक बातों का उल्लेख करना चाहती हूं। यह कहना ठीक नहीं कि लघु उद्योगों और छोटी सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा की गई है। वास्तव में गत दशक में छोटे उद्योगों का विकास एक विशेष सफलता है। इनके लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध किया गया है। औद्योगिक सहकार समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1967-68 में 360 औद्योगिक बस्तियां पूरी की गई हैं।

छोटी सिंचाई योजनाओं के मामले में गत तीन वर्षों में विशेष रूप से बहुत कार्य हुआ है।

इस अवधि में 5 लाख विद्युत चालित पम्प लगाये गये हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम, भूमि विकास बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सिंचाई के लिये लगभग 500 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में बहुत प्रगति हुई है।

इसका अर्थ यह नहीं कि अब और प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं। हमें अभी बहुत कुछ करना है। देश का शीघ्र गति से विकास करना किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिये समूचे राष्ट्र को कार्य करना है। योजना को सफल करने के लिये सभी को कोशिश करनी होगी।

Shri Chandershekher Singh (Jahanabad) : Our third plan ended in April, 1966 and now after three years fourth plan is being started. I cannot understand as to how it is initiated from 1st April, when the Prime Minister has placed draft on 21st April, 1969 and the National Development Council considered it on 19th and 20th April, 1969. Moreover, the Deputy Chairman of the Planning Commission has recently said that the plan would be ready by October, 1969. This shows the inefficiency of Planning Commission.

The fourth plan will be of great help to capitalism in our country. It is the result of such planning and policy that wealth is concentrating in the hands of a few people in the country.

The Monopolies Commission Report has correctly revealed that 75 monopolists are controlling the economy. The wealth of Tatas and Birlas has increased considerably during short periods. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. This is the result of our plans. I would say that these plans are not for bringing socialism but making monopolists more and more powerful.

No land reforms have been made during three plans. The labour is in a very difficult position. No effort has been made to provide assistance to the farmers. The industrial worker has not been given need based minimum wage. There is no reference in draft fourth plan about this.

We have not been able to increase our agricultural production and we have to spend foreign exchange for the import of foodgrains. There is shortage of tractors and agricultural implements in the country. There are no proper arrangements for the supply of power to the farmers and they are not made diesel available in time and at control rate. Moreover, the prices have also gone up. Government should pay attention to it.

Three plans have been completed but the number of unemployed persons is still reported to be as high as 1.40 crores, which likely to swell further to 1.90 crores at the end of the Fourth Plan. The Fourth Plan has not been properly drafted as it has been prepared ignoring the basic facts. Human factor has been neglected. It should be prepared keeping in view the needs of common man. We have noticed during the last three Plans that the funds allocated to State Governments for housing are diverted to other works. You should provide larger funds for housing and see that these are utilised for the purpose.

The problem of lack of resources can be solved by nationalisation of banks and foreign trade and seizure of foreign capital and by imposing ban on remittances of profits to foreign countries. The privy purses of erstwhile rulers should also be abolished. The tax arrears of Rs. 500 crores against the industrialists and businessmen should be realised expeditiously and action should be taken to unearth Rs. 6 crores of black money in the country.

Finally I will like to draw the attention of the Hon. Minister to the backwardness of Bihar. The **per capita** income in Bihar is the lowest in the country. Special economic aid should be provided to Bihar and railway coach factory and other industries should be set up in North Bihar in the public sector. An assistance should be provided to the Bihar Government for construction of a bridge on the Ganges at Patna so as to form a link between the south and North Bihar. Maxim possible assistance should be given by the Central Government for completion of Gandak Project, Kosi Project, Sone River Project, Punpun River Project, Aghwara Project, Mayurakshi Project and other irrigation projects to enable Bihar to achieve self-sufficiency in food.

All the three Plans have been a failure and I am afraid that the Fourth Plan as framed may also not be a failure and the present Government will also go with this failure.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : So far Three Plans have been completed which have resulted in multi-faced development. Progress and development have been noticed in all the spheres, education, industry, irrigation, power, health etc. The targets laid down could not be achieved fully due to the various problems in our vast country and the internal situation.

Only 15 per cent people live in the cities but the progress achieved and development made so far have been mainly confined to the urban areas only particularly to the big cities such as Delhi, Calcutta, Madras, Bombay. Though some progress has been made in the

villages also but our rural areas still remain backward and there is wide disparity in the urban and rural sector. I appeal to the Hon. Prime Minister to pay special attention to the development of rural sector.

It is a fact that 50 per cent of our national income is contributed by agriculture but due attention has not been paid to it. 32 crore acres of land is available for 50 crores of people. Thus agricultural prosperity can be achieved only by growing 3-4 crops in a year. The farmers should be freely provided seeds, fertilizers, water and power in each and every corner of the country.

Some of the states are very backward and my state, U. P., though quite populous is backward in every other respect. The all India per capita figure is Rs. 315 per annum but it is Rs. 228 only in U. P. Out of the total 289 poor districts, 58 are in U.P. and out of these 22 districts have an annual income of Rs. 146-147 only. Out of 78 most backward Districts 28 lie in U. P. alone. Therefore, you should pay special attention to U. P. The conditions in Eastern U. P. with a population of 2½ crores, particularly in Gorakhpur, Deoria, Ballia, Basti, Jaunpur, Ghazipur and Azamgarh Districts are miserable. Many people there live on **Sattu** Grams, mango seeds, **mahua** seeds etc. An explosive situation is fast developing there and the people are going on the war path. Patel Commission was appointed in view of such conditions but fortunately it could not function. The blame lies squarely on the doors of Central Government, who had appointed this commission. The Prime Minister should take on herself the responsibility of improving the conditions in U. P.

Some of the areas in U.P. are facing grim drought situation. The Prime Minister has visited a number of drought affected Districts in country. She should pay a visit to such areas in U.P. also for an on-the-spot study.

The Kashi Vidyapeeth, Banaras has played an important role in the freedom struggle but today it is facing a crisis. It should be provided special financial aid so that it may function properly. Central financial assistance should be provided to U.P. on the basis of its population and backwardness and industries should be set up in Sukhpura, Maniar, Sikandarpur, Barmibazar, Salempur, Barhaj, Lar, Bhatni, Bhatpar etc. Bridges on rivers should be constructed in Bhagalpur, Bhatni and Nadawar. With these words I support the Demands for grants in respect of Planning Commission.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : only the other day draft Fourth Five Year Plan was placed here and with it starts our misfortune. Government had told the country that the Fourth Plan would be taken up in April but now draft only has come. No body know when the final Plan will be available. I am afraid this draft may not meet the same fate which the earlier draft met.

There are two reasons for the present situation. The socio economic set up emerged from the planning is creating obstacles. The socialistic forces in the country now emerging in the country do not want the plans to proceed and the Planning Commission to be successful. Second reason is that our planners have no philosophy. The Prime Minister may say that after all the concept of mixed economy in the Fourth Five Year Plan is a philosophy. Let me tell you there is no mixed economy in the world. Of course capitalistic economy is there,

Lenin had introduced mixed economy in Soviet Russia which aimed at commanding heights, i.e. Government control on iron, coal, banks, foreign trade etc. Land is also covered under it, then it is the mixed economy in the real sense of the word. So it is clear that there is no mixed economy in our country. In our country commanding heights are to be found in the private sector. Instead of nationalising the banks the Union Finance Minister and Deputy Prime Minister has come forward with social control, foreign trade, iron, coal, land etc. are all in private hands. Thus ours is a capitalistic economy and not a mixed economy. If Government are really interested in introducing mixed economy, they should consider in detail the draft of Namboodripad and accept it to some extent. Then only we can achieve the goal of socialism.

You will find a world of difference in the approach to the Fourth Plan and that to the Third Plan when newsman asked Shri D. R. Gadgil, Deputy Chairman of the Planning Commission whether India would be able to reach take-off stage by 1974-75, he replied that he did not know what is take off stage. In fact he wanted to cover up Government's inactivity. On the occasion of Third Plan late Shri Jawaharlal Nehru had stated in this house on 22nd August, 1960 :

“ Our whole object in the Third Plan is to arrive at a stage when we do not depend upon outside countries for any kind of help, whether financial or mechanical. That is what is called, broadly speaking, the take-off stage.”

The complete ignorance of the Deputy Chairman of the Planning Commission goes to prove the bankruptcy of philosophy of our Government.

The capitalism in the country has increased. Reports of Monopolies Enquiry Commission, mahalanabis Commission and Harase Committee, all make it clear that there is concentration of economic power and profiteering has increased. Shri Lobo Prabhu has said that unemployment and prices have indisputably gone up and the condition of the common man has deteriorated. Today 75 per cent people live on $3\frac{1}{2}$ annas daily income.

Officialdom and corruption in bureaucracy is at their climax. There is uneven development of economy, there is regional imbalance. The advanced or developed States have developed further and the undeveloped have remained undeveloped. Bihar does not lack in riches for industrialisation but there has been a planned conspiracy for the 20 years after independence to keep it undeveloped. Bihar needs an atomic plant and is rich in resources but it is being set up in U. P.

Agriculture has been commercialised and flow of foreign capital into the economy has increased. In spite of our plans we still depend on external aid and capital for our plans. The Private Sector and Public Sector can not grow simultaneously. It is high time that private sector should go and public sector should grow. In short I would like to say that for bringing about socialism in this country, what is required is indomitable will, indomited courage and courage of conviction. Socialism can not be achieved piece meal. Gandiji said :

“I would support a minimum State Ownership.....I am socialistic enough to say that.....Factories should be nationalised or State controlled. They ought only to be working under the most attractive and ideal conditions not for profit but for the benefit of humanity, love taking the place of greed as the motive.”

Planning Commission has not cared to study the distribution of income. If you fix a ceiling of 1 to 10 of difference in income, a sum of Rs. 1000 crores can be realised. The Commission has not studied the question of hoarded wealth. Today there is tax evasion to the tune of Rs. 200-300 crores. There is an annual expenditure amounting to Rs. 500 crores on economic forbearance. During a recent visit of the Prime Minister to Benipur, a sum of Rs. 11 lakhs was collected. Thus there is no lack of resources, will and fundamentals only are lacking. With these words I oppose these demands.

Shri Kushok Bakula (Ladakh): Mr. Deputy Speaker, I congratulate the Prime Minister for the excellent draft of the Fourth Five Year Plan prepared by her. Ours is vast country full of diversities and it is not possible to bring about our integrated development with one, two or even 20 years.

I congratulate the Prime Minister for spending a good deal of money on the development of Jammu and Kashmir. But, though Laakh is also a part of Jammu and Kashmir, very meagre allocations have been made for Ladakh during the Second and Third Plans. As a result Ladakh could not make headway. On the contrary State Government claims to have spent large sums on this region.

In support of my contention I will like to give some figures. During the Second and Third Plan periods a total sum of Rs. 9521.54 was spent in the State. Out of it, the share of Ladakh was Rs. 237 lakhs only. In the State Budget for 1963-64, Rs. 462.51 lakhs were provided for Jammu and Rs. 490.38 lakhs for Kashmir while Ladakh got Rs. 5.04 lakhs only. Similarly in the budget for 1965-66 Jammu and Kashmir got an allocation of Rs. 453.98 lakhs and Rs. 461.90 lakhs, respectively but provision for Ladakh was Rs. 5.72 lakhs only. The Gajendragadkar Commission has also accepted that provision for Ladakh has not been adequate.

A total sum of Rs. 70681.25 lakhs was spent during the Third Plan period. In addition to it a sum of Rs. 9200 was provided as central assistance. Out of the total expenditure of Rs. 649.27 lakhs on agriculture in State during the Third Plan period, Ladakh's share was Rs. 31.70 lakhs only. A total provision of Rs. 157.86 lakhs was made for cattle breeding in the State during the Second and Third Plan period, out of which Ladakh got a paltry sum of Rs. 18 lakhs. Similarly out of a total expenditure of Rs. 240.85 lakh on forestry, Rs. 7.56 lakhs only were spent in Ladakh. As regards irrigation and power the share of Ladakh was Rs. 42 lakhs only out of Rs. 773 lakhs while share in respect of electricity was negligible out of an expenditure of Rs. 1331 lakhs.

On comparing the present conditions in Ladakh with those in 1953, some improvement is noticed but it is altogether negligible and insignificant. It is, therefore, necessary that special attention is paid to the development of Ladakh. We have to ensure a bright future for Ladakh. I would like some Hon. Members to visit Ladakh and see the conditions there and suggest resources for improvement. The late Prime Minister Nehru had taken interest in the welfare of Ladakh and its development and had sent five I.A.S. or I.F.S. Officers from the Centre for the five districts of Ladakh, which led to much better utilisation of funds. You are aware that a large sum was missappropriated on construction of Kashmir-Leh road by the civil engineers.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
[Shri Vasudevan Nair in the Chair]

Some development did take place after you started sending officers from here. I will be very happy if some of the senior Members pay a visit to Ladakh. They will come to know the naked truth that Ladakh has been neglected. Whatever facilities are there, they are meant for the army. There are only 2 transformers of 90 kw. in Ladakh. The large water resources have a good power generation potential. Some Members had visited Kargil and Leh last time and they must have submitted their report. The vast area of Ladakh can be utilised for afforestation. We are poor people, therefore, need assistance.

As regards employment, outsiders are appointed while, whatever few educated youngmen of Ladakh, doctors, engineers are there, remain unemployed. I do not know why have you stopped sending central officers there. This system should be resumed again. We will have to raise our voice for the development of Ladakh. I will once again appeal my Hon. friends to visit Jammu and Kashmir region as well as Ladakh for a comparative study of the development of the two regions. But please go by road and not by air if you want to make a real assessment. Leaving the ministership I have come here with the object of voicing the grievances of my people.

I have already laid the report of the Gajendragadkar Commission which depicts the state of affairs. The posts of Development Commissioner and Deputy Commissioner are now being held by two officers contrary to the earlier practice of one officer holding both the assignments. What is the use of it? 70 per cent of the expenditure is accounted for their salaries and perquisites. All these things should be considered and special attention should be paid to the development of Ladakh.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, 3½ वर्ष के परिश्रम के बाद भी योजना आयोग एक प्रारूप ही तैयार कर सका है, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, वे अभी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में भी निश्चित नहीं है। यह कहा जाता है कि वे कुछ महीनों में निश्चित प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रारूप योजना को देखने से पता चलता है कि रूपरेखा, दृष्टिकोण और विभिन्न योजनाएं पहली योजनाओं से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति है, तो तीसरी योजना अवधि समाप्त होने के बाद इस नये योजना आयोग द्वारा चौथी योजना देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? यह योजना अवकाश देकर बहुत गलती की गई है। न केवल योजना असफल रही है बल्कि योजना तैयार करने की व्यवस्था भी पूर्णतः असफल रही है। एक आयोग स्थापित किया गया, जिसे व्यावहारिक ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है और जिसे इस देश में विद्यमान स्थिति से कोई सम्पर्क नहीं था। वे इस विचार को लेकर चले थे कि श्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं और एक दल की सरकार है, इसलिए केन्द्र में जो भी निर्णय किया जायेगा, उसे अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा और यदि कोई थोड़ा बहुत विरोध होगा भी, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा और वे राज्यों पर अपना निर्णय थोप सकेंगे। संसद् सदस्यों को परिचालित किये गये अपने भाषण में श्री गाडगिल ने राष्ट्रीय सहमति की बात कही है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आयोजन के बारे में इस देश में सहमति नहीं हो सकती है। अभी हाल में प्रधान मंत्री ने अपने दल की बैठक में यह बात कही, बताते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद में विरोध राजनीतिक था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या

योजना आयोग के सदस्यों के नियुक्ति विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता अथवा सफलता के आधार पर की जाती है? योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष को छोड़कर प्रायः एक ही दल अर्थात् सत्तारूढ़ दल के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जो हार जाता है, उसे योजना आयोग में लगा दिया जाता है। मैं इसे राष्ट्रीय योजना नहीं मान सकता। अपने बहुमत के आधार पर आप योजनाएं मंजूर करा लेते थे परन्तु वे राष्ट्रीय योजनाएं नहीं थीं।

यद्यपि योजना आयोग मार्गदर्शन और योजना बनाने के लिये स्थापित किया गया था परन्तु जब वह एक नौकरशाह संगठन बन गया है। एक दूरस्थ छोटे से गांव में भी सड़क बनाने के लिये लोगों को योजना आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रत्येक मंत्रालय के लिये योजना आयोग में एक सैल है। यह एक साम्राज्य बन गया है। तैयार किये गये अनेक कार्यक्रमों की क्रियान्विति में योजना आयोग सभी प्रकार की बाधाएँ पैदा कर रहा है। इसलिये हमें गम्भीरता से सोचना है कि क्या इस प्रकार का संगठन एच्छित फल देने वाला नहीं है। अब केन्द्र और राज्यों के बीच सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध बदल चुके हैं। अपनी योजनाएं चलाने के लिये सभी अवसर देने होंगे जो राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुकूल हो। इस योजना के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं और इसके पीछे क्या सामाजिक दर्शन हैं, यह योजना में कहीं नहीं बताया गया है। राज्यों से सहयोग मांगने से पहले यह निर्णय किया जाना चाहिए। साथ ही जब तक आप योजना तैयार करने में लोगों को भाग लेने के अधिक अवसर नहीं देंगे, तब तक योजना सफल नहीं हो सकती। योजना आयोग इतने वर्षों से काम कर रहा है परन्तु यह हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सका है और सफल नहीं हो सका है।

योजना आयोग का एक संदर्भ (पर्सपैक्टिव) आयोजन डिवीजन है, जिसमें बहुत से अधिकारी और कर्मचारी तथा जिसका काम 10-20 वर्ष आगे की बातें सोचना है। हाल में योजना आयोग अथवा सम्भवतः राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्रीय सहायता के वितरण के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों का निश्चय करने की कसौटी निर्धारित करने के लिए एक उप समिति अथवा कार्यकारी दल नियुक्त किया है। यदि यह डिवीजन ठीक प्रकार कार्य कर रहा होता, तो इन क्षेत्रों के चयन की कसौटी निर्धारित करने के लिए इस समिति को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक स्तर पर योजना की क्रियान्विति केन्द्र और राज्यों में मंत्रालयों को सौंप देनी चाहिए। योजना आयोग को योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कार्यकारी प्राधिकार नहीं होना चाहिए। तथापि तालमेल के लिये क्रियान्विति के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

राज्य अपनी आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं नहीं बनाते हैं। राज्य सरकारों के अधिकारी यहां विचार-विमर्श करने के लिए आते हैं कि केन्द्रीय सरकार कितनी राशि दे सकती है। यहां पर प्रत्येक राज्य के सम्पर्क अधिकारी बैठे हैं। यह भलीभांति विदित है कि कुछ मुख्य मंत्री देश में कहते फिरते हैं कि केन्द्र में मेरा अधिक प्रभाव है और यदि मैं मुख्य मंत्री

बनता हूँ, तो मैं इतना पैसा दिला सकूंगा। चुनावों में भी यह प्रचार किया गया कि यदि कांग्रेसी मुख्य मंत्री होगा तब ही केन्द्र से धन मिलेगा। आयोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिये योजना आयोग का पुर्नगठन करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुझे वास्तव में समझ नहीं आती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् क्या है। क्या यह कुछ राजनीतिक नेताओं का संगठन है, जो अपनी विचारधाराओं, सिद्धान्तों अथवा अपने स्वयं के विचारों पर चर्चा करने अथवा देश के सम्पूर्ण आयोजन के बारे में समूचे दृष्टिकोण के आधार पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र होते हैं? उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री आर० एन० सिंह देव ने राष्ट्रीय विकास परिषद् में योजना के सम्पूर्ण आधार को दी चुनौती दी है, वे कोई नियंत्रण, कोई सरकारी क्षेत्र नहीं चाहते हैं। वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। विधान सभा में उनके दल, अर्थात् स्वतंत्र पार्टी की सदस्य संख्या 140 के सदन में केवल 49 है। यदि राष्ट्रीय विकास परिषद् राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का मंच है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें राज्यों के विचार रखने चाहिये। इसलिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि योजना पर राज्यों में विधान सभाओं में चर्चा हो, तो वह अधिक लाभदायक होगी और आपको अधिक सहयोग प्राप्त होगा और उनकी सलाह से आपको लाभ होगा।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि श्री शिवचन्द्र झा ने कहा चाहे यह सरकार दृष्टिहीन अथवा दर्शनहीन है, कि यदि वे इस देश में आयोजन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें स्थिति की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नये तरीके से समस्याओं पर विचार करना होगा।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) : मैं आयोजन सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूँ क्योंकि हमारी योजना संसाधनों पर आधारित है। यह आवश्यकताओं पर आधारित योजना नहीं है क्योंकि हम जो चाहें प्राप्त नहीं कर सकते हैं अथवा हम जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी योजना नहीं बना सकते हैं।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुये]
[Shri R. D. Bhandare in the Chair]

हमें चर्चा के लिये हाल में प्रस्तुत की गई योजना स्वीकार की जानी चाहिए अन्यथा हम अयथार्थवादी होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत बजट व्यावहारिक है और मैं सराहना नहीं कर सकता कि विरोधी सदस्य क्यों नहीं समझते कि हमारे साधन सीमित हैं और इसलिए हमें अपने पांव अपनी चादर के अनुसार फैलाने चाहिये। समायोजन के लिये अवश्य गुंजाइश है और इसके लिये प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को आश्वासन दिया है।

आसाम के लिये आवश्यक नियतन नहीं किया गया है। आसाम सरकार ने 394 करोड़ रुपए की राज्य योजना रखी थी, जिसमें से 80 करोड़ रुपए पर्वतीय क्षेत्र के लिये थे और 314

करोड़ रुपए शेष राज्य के लिये । परन्तु योजना आयोग ने देश में राज्य क्षेत्र में 6,066 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से केवल 235 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, 65 करोड़ रुपए पर्वतीय योजना के लिये और 160 करोड़ रुपए राज्य की सामान्य योजना के लिये । इसके अनुसार आसाम सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना प्रस्तुत की, परन्तु उसे घटाकर 9.50 करोड़ रुपए पर्वतीय क्षेत्र के लिये और 24 करोड़ रुपए सामान्य क्षेत्र के लिये कर दिया गया । इस थोड़ी सी राशि में से राज्य सरकार ने 1.50 करोड़ रुपए उद्योगों के विकास के लिये नियत किये हैं । आसाम में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम पर आधारित उद्योगों और कागज तथा लुगदी उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार ने सुझाव दिया था । वहां पर कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । सरकार को इस सम्बन्ध में दिये गये राज्य सरकार के सुझावों और योजनाओं पर विचार करना चाहिए ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
Mr. Speaker in the Chair

आसाम में केन्द्रीय क्षेत्र में केवल दो कारखाने हैं, गोहाटी में तेल शोधन कारखाना और नामरूप में उर्वरक कारखाना इसलिये आसाम सरकार ने राज्य में दूसरा तेलशोधन कारखाना लगाये जाने तथा अन्य उद्योगों के विकास के लिये अनुरोध किया है । यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की लागत से नामस्य स्थित उर्वरक कारखाने का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें से 13.50 करोड़ रुपए चालू वर्ष में दिये जायेंगे । साथ ही 8 करोड़ रुपए की लागत से एक सीमेंट कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है । लेकिन राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सब पर्याप्त नहीं है ।

समायोजन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सामुदायिक विकास योजनाओं को अधिक महत्व देना चाहिए । देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1951 में आरम्भ किया गया था परन्तु इस संस्था के जरिये उनकी अर्थव्यवस्था के विकास की किसानों की आशा पूरी नहीं हुई है । विकास खण्डों का कार्य चलाने के लिये पंचायतों के पास धन नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार सामुदायिक विकास खण्डों के लिये अधिक धन प्रदान करे । मेरा सुझाव है कि परिवार नियोजन पर व्यय में से कम से कम 200 करोड़ रुपए घटाकर सामुदायिक विकास खण्डों के लिये दिये जायें ।

Shri Shri Gopal Saboo (Sikar): Mr. Speaker, Sir, priority is being given to big industries in our country in setting up of industries in the public sector. The public sector units total with a capital investment of Rs. 3,500 crores and most of these are running into losses. The three steel plants alone have suffered a loss of Rs. 127 crores upto 1967-68, since their inception. Heavy Engineering Corporation, Bharat Heavy Electricals, Heavy Electricals (India) Limited and Mining and Allied Machinery Corporation are also running into losses. Their production capacity is not being utilised fully. Instead of putting talented persons in charge of these units, they are utilised for rehabilitating defeated politicians. We must accept that the plan for development and prosperity in the country is faulty and defective.

Was it the proper course to set up these big industries for augmenting production and bringing economic prosperity in the country. A plan is to be prepared taking into account the needs and requirements of the country as well as the availability of raw material. Various industries have played a significant role in the economic development of different countries, for example cotton textile and machinery industries in Britain, Engineering Industry in Germany. In our country proper emphasis on agriculture in our plan can solve all our problems. Agriculture contributes 50 per cent of our national income. Two-third of our labour force is engaged in agricultural pursuits.

Today we need proper irrigation and agricultural credit schemes. There is a very high incidence of indebtedness amongst our agriculturists. Tremendous improvement can be seen round the corner if even one-fourth of capital investment of Rs. 4,000 crores is spent on digging of wells and installation of tube-wells. Even after 20 years of planned development advanced agricultural facilities are not available in the country. All fashionable goods and imported cosmetics are on sale or in Super Bazar in the capital but may I ask if pesticides, chemical fertilizers and agricultural equipments are available there.

Can one think of a poor Indian farmer seeing the 8 storeyed building of Yojna Bhavan. Have the members of Planning Commission ever insited our villages? The Planning of development in our country is confined to theory only. It has nothing to do with the real conditions. Lakhs of rupees are spent on agricultural research but no attention is paid to the practical application. The Five Year Plan should be agriculture-oriented and not industry-oriented. Our food imports, which were 122 lakh tons in the First Plan rose to 300 lakh tons in the Third Plan. Foreign exchange worth crores of rupees is spent on import of foodgrains. At least Rs. 400 crores should be allocated for agricultural development and irrigation.

Unless and until we are able to achieve self-sufficiency in agricultural production. We cannot do much in other developmental programmes. I am therefore of the view that at least Rs. 4000 crores should be spent on agricultural development during the Fourth Plan period. It is only thus that the dream of the father of the nation will become true.

In case the Planning Commission fails to raise the social standard of the people and our country remains divided between the big and the small and the rich and the poor then the dream of Mahatma Gandhi of 'Model' India shall not come true.

Though three Five Year Plans have been completed yet no importance has been attached to Socialism, rural industrialisation etc. That is why there is disparity and power centralisation in our country. Our Planning has been so poor that people have not been able to get houses to live, cloth to wear and food to eat. Keeping these things in view a demand is being made that the whole matter should be reviewed afresh.

I know that the Planning Commission has published certain books also. But I doubt it very much if these books have increased the standard of living of the people. I feel that there is need to make a redical change in the working of the Planning Commission itself.

As far as Rajasthan is concerned, there is unemployment there and scarcity of foodgrains also. No doubt some progress has been made in the field of industrialisation in Kota on account

of the availability of water and power but a place like Sikar has been totally neglected. Udaipur is being developed as a transit centre and lakhs of rupees are being spent on it but even roads are not being maintained in Sikar. Hence steps should be taken to see that there is balance of distribution of wealth and planned development there.

The per capita income of Rajasthan is 40 per cent to that of Punjab though the population there is two times than in Punjab. In spite of it the amount earmarked for Rajasthan is much less than the amount earmarked for Punjab.

West Rajasthan is a complete desert. The Planning Commission should chalk out a plan to turn it into greenery. Steps should also be taken to check speed of development of the desert. Steps should be taken to speed up construction of Rajasthan canal and this work should be taken over by the Central Government itself.

At the end I would like to suggest that a study team should be appointed to suggest ways to improve the Sikar district of Rajasthan.

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : हमने देखा है कि सरकार हर योजना को बनाते समय यह कह देती है कि यह योजना सफल रहेगी। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समय सरकार ने ऐसा ही आश्वासन दिया था तथा चौथी योजना के लिये भी ऐसा आश्वासन ही दिया जा रहा है। जहाँ तक योजना आयोग के तत्सम्बन्धी आंकड़ों का सम्बन्ध है न मालूम उनमें क्या जादू होता है। अब लोग उनसे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। सरकार के बहुत से विभाग कृषि, उद्योग आदि के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। उसी तरह से योजना आयोग भी भावी योजनायें तैयार करने के उद्देश्य से आंकड़े इकट्ठे करता है। परन्तु देश के लोगों की वास्तविक स्थिति के कोई भी आंकड़े कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं।

अब मैं प्रधान मंत्री का ध्यान, जो कि योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं, योजना प्रचार योजनाओं की प्रारूप योजना में की गई 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। यह व्यवस्था चौथी योजना में प्रचार कार्य के लिये की गई है जबकि हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं तथा उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है। इस तरह से हमारे देश में समाजवाद कैसे आयेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इतना धन व्यय करके प्रचार योजनायें बनाने की क्या आवश्यकता थी। सरकार लोगों के अनपढ़पन का लाभ उठाकर प्रचार योजनाओं पर इतना धन व्यय कर रही है यह अच्छी बात नहीं है।

मैं एक और बात की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बात समाचार-पत्रों में छपी है। हमने विश्व बैंक से ऋण लेकर करोड़ों रुपये सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाये हैं। परन्तु दुख की बात यह है कि सरकार के पास पहली किश्त देने के लिये भी धन नहीं था। जिस कारण हमें विश्व बैंक को किश्त लेने की अवधि बढ़ाने के लिये प्रार्थना करनी पड़ी। इससे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप हमें रुपये का अवमूल्यन करने के लिये भी बाध्य होना पड़ा। अतः हमारे देश की गरीब जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिये था। अब भी हमारे

देश में क्या हो रहा है। मूल्य काफी बढ़ रहे हैं, गरीबी भी बढ़ रही है तथा कांग्रेसी लोग ठेकेदारों पर खूब कृपा कर रहे हैं, तथा मुद्रास्फीत बढ़ रही है। ठेकेदारों ने जो रकबा अपनाया हुआ है वह भी ठीक नहीं है। करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी काम पूरा नहीं होता। निर्धारित समय पर काम पूरा न होने पर भी उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया जाता। धन के अभाव के कारण उन्हें कई बार भुगतान का स्थगन भी कर दिया जाता है तथा इस बीच नासिक में नये नोट बना लिये जाते हैं। इस प्रकार से 5000 करोड़ रुपये बनाये गये हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रुपये का मूल्य गिर जाता है जो अब 12 पैसे के बराबर हो गया है। यह एक तस्वीर है कि हमारा देश कैसे नष्ट हो रहा है।

जहां तक योजना आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का सम्बन्ध है वे तो अह लोग हैं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी किसी किसान की भी सलाह ली है और उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। दूसरे मेरा निवेदन यह है कि योजना पर प्रत्येक पहलू से पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं योजना आयोग की मांगों का समर्थन करता हूँ। योजना आयोग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है। वह देश की विकास योजनायें बनाता है। अतः मेरा उनसे निवेदन है कि उन्हें देश की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को देखना चाहिये ताकि देश का प्रत्येक पहलू से विकास हो सके। योजना आयोग को पहली दो योजनाओं में सफलता मिली। उसके बाद उन्हें अनुभव हो गया और उन्हें तीसरी योजना में भी सफलता मिली चाहे कुछ कठिनाइयों के कारण उसे निश्चित समय पर पूरा नहीं किया जा सका। कुछ सदस्य कहते हैं कि हमें योजनायें नहीं बनानी चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि यह उनकी भूल है क्योंकि बिना योजना बनाये हमें कैसे सफलता मिल सकती है। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिये। जो लोग कहते हैं कि हमारे देश ने उन्नति नहीं की है वे भी भूल पर हैं क्योंकि अनाज के मामले में हम 95 प्रतिशत तक आत्म-निर्भर हो गये हैं तथा उद्योग के कच्चे माल के सम्बन्ध में हम 90 प्रतिशत आत्म-निर्भर हो गये हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सफलता नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में तो हम आत्म-निर्भर हो ही चुके हैं। इसके अलावा हमने बहुत सी चीजों का निर्यात करना भी आरम्भ कर दिया है। हम पहले जिन चीजों का आयात किया करते थे वे हमारे देश में बनने लग गई हैं। इन चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में चारों ओर विकास हो रहा है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ है।

यह बात अवश्य ही निश्चित है कि हमारे सरकारी उपक्रम इस समय पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे सरकारी उपक्रमों में मुनाफा नहीं हो रहा है। आजकल हम 400 रुपये से 500-रुपये की लागत की मशीने आदि आयात कर रहे हैं। इसलिये हमें अपने इंजीनियरी उद्योग को काफी काम देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम आयात

में कमी कर सकें। इसके लिये हमें विकास छूट में वृद्धि करनी चाहिये जिससे ग्राहक उसे खरीदने लग जायें। इसके अलावा ग्राहकों को आसान किस्तों में उन्हें खरीदने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इस तरह से उपक्रमों तथा ग्राहकों दोनों को लाभ होगा तथा उपक्रम लाभ भी कमाने लग जायेंगे।

इसके बाद मैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर आता हूँ। इस योजना को उचित रूप से कार्यान्वित करना चाहिये। इसके लिये राज्यों और केन्द्र में समन्वय होना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिये केवल तभी ही योजना को अपेक्षित सफलता मिल सकती है। ऐसा न होने पर हम निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पायेंगे।

जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है उनका विस्तार तेजी से बढ़ाया जाना चाहिये। अब तक केवल 20 प्रतिशत गांवों में ही यह कार्यक्रम लागू किया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव भी देना चाहूंगा। बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन लागत अधिक आती है। इसलिये उसमें कमी करने के उद्देश्य से छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया जाना चाहिये। इसके अलावा उन्हें बिजली रियायती दर पर दी जानी चाहिये। श्रमिक अधिनियमों का कड़ाई से पालन भी नहीं किया जाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह से साथ-साथ काम कर सकें।

Shri Ramavtar Sharma (Gwalior) : The plans in our country are being made regarding small scale industries are large scale industries etc. but no plan has been chalked out to solve the problem of dacoities in our country. Steps should be taken to chalk out plans to solve that problem also. When I go to my constituency then the businessmen and big persons of that area say that they are very much in trouble because of dacoits there. They say that they cannot go out of their house in the evening so that the dacoits may not loot and kill them in the way. In fact dacoits make out their plans how to loot the persons and as a matter of fact they are running their business there. I would therefore request the Government to see that such a thing is put an end to there.

I would also like to say something about the tax imposed in Gwalior. Previously there used to be no tax in Gwalior barring house tax but now the number of taxes has so increased that we have to appoint a cashier to maintain the records. But in spite of that their problems are not being solved. I would therefore submit that at least their problems of dacoities should be solved in the first instance otherwise they would be compelled not to pay the taxes.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि हम वास्तव में चौथी योजना पर नहीं बल्कि योजना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे तथापि उस योजना पर तथा उसकी खामियों पर टिप्पणियां की गई हैं। और इस संदर्भ में वे बातें की गई हैं जो विरोधी पक्ष वाले कई बार कह चुके हैं।

मैं समझती हूँ कि हमें आंकड़े देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो नगरों और देहातों में जाकर देखना चाहिये कि वहाँ पर क्या हुआ है। मैं यह नहीं कहती कि हमने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं जानती हूँ कि हमारे देश में अभी भी पिछड़े क्षेत्र हैं तथा हमारे देश में अभी भी कुछ जातियाँ हैं जो अन्य जातियों की तुलना में कम विकसित हैं। अतः मैं समझती हूँ कि हमें अभी बहुत कुछ करना है।

एक बात यह भी उठाई गई थी कि वर्तमान योजना ने उत्साह पैदा नहीं किया है। इस के उत्तर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमने देश में पहले नया वातावरण पैदा करना था तथा बाद में वह पैदा कर दिया गया था परन्तु उसके बाद आक्रमण, सूखे आदि की कठिनाइयों के कारण हमें अपने साधनों को सीमित रखना पड़ा परन्तु योजना आयोग ने अब अधिक सक्रिय रूप से काम करना आरम्भ कर दिया है।

योजना आयोग के सदस्यों के बारे में की गई टिप्पणी से मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। वे लोग तो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसमें बल्कि मेरा योगदान बहुत कम है क्योंकि मैं बहुत-सी बैठकों में भाग नहीं ले पाती। उनके बारे में जो धारणा बनाई गई है वह गलत है। अधिकांश काम तो डिप्टी चेयरमैन द्वारा ही किया जाता है। चेयरमैन तो अधिकतर केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं होने चाहिये। मुझे यकीन है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि उनकी अनुपस्थिति में योजनाओं को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्य के बारे में सामान्य रूप से चर्चा भी हुई थी। परिषद् की एक समिति ने धन के नियतन जैसी मुख्य चर्चा के बारे में भी चर्चा की थी। अतः मुख्य मंत्रियों के विचारों को योजना बनाने से पहले हर स्तर पर ध्यान में रखा जाना है। जहाँ तक अन्नादुरै का सम्बन्ध है उनको आमन्त्रण भेजा गया था। यदि वह उपस्थित नहीं हो सके तो उसमें योजना आयोग का क्या कसूर था।

राष्ट्रीय विकास परिषद् इसलिये बनाई गई है ताकि योजना राष्ट्रीय ढंग से बनाई जा सके। जब लोग यह कह देते हैं कि हम योजना स्वीकार नहीं करते तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या वे केन्द्रीय सहायता नहीं लेना चाहते। केन्द्र और राज्य योजनाएँ बनाते हैं तथा उनके लिये धन की व्यवस्था की जाती है। यह तो सही है कि धन का नियतन करते समय हमें कभी-कभी कटौती करनी पड़ जाती है क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। परन्तु राज्य इसके लिये अपने साधन बढ़ा सकते हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि कांग्रेस 'स्वदेशी' नीति में पहले से ही विश्वास रखती है। इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि हमारी यह नीति स्वदेशी ही है। आपको मालूम ही होगा कि हमने कह दिया है कि हम दो वर्ष के अन्दर बाहर से रियायती दरों पर अनाज लेना बन्द कर देंगे तथा उसके थोड़ी देर बाद हम विदेशी सहायता पर निर्भर करना भी कम कर देंगे। ये बातें धीरे-धीरे ही हो सकती हैं एक ही साथ नहीं।

दो मुख्य प्रश्न बेरोजगारी तथा प्रादेशिक असंतुलन के बारे में उठाये गये थे। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि काम के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि कृषि में सुधार होने से देश की हर एक चीज ठीक हो जायेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि उद्योग के बिना कृषि में कैसे सुधार हो सकता है। उद्योगों के बिना तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं हो सकती। अतः हम किसी भी तरह से कृषि को उद्योग से पृथक नहीं कर सकते।

यह बात सही है कि जिन किसानों ने अपनी भूमि को सिंचित किया था वे अधिक उपज वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सके थे परन्तु अन्य लोगों को भी कुछ न कुछ तो लाभ पहुंचा ही था। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार की व्यवस्था में अवश्य ही सुधार हुआ है। इसके साथ ही साथ मेरा यह निवेदन है कि यह बात पूरी तरह से जानती हूँ कि अभी हमें बहुत कुछ करना है तथा मुझे आशा है कि हम इस योजना के साथ-साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जायेंगे। केवल 'समाजवाद' अथवा 'पूँजीवाद' की बात कह देने से ही काम नहीं चल जाता, काम तो परिश्रम करने से ही हो सकता है।

जहां तक विदेशी सहायता के प्रभाव का सम्बन्ध है मैं समझती हूँ कि आजकल कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे किसी भी अन्य देश की सहायता नहीं चाहिये। दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं कि इस सहायता के बढ़ जाने से कई गम्भीर परिणाम भी निकल सकते हैं। यही कारण है कि हम यह योजना बना रहे हैं ताकि हमें सहायता पर अधिक निर्भर न करना पड़े।

जन संघ के एक सदस्य ने कहा था कि अधिक जनसंख्या होने के कारण हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं उन्हें यह बता देना चाहती हूँ कि उसके अभाव के कारण ही हम दुनियां में पिछड़े गये हैं। आज हमें उस पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिये ताकि हम अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठा सकें।

योजना आयोग राजनीतिक निकाय भी नहीं है, परन्तु जब वे लोग मुख्य मंत्रियों से मिलते हैं तो वे राजनीति को बीच में ले आते हैं। वास्तव में वे भी राजनीति को बीच में नहीं लाते हैं। वे राज्य की उचित मांगों को बीच में लाते हैं परन्तु योजना आयोग को अखिल भारतीय

दृष्टिकोण अपनाता होता है। उसे पता होता है कि कितना धन उपलब्ध है तथा कितना नियत किया जाना चाहिये। यह भी सच है कि अब आयोग ने वितरण के काम से मुक्ति पा ली है।

हम योजना का विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते क्योंकि तभी समूचे देश के लाभ को देखते हुए उपलब्ध धन से उचित कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं। तमिलनाडू की राशि में इसलिये कमी की गई थी क्योंकि उससे अधिक पिछड़े हुये और राज्य भी हैं जिनके बारे में भी कटौती की गई है।

प्रादेशिक असंतुलन भी तुरन्त ही दूर नहीं हो सकता। इस असंतुलन के लिये हम विवश थे। यदि हमने इस तरह से काम नहीं लिया होता तो हम कृषि उत्पादन में बढ़ौती न कर पाते। हमें सिंचित भूमि वाले किसान तथा सूखी भूमि वाले किसानों में विषमता करनी पड़ी। हम इस योजना में उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

कृषि में भी कम पूंजी नहीं लगाई गई है। गत योजनाओं की तुलना में यह काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये उर्वरक कारखाना, ग्राम्य विद्युतीकरण आदि जैसी अन्य योजनायें भी हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि योजना सफल नहीं रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि योजना की असफलता से सभी राज्यों की असफलता है क्योंकि योजना में सभी कार्यक्रम राज्यों के लाभ के लिये बनाये गये हैं।

किसी सदस्य ने यह भी कहा था कि योजना के आंकड़े सही नहीं हैं। इस समय आंकड़े सभी सही हैं हां, इतनी बात जरूर है कि संसाधन बढ़ जाने से उनमें वृद्धि कर दी जायेगी ताकि नये कार्यक्रम आरम्भ किये जा सकें। यह बात भी राज्यों पर ही निर्भर करती है।

हर एक व्यक्ति यही कहता है और योजनायें तथा परियोजनायें आरम्भ की जानी चाहिये परन्तु जब उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने की बात उठती है तो सभी मौन हो जाते हैं।

स्वतंत्र दल के एक सदस्य ने कहा था कि योजना आयोग के सदस्यों ने किसानों को छोड़कर सभी से भेंट की थी। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूं कि उन्होंने देश के भिन्न-भिन्न भागों में किसानों के साथ भी बैठकें की हैं।

मैं लद्दाख से आये माननीय सदस्य को यह बता देना चाहती हूं कि हमें इस बात का पता है कि पहाड़ी इलाकों के लोगों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा हम उनकी ओर विशेष ध्यान देते हैं। जहां तक लद्दाख का सम्बन्ध है राज्य सरकार वहां विकास कार्य की ओर विशेष ध्यान देने के लिये सहमत हो गई है।

किसी ने कहा था कि योजना आयोग एक बहुत बड़ा निकाय है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमने गत वर्ष 77 पद समाप्त किये थे तथा बहुत से अन्य पद भरे भी नहीं हैं। तथापि हम इस बारे में और भी विचार कर रहे हैं।

मैं योजना के सभी पहलुओं पर न जाती हुई केवल यह अवश्य ही कह देना चाहती हूँ कि हम योजना इसलिये बनाते हैं ताकि देश के सभी क्षेत्रों में उन्नति हो सके। विगत वर्षों में हमारा औद्योगिक उत्पादन तिगुना हो गया है। अब हम अनेक प्रकार की मशीनें स्वयं बनाने लग गये हैं। इसके अलावा हमारे पास जल और ताप बिजली पैदा करने की भी क्षमता है।

मुझे आशा है कि इन बातों को देखते हुए सभा योजना आयोग की मांगों का पूर्णतया समर्थन करेगी क्योंकि केवल तभी योजना को राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

जहां तक डकैतियों आदि का सम्बन्ध है वह तो कानून और व्यवस्था का विषय होने के कारण राज्यों का विषय है। परन्तु उस क्षेत्र का विकास हो जाने पर समस्या का हल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 3 से 12 और 14 से 37 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions Nos. 3 to 12 and 14 to 37 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजना आयोग की निम्नलिखित मांग सभा के मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following demand in respect of the Planning Commission was put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
99	योजना आयोग	1,31,63,000

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1969/5 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 25, 1969/Vaisakha 5, 1891 (Saka).